खण्ड-207, अंक-2
मंगलवार, 10 भाद्रपद, शक संवत् 1881
(1 सितम्बर, 1959 ई0)

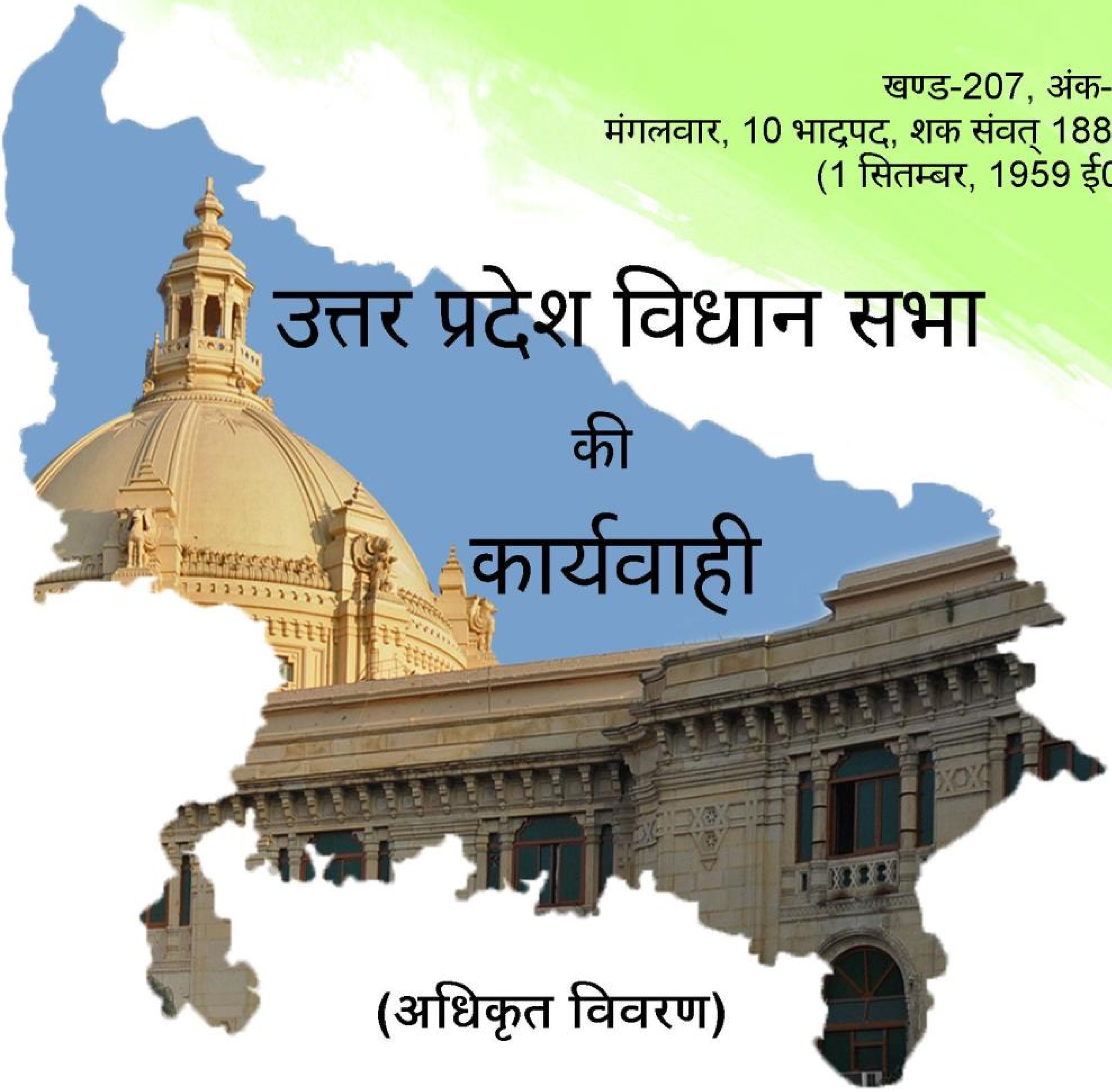

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 207 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १ सितम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—(३८१)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद, आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री

गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणित्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराज, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री

प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खेरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्राम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री

राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथपाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल,श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लाप्रकासिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री

श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १ सितम्बर, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ विश्वविद्यालय के एल-एल० बी० प्रथम वर्ष में अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिये भरती की स्वीकृति

**१—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति और रजिस्ट्रार की ओर से १७ जुलाई १९५९ को इस बात की सिफारिश आई है कि सरकार वहां एल-एल० बी० प्रथम वर्ष का एक दर्जा और खोलने की स्वीकृति प्रदान करे? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई?

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)—प्रश्न विचाराधीन है। शीघ्र ही निर्णय किया जायगा।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय शिक्षा मंत्री, लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और उपकुलपति ने जो सिफारिश की है, उसको संक्षिप्त रूप से आदरणीय सदन के सामने पढ़ने की कृपा करेंगे?

श्री दीनदयालु शास्त्री—लखनऊ विश्वविद्यालय ने १५० अतिरिक्त विद्यार्थियों की भरती की स्वीकृति मांगी थी जिसकी स्वीकृति दे दी गई।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह भी सही है कि जो नये सेक्शन की आज्ञा दी गई उसमें कुछ नये अध्यापकों की नियुक्ति के सेंक्शन के बारे में उन्होंने सिफारिश की है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—यदि अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिये अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत होगी तो अवश्य उसका प्रबन्ध किया जायगा।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—वर्तमान सेशन को प्रारम्भ हुये करीब दो मास हो गये, तो फिर उस पर कब तक विचार होगा और यह विद्यार्थी पढ़ने का मौका कब तक पायेंगे ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—मैंने तो कहा कि स्वीकृति हो गई है। जब स्वीकृति हो गई है तो जल्दी ही विचार होगा।

तारांकित प्रश्न

*१-२—**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)—[स्वायत्त शासन मंत्री से संबंधित ९ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

ऋषिकेश-देहरादून सड़क के सोंग नदी पुल पर टोलटैक्स माफ करने की प्रार्थना

*३—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ऋषिकेश-देहरादून रोड पर डोईवाला के निकट सोंग नदी पर जो पुल बनाया गया है उस पर कोई टोल-टैक्स लगता है ? यदि हां, तो किस हिसाब से ?

सार्वजनिक निर्माण उपमन्त्री (श्री महावीरसिंह)—जी हां।

द्वितीय भाग—इस पुल पर लगाये जाने वाले टोल टैक्स के दरों की †अनुसूची सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है।

*४—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार उक्त क्षेत्र के निवासियों पर टोल-टैक्स के रूप में जो भार पड़ रहा है उसे हटाने का विचार रखती है ?

श्री महावीरसिंह—जी नहीं।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों को सदन के सामने रखेंगे जिनकी वजह से, जो पुल उस गरीब इलाके में देहरादून को जोड़ने के लिये बना हुआ है, उसका टोल टैक्स माफ करने का सरकार का इरादा नहीं है ?

श्री महावीरसिंह—सरकार की नीति है कि सरकार खर्च देखकर पुल पर टोल टैक्स लगाये।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को कुछ समय पहले वहां के निवासियों की तरफ से इस तरह का आवेद-नपत्र दिया गया था ? और यदि दिया गया था तो उसमें उन्होंने क्या लिखा था और उसका क्या उत्तर दिया गया ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—जिस वक्त उस पुल का उद्घाटन हुआ था उस वक्त कुछ लोगों ने आवेदन पत्र दिया था। उस वक्त उन लोगों को समझा दिया गया था कि यह संभव नहीं है कि किसी तरीके से टोल को छोड़ दिया जाय।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो पुल बना हुआ है क्या उस पर पैदल यात्री या साइकिल जो जाती है उनसे भी टैक्स लिया जाता है ?

---

†अनुसूची छापी नहीं गई।

श्री महावीरसिंह—जी नहीं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पुल के बनने में कितनी लागत लगी थी और टोल टैक्स वर्तमान तरीके पर वसूल करने से कब तक वह रकम पूरी हो जायगी और टोल टैक्स-माफ कर दिया जायगा ?

श्री महावीरसिंह—१३.७१ लाख रुपया उसमें लगा था। अभी तक कायदा यह है कि २० वर्ष में यह कुल रकम पूरी हो जाती है। अगर उससे पहले इतनी आमदनी हो गई जितनी कि पुल की लागत है तो वह खत्म कर दिया जायगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वक्त तक इस टैक्स से कितना रुपया वसूल हो चुका है और इसकी वार्षिक आय क्या है ?

श्री महावीरसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

खटीमा पावर हाउस सम्बन्धित सिद्दीक हसन व परिपूर्णानन्द वर्मा कमेटियों की सिफारिशें न लागू करना

*५—श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार शारदा हाइडिल व खटीमा पावर हाउस से संबंधित सूचनायें जैसे सिद्दीक हसन कमेटी व परिपूर्णानन्द वर्मा सब-कमेटी की रिपोर्टों की एक-एक नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरसिंह—श्री सिद्दीक हसन कमेटी की खटीमा पावर हाउस संबंधित रिपोर्ट माननीय सदस्यों को हाल ही में वितरित की जा चुकी है।

श्री परिपूर्णानन्द सब-कमेटी की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश इकानामी कमेटी के प्रथम भाग के भाग दो में छपी है और उसकी प्रति सदन की मेज पर पहले ही रखी जा चुकी है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए रिहन्द का ठेका इस कम्पनी को क्यों दिया गया ?

श्री महावीरसिंह—कम्पनी की रिपोर्ट आने के पहले ठेका दिया जा चुका था।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि जो पानी और मिट्टी चली जाती थी उसको बिना इन तीनों इंजनों को बन्द किये हुए देख सकें ?

श्री गिरधारीलाल—खटीमा पावर हाउस में जो कमियां थीं उनका बहुत कुछ सुधार हुआ है और जो बाकी हैं उनका भी हो रहा है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पैरा ग्राफ को देखते हुए कि—

"The Board however feel concerned over the rapid deterioration in the performance of this part of equipment which can only be attributed to bad design."

यह डिजाइन किसने बनाया था, किसने इसकी जांच की थी, और कौन दोष बताया गया ?

श्री महावीरसिंह—कम्पनी ने बनाया था।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय निर्माण मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस कमेटी ने उस ओर भी इशारा किया है कि जिस समय माननीय गोविन्दवल्लभ पंत ने इसका उद्घाटन किया था उसके बाद ही इसका कंट्रोल रूम गिर गया था और उसका कारण निर्माणकर्ताओं की असावधानी थी ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री महावीरसिंह—जी हां, इस बात का इसमें इशारा है और उसकी भी जांच की गयी।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सिद्दीकहसन कमेटी और परिपूर्णानन्द कमेटी की जो रिपोर्ट छपी है उसमें से उनकी कितनी सिफारिशें लागू की गयी हैं ? और जो नहीं लागू हो सकीं, उनका क्या कारण है ?

श्री महावीरसिंह—सिद्दीक हसन कमेटी के बारे में अभी अर्ज किया जा चुका है, और दूसरी कमेटी के बारे में जो आपने फरमाया, क्योंकि वह सब-कमेटी थी और उसका मेन कमेटी की रिपोर्ट में इंकारपोरेशन नहीं हुआ था इसलिये उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। एक दूसरी सब-कमेटी नियुक्त हुई है श्री पालीवाल जी के नेतृत्व में और उसी की रिपोर्ट आने पर सब चीजें देखी जायंगी।

श्री रामायणराय—उस कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए क्या सरकार रिहन्द डैम के ठेके के प्रश्न पर फिर से विचार करने की कृपा करेगी कि वह रद्द कर दिया जाय ?

श्री गिरधारीलाल—रद्द करने की कोई ताकत और गुंजायश इसमें नहीं है, लेकिन खटीमा पावर हाउस में जो कमी थी वह सब यहां पर दूर की जा रही हैं और जो काम हो रहा है वह सरकार के सेटिस्फैक्शन के माफिक है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी रिपोर्ट का पैरा ७ (१३) जो निम्न प्रकार है, को ध्यान में रखेंगे और बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हमारे इंजीनियर अभी भी पता नहीं लगा सक रहे हैं :—

"7(13) As regards the other defects, the engineers of the Electricity Department are not in a position to say with certainty whether sand and silt are still finding their way into the guide vane and shutter vane bushes. The changes made by the company have reduced this to the extent that there is no external evidence of silt and water passing through, but it is not possible to say whether silt has entered the bushes and is thereby causing unusual wear and tear." ?

श्री महावीरसिंह—यह तो उस समय की बात है कि जब कमेटी थी। उसके बाद आज तक तो बहुत आगे बढ़ाया जा चुका है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि खटीमा पावर हाउस में जिन इंजीनियरों के खिलाफ गबन का आरोप था वही फिर बुलाये गये हैं ?

श्री महावीरसिंह—यह तो आपने मान लिया। यह तो वैसा ही प्रश्न है कि क्या तुमने अपनी मां को मारना बन्द कर दिया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जिन इंजीनियरों के बारे में शक किया गया था, एक सिद्दीक हसन साहब को छोड़ कर बाकी वही सब फिर अपना लिये गये जिनका काम ठीक नहीं था ? जो उस काम के कराने वाले थे वही जांच की अथारिटी क्यों बना दिये गये ?

श्री महावीरसिंह—मैं समझता हूं कि शायद माननीय सदस्य ने ध्यान नहीं दिया प्रश्न और उसके उत्तर की तरफ। ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या कमेटी में जिन लोगों के नाम हैं, माथुर, के० सी० गुप्ता, मि० चैटर्जी, चीफ इंजीनियर, इन्हीं लोगों के जिम्मे इसका बनवाना नहीं था ?

श्री महावीरसिंह—माथुर साहब थे ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी को यह भी अभी तक मालूम नहीं हो सका कि कौन-कौन इन्चार्ज थे ?

श्री महावीरसिंह—उसमें सब बातें हैं, अगर रिपोर्ट अच्छी तरह से पढ़ ली जाय तो ये बातें क्लियर हो जायंगी।

राज्य में अनेक बांधों के निर्माण कार्य में अनुमान से अधिक व्यय लगने पर आपत्ति

*६—श्री गोविन्द सिंह विष्ट—क्या सरकार रिहन्द डैम, माताटीला डैम, सारदा हाइडेल प्रोजेक्ट और खटीमा पावर हाउस में प्रथम तखमीने से अत्यधिक बढ़े हुए खर्चों को देखते हुए इस सम्बन्ध में कोई जांच कमेटी बिठा रही है ? क्या अब तक इनकी जांच की कोई रिपोर्ट उपलब्ध है ? अगर हां, तो क्या सरकार उनकी एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेगी ?

श्री महावीरसिंह—केवल माताटीला सिंचाई योजना के बढ़े हुए तखमीनों के कारणों की जांच करने के लिये सरकार ने एक जांच समिति नियुक्त की थी। अभी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रिपोर्ट बनाना कब से उनके सुपुर्द है और कबतक यह काम खत्म होने की उनको आशा है ?

श्री महावीरसिंह—मई, १९५९ तक आशा थी कि आ जायगी लेकिन अभीतक नहीं आयी है। उम्मीद है कि जल्दी आ जायगी।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस तरह से एस्टीमेट बढ़ जाने का कारण क्या हो सकता है ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस कम्पनी को खटीमा पावर हाउस बनाने का ठेका दिया गया था उसी को रिहंद डैम का ठेका दिया गया है ?

श्री महावीरसिंह—पूरी रामायण हो गयी, मैं समझता हूं उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—वह तो ठीक है, लेकिन वह उत्तर चाहेंगे। फिर से माननीय सदस्य प्रश्न करें।

श्री ऊदल—जब खटीमा पावर हाउस में उस कम्पनी की जांच हो रही है जिसने उसे बनाया तो इस रिहन्द डैम का ठेका उसको क्यों दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब तो दिया जा चुका है, पहले सवाल के जवाब में।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—ओरिजिनल एस्टीमेट से वृद्धि जिस वक्त होती है और मुकामी अफसर मांग करते हैं तो कौन यहां से स्वीकृति देता है और उसकी स्वीकृति देते वक्त सरकार कुछ ध्यान रखती है कि ओरिजिनल एस्टीमेट से यह मांग ज्यादा मांगी गयी है ?

श्री महावीरसिंह—जी हां, इस सम्बन्ध में कायदे के अनुसार काम होता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार को ज्ञात है कि खटीमा पावर हाउस का जिस कम्पनी ने ठेका लिया है उसको साढ़े आठ लाख रुपया ऐडवांस दे दिया गया जब कि अभी तक काम शुरू नहीं हुआ ?

श्री महावीरसिंह—यह जानकारी तो माननीय सदस्य को जरूर होगी, हम लोगों को इत्तला नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द डैम और शारदा हाईडल प्रोजेक्ट में जो पहले एस्टीमेट लगाया गया था उससे कितना एस्टीमेट बढ़ गया है और क्या उस बढ़ोत्तरी की जांच करने के लिये सरकार कोई कमेटी बैठायेगी ?

श्री महावीरसिंह—बढ़ तो गया है। कमेटी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब बातें नोटिस में आने पर काम होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस रिपोर्ट के सफा १२ के मुताबिक, ओरिजिनल एस्टीमेट २,८९ लाख था, उसके बाद ५ करोड़ ५ लाख रुपया अकेले सिविल वर्क्स में खर्च हो गया है, सरकार इसका कारण बताने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह किस प्रोजेक्ट के बारे में है ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जो सवाल हुआ है खटीमा वाला। तो यह जो खर्चा ओरिजिनल से दुगना, तिगुना ज्यादा बढ़ गया उसके कारण क्या हैं ?

श्री महावीरसिंह—बीच में बन्द हो गया था और उसके बाद कीमतें बढ़ गयीं और कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट भी करना पड़ा।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—जिस वक्त ओरिजिनल एस्टीमेट बना था उसके बाद बन्द हो गया, तो बीच में कितनी और चीजें बढ़ गयीं ?

श्री महावीरसिंह—दरों से तो माननीय सदस्य वाकिफ होंगे ही और जो चीजें लगती हैं उनके दाम भी उसी हिसाब से बढ़ गये।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस कम्पनी को अब रिहन्द डैम का ठेका दिया गया है उसको जब खटीमा पावर हाउस का ठेका दिया गया था तो काम शुरू होने के पहले साढ़े ८ लाख रुपया पेशगी दे दिया गया था ?

श्री महावीरसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

*७–८—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—[स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बन्धित ९ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न ३–४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

माता टीला बांध को आंशिक क्षति

*९—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध के नीचे जो वकेट व पिचिंग थी वह उखड़ गई है ? यदि हां, तो क्यों ? और उसमें क्या लागत लगी थी ?

श्री महावीरसिंह—जी हां। फर्श व दीवारों के कुछ हिस्से के पत्थर उखड़ गये थे। यह हानि १९५८ में बांध के ऊपर से बाढ़ के पानी के गिरने के जोर से हुई। लागत २५ लाख रुपये की थी।

*१०—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त बकेट व पिंचिंग फिर बनवाई जा रही है? यदि हां, तो उसका एस्टीमेट कितने रुपये का है?

श्री महावीरसिंह—जी हां, ११ लाख रुपये का।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बकेट और पिंचिंग का जो हिस्सा उखड़ गया है उसका कितना रकबा है और उसके उखड़ जाने की वजह से कितनी क्षति हुई?

श्री महावीरसिंह—३ लाख की क्षति हुई। रकबा नोटिस पर बताया जा सकेगा।

श्री लक्ष्मणराव कदम—जो क्षति हुई है उसके लिये कौन जिम्मेदार है? और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?

श्री महावीरसिंह—जो कमेटी बैठी है वह यह भी देख लेगी।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस वक्त बांध बनाने की योजना बनी थी उस वक्त इस बाढ़ की कल्पना नहीं की गई थी कि इतने फिट तक पानी आ सकता है?

श्री महावीरसिंह—खुदाई करामात के ऊपर कोई काबू नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो बकेट और पिंचिंग बनवाई जा रही है और उसका जो एस्टीमेट तैयार हुआ वह क्या बन गई है या बन रही है और अगर बन रही है तो कितनी देर है और अब तक कितना खर्चा हो चुका है?

श्री महावीरसिंह—यह सब चीजें जून, १९५९ तक कम्पलीट हो चुकी हैं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो बकेट अभी नयी बनी हैं वह सबकी सब इस वर्ष बाढ़ में बह कर चली गई, जो नयी बकेट बनीं वह एक इंच भी अब बाकी नहीं हैं?

श्री महावीरसिंह—इसकी सूचना नहीं है। जब अभी पानी भरा है तो कैसे पता लगेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मंत्री जी ने अभी कहा कि बकेट और पिंचिंग जून में बन गई हैं तो क्या वह मेहरबानी करके बतायेंगे कि उसके बनने का जो एस्टीमेट था उसके अन्दर वह बनी हैं या कुछ ज्यादा खर्चा हुआ? और अगर ज्यादा खर्चा हुआ तो कितना?

श्री महावीरसिंह—अनुमानित खर्चा ११ लाख का था और जहां तक अन्दाजा है इसके अन्दर ही बन गई।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि इन बकेटों के बह जाने का एक मुख्य कारण यह है कि पानी बरसने की १५ जून तारीख होती है, लेकिन वहां पर १४ जुलाई तक काम रुका रहा और १५ जुलाई को पानी आ जाने के बाद सारे बकेट बह गये?

श्री महावीरसिंह—इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस बांध के बकेट और पिंचिंग बह जाने से जो नुकसान हुआ उसके लिये पहले ११ लाख का एस्टीमेट था वह फिर बना रहा या कुछ बढ़ाकर एस्टीमेट बनाया गया ?

श्री महावीरसिंह---जो नया एस्टीमेट बना उसी के लिये मैंने ११ लाख बताया।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसके पहले का क्या एस्टीमेट था और उससे यह ११ लाख ज्यादा है या कम है ?

श्री महावीरसिंह---पहले २५ लाख की लागत का अन्दाजा था।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जिन्होंने उस बांध के बह जाने के बाद अभीतक सरकार को सूचना नहीं दी ?

श्री गिरधारीलाल---जैसा कि बतलाया गया इसके सिलसिले में एक कमेटी बैठी है पी० डब्ल्यू० डी० के चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में, वह इंक्वायरी कर रही है उसके बाद ही कुछ हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष---उनका सवाल यह है कि एक दफे २५ लाख में बकेट और पिंचिंग बने और वह बह गये और ११ लाख में फिर बने। श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी चूंकि वहां के रहने वाले हैं, वह कहते हैं कि वह भी फिर से बह गये, तो वह दुबारा भी बह गये, इसकी खबर सरकार को नहीं मिली, इसका कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं है। सरकार को खबर क्यों नहीं मिली, इसका क्या जवाब है ?

श्री महावीरसिंह---नोटिस की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष---इसके बारे में, मैं समझता हूं, नोटिस की जरूरत नहीं है। नोटिस तो आपको मिल ही गया है। आप चाहें तो जवाब नोटिस के बाद दें लेकिन इंक्वायरी कराने के लिये आपको वायदा करना था उसे आप करा देंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा---२५ लाख रुपया लगने के बाद ११ लाख का एस्टीमेट किसने बनाया और किन कारणों से बनाया ?

श्री गिरधारीलाल---पहले नीचे का बकेट टूटने पर यह सोचा गया कि उसमें क्या खामियां थीं। इस लिए वहां एक काफी मजबूत चीज बनवाने का खयाल किया गया जिसकी कास्ट ११ लाख थी।

श्री देवनारायण भारतीय---जिन इंजीनियरों की गलती से दो, बार बकेट बहे सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री महावीरसिंह---पता लगाने पर जरूर ऐक्शन लिया जायगा।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री इस बात का आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि वे इसका पता लगाकर शीघ्र ही सदन को बतलावेंगे ?

श्री महावीरसिंह---पता लगाकर जरूर बतलाया जायगा।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार इस बात का पता लगावेगी कि जो बकेट टूटे हुए बतलाये गये थे उनमें से पहले बहुत से पत्थर निकले और नये इंजीनियर ने सबको तुड़वाकर फिर से बनवाया ?

श्री महावीरसिंह---इसकी सूचना नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---ये कार्य किसी कम्पनी ने किया या विभाग ने किया ?

श्री महावीरसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

ओवरा ग्राम के निकट बांध बनाने की योजना

*११—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या रिहन्द बांध से कुछ फासले पर ओवरा ग्राम के समीप एक दूसरे बांध के बनाने की योजना है? यदि हां, तो उसमें कितना व्यय होगा तथा उससे कितनी बिजली तैयार होगी?

श्री महावीरसिंह—जी हां। अभी जांच-पड़ताल की जा रही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रिहन्द बांध के पास ही दूसरा बांध बनवाने के क्या खास कारण हैं?

श्री गिरधारीलाल—बिजली की जरूरत है। जितनी ज्यादा बिजली मिलेगी उतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिये इस्तेमाल हो सकेगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—दूसरे बांध के खर्चे का तखमीना कितना है?

श्री महावीरसिंह—अभी तो प्रिलिमिनरी सर्वे और सरफेस एक्सप्लोरेशन्स् कराये जा रहे हैं। इसके लिये ३,०४,९०० रुपया ग्रान्ट किया गया है।

श्री उग्रसेन—यह सर्वे किस तारीख से कराया जा रहा है और अभी तक उस पर कितना खर्चा हुआ है?

श्री महावीरसिंह—इसकी जानकारी नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पहले बांध, रिहन्द का तो पानी हमारे सिंचाई के काम में नहीं आता है, तो क्या ओवरा का पानी काम आवेगा?

श्री गिरधारीलाल—सिंचाई के काम में नहीं आवेगा।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रिहन्द बांध की बिजली तो बिरला को दी गई, दूसरे बांध की बिजली किस पूंजीपति को दी जायगी?

श्री गिरधारीलाल—जैसी प्रान्त की आवश्यकता होगी वैसी ही फैक्ट्रीज इत्यादि को दी जायगी। तभी इसका फैसला होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या दूसरे बांध की योजना का कारण यह था कि रिहन्द बांध के मुख्य इंजीनियर ने सरकार से सिफारिश की कि यहां बांध बनवाने पर सस्ती बिजली पैदा हो सकती है और उसका उन्होंने एस्टीमेट भी सरकार को दिया है कि इतने लाख किलोवाट बिजली बनाई जा सकती है?

श्री गिरधारीलाल—वह बात ठीक है कि कुछ इंजीनियर्स की सलाह है कि जो पानी रिहन्द से निकल कर आगे को बहेगा उसे दूसरे डैम के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा खयाल है कि २५,००० किलोवाट बिजली वहां पैदा होगी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या ओवरा की बिजली रिहन्द की बिजली से यानी सन् १९६२ के पहले मिल जायेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं ओवरा बांध के सम्बन्ध में २, ४ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। ओवरा बांध बनाने की योजना आज से नहीं, कई वर्षों से चल रही है। शुरू से ही हमारा यह ख्याल था कि रिहन्द के पानी का, जो बिहार जायगा, इस्तेमाल कम से कम एक जगह, ओवरा पर, और किया जा सकता है। भारत सरकार से हमारी बहुत दिनों से लिखा-पढ़ी चल रही थी और थर्ड फाइव ईयर प्लान में इसे शामिल कर लेना स्वीकार कर लिया गया है। हमें उम्मीद है कि शामिल हो जायगा। इसलिये तत्काल उस पर हमको हाथ लगाने की जरूरत पड़ी कि रिहन्द का पानी बह निकलने पर ओवरा के लिये आवश्यक कार्यवाही नहीं हो सकेगी। जमीन को ठीक करने का काम हाथ में ले लिया गया है ताकि ओवरा से काम लिया जा सके। थर्ड प्लान में शामिल होने से जाहिर है कि उसकी बिजली रिहन्द के बाद मिलेगी।

श्री प्रतापसिंह—२५,००० किलोवाट बिजली की खपत की सरकार के पास क्या योजना है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उस वक्त जैसी मांग होगी वैसा खर्चा होगा।

*१२-१४—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बन्धित २ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न २६-२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कोड़िया क्षेत्र में भूमिहीनों को भूमि देने के लिये अध्यक्ष, कृषक यूनियन, काशीरामपुर का प्रार्थना-पत्र

*१५—श्री गरीब दास (जिला जालौन)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या अध्यक्ष कृषक यूनियन, काशीरामपुर, कोटद्वारा (गढ़वाल) की ओर से कोड़िया रेंज, जिला बिजनौर में भूमिहीनों को भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में दिनांक १० जून, १९५९ को कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को दिया गया है?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां।

*१६—श्री गरीबदास—यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रार्थना-पत्र पर विचार किया गया और उसे अस्वीकृत कर दिया गया।

श्री गरीबदास—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोड़िया रेंज में कुछ व्यक्तियों को बड़े-बड़े फार्म दे दिये गये हैं जिनमें सुचारूरूप से कृषि नहीं हो सकती है?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अगर दे दी गई है तो नये कानून में वे सब कटकर छोटे हो जायेंगे।

श्री गरीबदास—क्या यह सही है कि स्थानीय भूमिहीनों ने डी० एफ० ओ० और सरकार से यहां जमीन लेने के लिये दरख्वास्तें दीं और जमीनें उनको न देकर बाहरी आदमियों को दे दी गई हैं?

श्री सैयद अली जहीर—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है कि जंगल विभाग ने किसी को जमीन दी है।

श्री प्रतापसिंह—जो प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किया गया है वह इसलिये किया गया कि वहां और जमीन नहीं है या पहले से ही किसी को एलाट कर दी गई थी?

श्री सैयद अली जहीर—वह इसलिये अस्वीकृत किया गया कि वहां पर जंगल लगे हुये हैं और जंगल का कटवाना मसलहत के खिलाफ है।

*१७–१८—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—[स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बन्धित २ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न २९–३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गये।]

*१९–श्री सजीवनलाल—[स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बन्धित २ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२०–२१–श्री गोविन्दसिंह विष्ट—[स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बन्धित २ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न ३२–३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२२–राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—[स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बन्धित २ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

वन विभाग, गोरखपुर में तीसरी व चौथी श्रेणी के अस्थायी हरिजन व बैकवर्ड कर्मचारी

*२३–श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वक्त वन विभाग, गोरखपुर में कुल कितने कर्मचारी III और IV Grade में कार्य कर रहे हैं, उनमें कितने हरिजन और बैकवर्ड जाति के हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस वक्त वन विभाग गोरखपुर में III और IV Grade में क्रमशः १०९ व ११२ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इनमें से III Grade में क्रमशः २ और ८ व IV Grade में क्रमशः ४ और ४६ हरिजन और बैकवर्ड जाति के हैं।

*२४–श्री अब्दुलरऊफ लारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त विभाग के कर्मचारियों में कितने ऐसे हैं जो ५ साल व १० साल से ज्यादा दिनों से काम कर रहे हैं और अब तक अस्थायी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—१५ कर्मचारी १० साल से ज्यादा और २४ कर्मचारी ५ साल से ज्यादा किन्तु १० साल से कम समय से काम कर रहे हैं और अस्थाई हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड में परिगणित जाति के लोग कम क्यों लिये गये हैं जब कि उनका परसेंटेज १८ प्रतिशत है ?

श्री सैयद अली जहीर—इसकी वजह यह है कि जो दरख्वातें मांगी जाती हैं उनमें रिक्वायर्ड कवालीफिकेशन्स के लोग नहीं आ पाते हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—थर्ड और फोर्थ ग्रेड के लिये किन क्वालीफिकेशन्स की जरूरत होती है जो नहीं मिली ?

श्री सैयद अली जहीर—अलहदा-अलहदा जगहों के लिये क्या-क्या क्वालीफिकेशन्स है, यह तो मुझे इस वक्त मालूम नहीं बहरहाल जो लोग उनकी तकर्रुरी करते हैं वे बराबर इस बात की कोशिश करते हैं कि उनकी तादाद पूरी हो जाय।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की सूचना मंगायेंगे कि जो दरख्वास्तें आती हैं उनमें बहुत सी ऐसी होती हैं जिसमें मिनीमम क्वालीफिकेशन होती है लेकिन वे इसलिये नहीं लिये जाते कि उनकी सिफारिश नहीं होती ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे ख्याल में यह सिफारिश वाला मामला तो सही नहीं है। बहरहाल दरख्वास्तों पर गौर किया गया। अब कम हुए या ज्यादा हुए इसके बारे में जांच करा लूंगा।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि ५–१० साल से अब तक कुछ कर्मचारी अस्थायी क्यों हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—बाज-बाज जगहें तो ऐसी हैं जो परमानेंट ही नहीं है इसलिये उन पर स्थायी नियुक्ति नहीं की जा सकी। दूसरी वजह यह है कि बाज लोगों के रिकार्ड अच्छे नहीं हैं। कायदा ऐसा है कि २–३ साल का रिकार्ड जब अच्छा हो जाता है तब मुस्तकिल किया जाता है वरना नहीं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि नियुक्ति करने वाले कर्मचारियों ने १८ प्रतिशत का हरिजन और बैकवर्ड क्लासेज का कोटा पूरा करने का प्रयास किया तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उन्होंने कौन-सा प्रयास किया ?

श्री सैयद अली जहीर—कोशिश की तफसील तो मैं बता नहीं सकता लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर की।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले साल उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि स्थायीकरण में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनकी जांच कर रहा हूं, जल्दी ही इन्तजाम किया जायगा कि यह गड़बड़ी खत्म हो जाय, इसके बारे में क्या हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो नहीं मालूम। उस वक्त कुछ ज्यादा रहे होंगे, कुछ स्थायी हो गये होंगे, लेकिन इतने फिर भी बच रहे, इसका क्या इलाज है।

श्री गेंदासिंह—जिस खास मामले में मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, इसमें कितनी दरख्वास्तें आयी थीं बैकवर्ड और हरजिन लोगों की और उनमें से कितने लोग नियुक्त किये गये ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तफशील तो मेरे पास नहीं है। १०–१२–१५ वर्ष से ये नियुक्तियां चल रही हैं इसलिये यह तफसील देना मुमकिन नहीं है।

इलाहाबाद में दारागंज-झूंसी मार्ग पर पीपों का पुल

*२५—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतावेगी कि इलाहाबाद के दारागंज से झूंसी जाने वाले रेलवे पुल पर यातायात के प्रबन्ध हो जाने से वहां का पैन्टून ब्रिज इस वर्ष नहीं बनाया जायेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महावीरसिंह—जी नहीं, पैन्टून ब्रिज इस वर्ष बनाया जायेगा।

*२६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि इलाहाबाद के पैन्टून ब्रिज में १९५७–५८ में उस को बनाने में कितना व्यय हुआ था ?

श्री महावीरसिंह—७७,४९२ रु०।

*२७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि इलाहाबाद में जो पुल दारागंज से झूसी जाने वाले रेलवे ब्रिज में यातायात के लिये बनाया गया है उस पर सवारी मोटर भी चलने का प्रबन्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महावीर सिंह—जी नहीं, क्योंकि दारागंज से झूंसी जाने वाले रेलवे पुल पर केवल पैदल यात्रियों के चलने के लिये ४ फुट चौड़ा रास्ता बनाया गया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार इस पुल को जिस पर प्रति वर्ष ७७,४९२ रु० व्यय हो जाता है, इसे हटा कर कोई स्थायी रूप से लोहे का पुल चलने के लिये और सवारी के लिये बनाने का इरादा करती है ?

श्री महावीरसिंह—मांग तो बहुत दिनों से है। इस पुल के निर्माण कार्य में करीब डेढ़ करोड़ रुपया लगेगा, धनाभाव के कारण अभी यह सम्भव नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो ४ फीट चौड़ा रास्ता बनाया गया है, यह ठीक होगा ? क्योंकि एक तरफ कोई रास्ता चलने के लिय बनाया जाय और दूसरी तरफ कोई रास्ता न हो तो ४ फीट के रास्ते में कंजेशन हो जायगा जिससे ट्रेजडी होने की भी आशंका है ?

श्री महावीरसिंह—वह तो पदयात्रियों के लिये है। ४ फीट का रास्ता काफी होता है।

*२८—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**—[स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बन्धित २ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।

बांदा जिले में वन विभाग का क्षेत्र

*२९—**श्री जगपतिसिंह** (जिला बांदा)—क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में जमींदारी विनाश के पहले कितना रकबा बन विभाग का था और अब कितना है ?

श्री रामस्वरूप यादव—बांदा जिले में जमींदारी विनाश के पूर्व ५६,६४३.७३ एकड़ रकबा बन विभाग का था और अब १,७४,९१०.७३ एकड़ है।

श्री जगपतिसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इतना बड़ा क्षेत्र जो जमीदारों के हाथ से सरकार के हाथ में आया है, उसमें उसने जलाशय और फलदार वृक्ष आदि की अब तक क्या प्रगति की है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो जंगल का रकबा है, आबादी का रकबा तो है नहीं।

श्री जगपतिसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि वहां पर जंगल में बहुत दूर-दूर तक पानी नहीं मिलता है जिससे लोगों को कष्ट होता है ?

श्री सैयद अली जहीर—सम्भव है न मिलता होगा, लेकिन जंगलात तो बहुत पुराने हैं। सरकार के पास आ जाने से यह जरूरी नहीं है कि हम वहां पानी का भी इन्तजाम करें।

वाराणसी जिले में नालों के खोदने की योजना

*३०—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मच्छताल, परगना कोल असला, जिला वाराणसी पिंडराकोट ड्रेन, पिंडरा ड्रेन थाने रामपुर ड्रेन को बाढ़ विभाग की तरफ से खोदा जा रहा है ? यदि हां, तो उपरोक्त नालों को खोदने के लिये कितना रुपया मंजूर किया गया है ?

श्री महावीरसिंह—हां, इन नालों को सिंचाई विभाग द्वारा बनवाया जा रहा है। इन नालों को खोदने के लिये जो रुपया मंजूर किया गया है, वह इस प्रकार है :

	रु०
मच्छताल ड्रेन	१७,०००
पिन्डरा कोट ड्रेन	१२,०००
पिन्डरा ड्रेन	९,०००
थाना रामपुर ड्रेन	५,०००

*३१—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मजोखरा ताल, गांव बसनी, परगना कोल असला, जिला बाराणसी में नाला खोद कर पानी निकालने की कोई योजना सरकार ने बनायीं है ? यदि हां, तो इस पर कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री महावीरसिंह—जी हां, उसका इस्टीमेट अभी बन रहा है और कितना रुपया खर्च होगा अभी कहा नहीं जा सकता ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नाले की खुदाई के लिये जमीन एक्वायर करना बहुत जरूरी है, तो क्या जमीन एक्वायर कर ली गयी है ?

श्री महावीरसिंह—जो बन गया है उसके लिये तो सम्भवतः कर ली गयी है और जिसका अभी एस्टिमेट बन रहा है, वह एस्टिमेट बनने के बाद की जायगी ।

सिकन्दरपुर व मनियर टाउन एरियाओं को बिजली देने की प्रार्थना

*३२—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बलिया जिले के अन्तर्गत सिकन्दरपुर टाउन एरिया तथा मनियर टाउन एरिया में सरकार द्वारा बिजली लगाने का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री महावीरसिंह—जी नहीं ।

*३३—श्री जगन्नाथ चौधरी—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जायेगा ?

श्री महावीरसिंह—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि सिकन्दरपुर मनियर टाउन एरिया में बिजली के लिये सर्वे की कार्यवाही की गई है और वहां की आवश्यकता को देखते हुये सर्वे करने वालों ने वहां बिजली लगाने की रिपोर्ट दी है ?

श्री महावीर सिंह—जहांतक हमें मालूम है कोई रिपोर्ट नहीं दी ।

सिंचाई विभाग में ड्राफ्ट्समैनों को स्थायी करने की सिफारिश

*३४—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या यह सच है कि प्रदेश में लगभग ५० ऐसी जगहें सिंचाई विभाग में रिक्त पड़ी हुई हैं जिन पर ड्राफ्ट्समैनों को confirm करने के लिये सरकार काफी दिनों से सोच रही है ? यदि हां, तो अब तक निर्णय क्यों नहीं किया गया ?

श्री महावीरसिंह—जी हां । लगभग ४१ जगहों पर draftsmen को स्थायी करने का विषय विचाराधीन है । इसके लिये एक Provincial Seniority List बनानी है, जिसके लिये आवश्यक सूचना तमाम डिवीजनों तथा सर्किलों से एकत्रित करनी पड़ी । जिसमें काफी समय लगा । इसके अतिरिक्त draftsmen से प्राप्त विभिन्न प्रकार के अभ्यावेदनों और आपत्तियों पर विचार करने में भी अधिक समय लग रहा है ।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या मंत्री जी को मालूम है कि सन् ५८ में ७ ड्राफ्ट्समैन को स्थायी किया गया है ?

श्री महावीरसिंह—यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है, अभी फाइनली नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी प्राविन्शियल लिस्ट रिकास्ट की जा रही है, जब तक वह तैयार न हो जाय तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो ४१ स्थान अस्थायी हैं उनको स्थायी करने के लिये कौन-कौन उपाय सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री महावीरसिंह—मैंने अर्ज किया कि अभी लिस्ट बनाई जा रही है, जूनियारिटी व सीनियारिटी आदि देखी जा रही है और यह कि असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन की कौन सी सर्विसेज किस तरह से काउन्ट की जायं, यह सब सवाल अभी विचाराधीन हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—यह चीज कब से विचाराधीन है और कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री महावीरसिंह—कोशिश तो जल्दी करने की की जा रही है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मन्त्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि जिन ४१ जगहों को स्थायी करने का विचार है वह लोग कितने वर्षों से सिंचाई विभाग में ऐज ड्राफ्ट्समैन काम कर रहे हैं ?

श्री महावीरसिंह—काफी अरसे से काम कर रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जब वह लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं तो उनके आज तक स्थायी न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने बता दिया।

श्री शिवप्रसाद नागर—इस प्रश्न में यह है कि स्थान रिक्त पड़े हैं और उसके नीचे है कि वह स्थान स्थायी कब किये जायंगे, तो मंत्री जी कृपया यह बतायें कि वह रिक्त पड़े हैं या भर गये ?

श्री गिरधारीलाल—स्थायी केडर में स्थान रिक्त हैं लेकिन लोग काम कर रहे हैं जब कन्फर्म किया जायगा तो दूसरे लोग उन स्थानों पर आ जायंगे, यह अन्तर है।

सरना मुरादनगर का नलकूप

*३५—श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरना मुरादनगर, जिला मेरठ का नलकूप कब चलना शुरू हुआ ? शुरू में उस का डिस्चार्ज (discharge) क्या था और ३० जून, १९५९ को क्या था ?

श्री महावीरसिंह—यह नलकूप १६-३-५६ से चलना आरम्भ हुआ है। उस समय इसका डिस्चार्ज (discharge) ३१,००० गैलन प्रति घंटा था, और ३० जून, १९५९ को ३७,६२३ गैलन प्रति घंटा था।

श्री तेजासिंह—क्या मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इस नल कूप के संबंध में किसानों की ओर से उनके पास ऐसी शिकायतें पहुंची हैं कि नालियों की खराबी की वजह से यह कुआं पूरे डिस्चार्ज पर नहीं चलाया जाता ?

श्री महावीरसिंह—ऐसी कोई शिकायत नहीं पहुंची है।

श्री तेजासिंह—क्या आप के पास कोई इस तरह की शिकायत पहुंची है कि इस ट्यूबवेल पर अभी तक ओसराबन्दी नहीं हुई और वहां आपरेटर, लोगों से अलग-अलग पैसा लेकर उनको पानी देता है ?

श्री गिरधारीलाल—यहां इस तरह की कोई इत्तला नहीं आई।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार इस बात की जांच कराएगी कि नलकूप का जो डिस्चार्ज पहले था वह कम क्यों हो गया ?

श्री महावीरसिंह—बढ़ गया है, घटा नहीं है।

*३६—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[हटा दिया गया।]

*३७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बन्धित २ सितम्बर, १९५९ के लिए प्रश्न ३६ क अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

खीरी जिले के वन विभाग के ठेकेदारों का मांग-पत्र

*३८—श्री प्रतापसिंह—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखीमपुर-खीरी को बन विभाग के ठेकदारों न कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को हाल में दिया ह? यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांग क्या ह और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, उनकी प्रमुख मांगें यह हैं:

(१) कि १९५९-६० के लाटों से निकलने वाली जलाने की लकड़ी पर नियंत्रण न लगाया जाये। अतः १९५९-६० की लाटों क चट्टों की जलाने वाली लकड़ी का अलाटमेंट न किया जाय।

(२) कि ठेकेदारों के स्तीफा देने के समय जमानत का रुपया ठेके की कीमत में पूर्णरूप स मुजरा किया जाय। १० फीसदी जमानत आगामी वर्ष के लिये न रोकी जाय।

(३) कि इकरारनामे की धारा ९ (अ) के अनुसार कोई भी ठेकेदार अपनी इमारती तथा जलाने वाली लकड़ी के स्टाक का बीमा कराने को तयार नहीं ह। इस धारा को इकरारनामे से हटा दिया जाय। यह मांगें अधिकतर मान ली गई हैं।

*३९—श्री प्रतापसिंह—क्या वित्त मन्त्री को यह भी ज्ञात है कि इस वर्ष वन विभाग क नीलामों में लखीमपुर-खीरी के ठेकेदारों ने हिस्सा नहीं लिया और उनका बाइकाट किया? यदि हां, तो उसका क्या कारण है?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, ठेकेदारों ने अपनी मांगों पर तत्कालिक अनुकूल उत्तर तथा निर्णय की मांग की जो कि सम्भव नहीं थी।

श्री प्रतापसिंह—उत्तर के भाग दो में लिखा है कि ठेकेदार ने स्तीफा देने के समय जमानत का रुपया ठेके की कीमत में पूर्ण रूप से मुजरा किया जाय, तो क्या यह सही ह कि पहल जो एग्रीमेंट होता था, उसमें प्रथा थी कि जो आखिरी कीमत उनसे ली जाती थी उसमें वह मुजरा किया जाता था? यदि हां, तो उसको बदलने का क्या कारण है?

श्री सैयद अली जहीर—बदलने का कारण यह है कि उन्होंने मांग की कि १० फीसदी जो रोका जाता है अगले साल के लिये वह न रोका जाय, इसलिये हमने उसे मान लिया।

श्री प्रतापसिंह—माननीय न्याय मंत्री जी इसे स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि पहले जो एग्रीमन्ट होता था उसमें लिखा रहता था कि जितनी जमानत ह वह, उसे जितना रुपया देना होगा उसमें मुजरा कर दिया जाय। तो जो यह प्रथा थी उसको बदलन का क्या कारण ह?

श्री सैयद अली जहीर—वह तो बदला गया था इसलिये कि कुछ रुपया उनका स्माल सविंग्ज वगैरह में इनवेस्ट कर दिया था। उसके लिये १० परसेंट रोकने की बात सोची गई थी कि उस पर सूद मिल जाएगा। लेकिन वह नहीं चाहते हैं तो उसको वापस कर देंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर-खीरी क ठकदारों ने जो बाइकाट किया था, उसके बाद दोबारा नीलाम किया गया या नहीं?

श्री सैयद अली जहीर—दोबारा नीलाम का इंतजाम हो रहा है?

*४०—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण ८ सितम्बर, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

फरेंदा तहसील में गांवों का ऊंचा किया जाना

*४१—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में फरेन्दा तहसील में जो १५१ ग्राम ऊंचे किये गये हैं उसमें कितने पूरे ऊंचे किये गये और कितने अधूरे ?

श्री महावीरसिंह—प्रश्न में कथित सभी ग्राम पूर्णतया ऊंचे किये जा चुके हैं।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो गांव ऊंचे किये गये हैं वह चौथाई और आधे ही ऊंचे किये गये हैं ? उनमें चौथाई और आधी ही मिट्टी डाली गई है ?

श्री महावीरसिंह—जी नहीं, जवाब में कहा गया है कि पूर्णतः ऊंचे किये जा चुके हैं।

श्री गौरीराम गुप्त—यह खबर गलत दी गई है, सही नहीं है। क्या सरकार उन गांवों को ऊंचा करने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—आप जरा बतावें। ऐसे कैसे गलत मान लें। यह तो कोई सवाल नहीं हुआ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि पूरे गांव ऊंचे होने से सरकार का क्या तात्पर्य है ?

श्री महावीरसिंह—फ्लड से बचाने के लिये।

श्री राजनारायण—वह कौन सी प्रक्रिया होगी जिससे यह समझा जाएगा कि यह गांव पूरे ऊंचे हो गये ?

श्री महावीरसिंह—फ्लड के स्तर से ज्यादा हो गया तो वह ऊंचा होता है।

श्री अध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) मैं समझता हूं कि आप प्रश्न साफ नहीं कर रहे हैं और न वह जवाब साफ दे रहे हैं।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो गांव ऊंचे किये जाते हैं उनमें जो घर हैं उनके चारों ओर तीन फीट, चार फीट मिट्टी डाली जाती है ?

श्री गिरधारीलाल—अध्यक्ष महोदय, गांवों को ऊंचा करने के लिये हमारे जो इंजीनियर्स हैं वे देखते हैं कि गांव इतना ऊंचा हो जाय कि बाहर का जो पानी है उससे रोक हो जाय। अलग-अलग गांव में अलग-अलग हाइट्स होंगी। कहीं ३ फीट, कहीं २ फीट और कहीं ४, ५ फीट तक भी हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—तो उसकी योजना है आप के पास ? योजना के हिसाब से हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—जिन गांवों को ऊंचा किया गया उनके घरों का लेविल नीचा रहने की वजह से बाढ़ के पानी से बचाव होने के बावजूद भी बरसात के पानी से घरों का बचाव नहीं हो सकता है, इस किस्म की कोई शिकायत आयी है ?

श्री गिरधारीलाल—इस किस्म की कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आयी।

श्री रामायणराय—इस प्रश्न को सूचना मान कर कि इन सभी ग्रामों को जो ऊंचा किया गया है वे फ्लड लेविल से नीचे हैं इसकी जांच करायेंगे मन्त्री जी।

श्री गिरधारीलाल—मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि पहले एक बार यहां कहा गया था कि आन पेपर कुछ गांव हैं लेकिन मौके पर मिले नहीं। क्या ऐसी बात तो नहीं है कि कुछ गांव इनमें से भी कहीं ऐग्जिस्ट ही न करते हों ?

श्री अध्यक्ष—शक के ऊपर सवाल नहीं होता।

श्री भीखालाल—क्या सरकार बतायेगी कि यह योजना केवल पूर्वी जिलों में ही लागू है या प्रदेश के और हिस्सों में भी लागू है ?

श्री गिरधारी लाल—जहां जरूरत पड़ती है वहां ऐसा किया जाता है।

राजनीतिक पीड़ितों को गृह निर्माणार्थ लकड़ी देने की प्रार्थना

*४२—**श्री गौरीराम गुप्त**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन राजनैतिक पीड़ितों का मकान सन् १९४२ में अंग्रेजी सरकार द्वारा गिरा दिया गया था उनको मकान बनवाने के लिये वन विभाग से सस्ते कीमत की लकड़ी दिलाने पर क्या वह विचार करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं अब १७ वर्ष बाद यह सवाल नहीं उठता।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार बतायेगी कि राजनैतिक पीड़ितों को सस्ती कीमत पर लकड़ी देने का विचार करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, सवाल था कि राजनीतिक पीड़ितों के मकान जिनको १९४२ में अंग्रेजी सरकार ने गिरा दिये थे तो उसके मुताल्लिक मैंने कहा कि इसका कोई सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—वह सिर्फ़ लकड़ी चाहते हैं।

श्री सैयद अली जहीर—इस वक्त अब लकड़ी का क्या सवाल है।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार जांच करेगी कि जिन लोगों के मकान १९४२ में अंग्रेजी सरकार ने गिरा दिये थे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मकान नहीं बनवा सके। उनको सस्ती कीमत पर लकड़ी देने का विचार करेगी ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जो १७ साल तक नहीं बना सके अब क्या बनायेंगे।

*४३—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[हटा दिया गया।]

अमान नाला तथा जमैठाताल से पानी निकालने की प्रार्थना

*४४—**श्री सुरथबहादुर शाह**—(जिला खीरी)—क्या यह सत्य है कि जिलाधीश खीरी ने सिंचाई विभाग, सीतापुर (Irrigation Department Sitapur) को कई बार और कई वर्षों से, सैदपुर-अमाननाला ड्रेन (Saidpur-Amannala Drain) तथा जमैठा के ताल के पानी को निकालने के विषय में लिखा है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री महावीर सिंह—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिला खीरी में अमान नाला, जमैठा और मोहम्मदाबाद तीन ताल ऐसे हैं जिनसे कई हजार एकड़ में वाटर लागिंग हो जाती है और इससे एक नाला निकला हुआ है जो कई सालों से साफ़ नहीं हुआ है ?

श्री महावीरसिंह—जवाब में आ गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री सुरथबहादुरशाह—एक बार स्थगित होने के बाद फिर यह सूचना दे दी गई है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह कब तक आशा करते हैं सूचना मिलने की ?

श्री महावीरसिंह—जल्दी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री सुरथबहादुरशाह—सूचना केवल यह है कि जिलाधीश ने इस विषय पर पत्र लिखा है या नहीं। क्या यह इतना मुश्किल है कि १ महीने इसमें पर्याप्त नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई और यदि नहीं तो क्यों नहीं हुयी, यह भी है उसके साथ।

श्री सुरथबहादुरशाह—यह तो उसी पत्र के साथ मालूम हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—आप सवाल करें।

श्री सुरथबहादुर शाह—इस विषय में कई पत्र लिखे गये थे ?

श्री महावीरसिंह—कई रिमाइंडर हो चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि जल्दी इसकी सूचना आ जायगी।

असावट बांध में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*४५—**श्री पब्बरराम** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि असावट बांध (गाजीपुर) में कुल कितनी जमीन किसानों से ली गई है ?

*४६—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन किसानों को जिनकी जमीन ली गई है मुआवजा अदा कर दिया गया है ? यदि हां, तो मुआवजा के रूप में कुल कितनी धन-राशि दी गई है ?

*४७—अगर उत्तर नकारात्मक है, तो देर का कारण क्या है ?

श्री महावीरसिंह—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

नलकूप नीभापुर से सिंचाई

*४८—**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नलकूप नीभापुर ब्लाक बादशाहपुर जौनपुर क द्वारा सन् १९५८-५९ की खरीफ तथा रबी की कितनी फसल की सिंचाई हुई और वह नलकूप कितने दिन चला तथा उसन प्रतिदिन औसतन कितने घंटे कार्य किया ?

*४९—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष मार्च से जून तक इस नलकूप द्वारा कितने एकड़ गन्ने की सिंचाई हुई और इस बीच उसने कुल कितने घंटे कार्य किया ?

श्री महावीरसिंह—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री नागेश्वरप्रसाद—नलकूप पर रहने वाले आपरेटर इस बात का कोई रजिस्टर रखते हैं कि कितने रकबे की सिंचाई हुई ?

श्री महावीरसिंह—आपरेटर तो मशीन का हिसाब रखते हैं।

श्री नागेश्वरप्रसाद—क्या नलकूपों पर इस किस्म की कोई व्यवस्था रहती है जिससे मालूम हो सके कि किस समय कितनी सिंचाई हुई और नलकूप कितने घंटे चला ?

श्री महावीरसिंह—कितने घंटे चला और कितना पानी निकला इसकी सूचना रहती है।

बलिया जिलान्तर्गत घाघरा का कटाव

*५०—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के अन्तर्गत नदी घाघरा के कटान से कौन-कौन गांव खतरे में आ गये हैं? तथा उनके रोक थाम के लिये अब तक कौनसी व्यवस्था की गई है?

श्री महावीरसिंह—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री जगन्नाथ चौधरी—सवाल किये हुए कितने दिन हुए और कितने दिनों के बाद सूचना एकत्रित हो पायगी?

श्री महावीरसिंह—कोशिश जल्दी एकत्रित करने की की जा रही है।

गोरखपुर जिले के लिये बाढ़ नियंत्रण योजना बनाने की प्रार्थना

*५१—श्री अब्दुलरऊफ लारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में बाढ़ नियंत्रण के लिये सरकार के पास कोई स्थायी योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो वह क्या है तथा कब से कार्यान्वित होने जा रही है।

श्री महावीरसिंह—जी नहीं।

*५२—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त जिले में बाढ़ के समय पर बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में यथाशीघ्र सहायता पहुंचाने के लिये सरकार के पास कौन-कौन से साधन हैं?

श्री महावीरसिंह—बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों के सहायतार्थ साधनों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १६६ पर)

*५३—श्री अब्दुलरऊफ लारी—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि विगत वर्ष में उक्त जिले में कोई बोट स्टीमर (इंजन से चलने वाली छोटी नाव) का प्रबन्ध किया गया था? यदि हां, तो इसमें कुल कितनी लागत लगी है तथा यह काम दे रहा है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महावीरसिंह—जी हां। गत वर्ष जिलाधीश गोरखपुर को एक जौली बोट (Jolly Boat) अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इलाहाबाद द्वारा दी गई थी। इस संबंध में अन्य सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार बतलायेगी कि इतने महत्वपूर्ण कार्य को वह क्यों रोके हुए हैं और उसके लिये क्यों योजना नहीं बना रही है?

श्री गिरधारी लाल—यह योजना का प्रश्न अलग है और यह धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है। वैसे जो योजना बनाई जाय जिले, सूबे और कमिश्नरी के लिये तो अरबों रुपये की जरूरत है। जहां कहीं इस तरह की एमर्जेंसी की बातें आती हैं उनको ले लेते हैं और जहांतक मुनासिब होता है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं।

श्री अब्दुलरऊफ लारी—सरकार के यहां प्राथमिकता देने का क्या तरीका है?

श्री गिरधारी लाल—फ्लड में प्रायरिटी की कोई बात नहीं। जिस वक्त जहां इस प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं तो उसमें हमारा और सबका यह फर्ज है कि उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करें और यह हमारे साधनों पर निर्भर करता है कि कितना हम उनको दूर कर पाते हैं और कितने स्थानों में हम पहुंच पाते हैं।

श्री गेंदासिंह—प्रश्न संख्या ५३ के संबंध में क्या यह नाव चल रही है यह सूचना भी सरकार को इस समय है या नहीं?

श्री महावीरसिंह—चल नहीं रही है।

प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में शिकायत

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं प्रश्नों के संबंध में पूछना चाहता हूं। अब संसदीय प्रथा के अनुसार अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वे मंत्री महोदय को हिदायत करें कि वे प्रश्नों का उत्तर तैयार हो कर दिया करें।

श्री अध्यक्ष---मैं बाजे बाजे समय उनसे कहता तो हूं।

श्री राजनारायण---आधा समय तो नष्ट हो जाता है।

श्री अध्यक्ष---यह राय की बात है। जहां मुझे प्रतीत होता है कि स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है तो मैं कहता हूं कि स्पष्ट उत्तर दे दिया जाय।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---श्रीमन्, प्रश्नों के संबंध में एक बात जानना चाहता हूं कि जिन प्रश्नों का यह उत्तर आ जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है तो क्या उन प्रश्नों के बारे में कोई दूसरी तिथि माननीय मंत्री जी की तरफ से निर्धारित होती है या हमें दूसरा प्रश्न देना चाहिये?

श्री अध्यक्ष---पहले तो यह होता था कि मंत्री जी का जब जवाब तैयार हो जाता था उस वक्त कार्यसूची में दर्ज करते थे, लेकिन अब हम १५-१५ रोज में दर्ज कर देते हैं जिससे लोगों को मालूम हो जाय कि इतने रोज तक उत्तर नहीं आया और अगर फिर भी उत्तर नहीं आता है तो दोबारा फिर हम १५ रोज के बाद रख देते हैं। इस तरह से सदन की नोटिस में बात आ जाती है।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---इस संबंध में मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, आपका ध्यान आज से तीन दिन पूर्व लोक सभा के अध्यक्ष की उस रूलिंग की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां इसी तरह का प्रश्न उठाया गया कि आया जिस दिन के लिये प्रश्न होता है उसका यथोचित उत्तर देने की पूर्ण जिम्मेदारी माननीय मंत्री पर है या बार बार ६-६ सवाल पूछे जायं और कहा जाय कि हमें नोटिस चाहिये। तो इस तरह से आदरणीय सदन का समय नष्ट होता है। मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---जो रूलिंग लोक सभा में हुई है उसमें अगर आपको गलतफहमी हो गयी तो मैं उसकी सफाई यहां नहीं करूंगा। आप हमारे कमरे में आयें। मैं समझता हूं वह रूलिंग दूसरी तरह की है, इस किस्म की नहीं है जैसी आप बताते हैं।

मोदीनगर के दो श्रमिकों की भूख हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे सामने दो कामरोको प्रस्ताव हैं। एक माननीय चन्द्रजीत यादव जी का और दूसरा माननीय विश्वेश्वरानन्द जी का है। माननीय चन्द्रजीत यादव जी का तो यह है कि मोदीनगर में दो श्रमिक सर्वश्री छोटेलाल और माताबदल गत २० अगस्त से श्रमिकों की कुछ मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी भूख हड़ताल का १३ वां दिन है। उनकी हालत चिन्ताजनक है। भूख हड़ताल के कारण पूरे नगर में क्षोभ का वातावरण उत्पन्न हो गया है। नगर में धारा १४४ लगा दी गयी है और पुलिस गश्त लगा रही है जिसके फलस्वरूप नगर का वातावरण अशान्त है और नागरिकों की साधारण दिनचर्या में बाधा उपस्थित हो गयी है। अतः सदन इस सार्वजनिक महत्व के आवश्यक एवं निश्चित प्रश्न पर विचार के लिये कार्य स्थगित करता है।

इसमें मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या कोई निश्चितता है? क्या यह भी सही है कि वहां दफा १४४ लगी हुई है?

मुख्यमंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जी हां, यह सही है कि अनशन हो रहा है और यह भी सही है कि दफा १४४ लगी हुई है।

श्री अध्यक्ष---इसमें यह भी कहा गया है कि वहां का वातावरण अशांत है और लोगों की दिनचर्या ठीक नहीं चल रही है। क्या यह बात भी सही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह बिल्कुल गलत है।

श्री अध्यक्ष---तो मैं समझता हूं कि यह थोड़ी-सी सूचना मिल गयी माननीय सदस्य को। जिस विषय पर ये बहस करना चाहते हैं वह भूख-हड़ताल है जो कि कामरोको का विषय तो हो नहीं सकता। अगर किसी मिल में स्ट्राइक हो गया हो वह भी कामरोको का विषय नहीं हो सकता। अगर वहां गड़बड़ी हो वह तो एक विषय हो सकता है जिसके बारे में मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि ऐसा नहीं है। तो अनिश्चितता के कारण मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---सी० आर० पी० सी० की दफा १४४ में लिखा है "व्हैन देयर इज एप्रिहेन्शन आफ ब्रीच आफ पीस" तब लगता है। तो जब एप्रिहेन्शन आफ ब्रीच आफ पीस ही नहीं है तो दफा १४४ कैसे लगा दी गयी?

श्री अध्यक्ष---अशांत वातावरण अब है नहीं, दफा १४४ के लगने के बाद वातावरण ठीक हो गया।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी इतनी सूचना और देने की कृपा करेंगे कि उनकी मांगें क्या हैं और उनके स्वीकार किये जाने में क्या दिक्कत है?

श्री अध्यक्ष---उस प्रस्ताव को मैंने स्वीकार ही नहीं किया। आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न द्वारा जानकारी हासिल कर सकते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---आपके द्वारा मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस मसले को सुलझा दें ताकि उनका जीवन तो बच जाय।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं।

किरावली तहसील में वाटर लागिंग के फलस्वरूप किसानों की भयंकर परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---माननीय विश्वेश्वरानन्द जी ने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था। मैंने उसको स्वीकार तो नहीं किया था, लेकिन राजस्व मंत्री जी से यह कहा था कि इस संबंध में सदन को सूचना दें। उन्होंने कल के लिये कहा था, लेकिन कल विश्वेश्वरानन्द जी चले गये थे। आज वे उपस्थित हैं। तो माननीय राजस्व मंत्री जी इस संबंध में सूचना दे दें।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल आगरा जिले में बारिश अधिक नहीं हुई। किरावली तहसील में विशेषकर औसत बारिश जुलाई के महीने में १०.८२ इंच तथा अगस्त में साढे आठ इंच हुई है। गत वर्ष दो लाख रुपया पानी निकासी के लिये मंजूर हुआ था उसमें से १८ योजनायें सिंचाई विभाग द्वारा चलाई गई थीं। ३० जून तक साढ़े अट्ठाइस मील तक काम पूरा हो गया था जिस से ३,२४०

एकड़ भूमि को लाभ पहुंचा। इनके अतिरिक्त जो और योजनायें ली गई थीं उनसे १,८५० एकड़ भूमि को लाभ पहुंचने की आशा है। वैस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन और दिव्बन ड्रेन को गहरी करने की योजना भी सरकार के विचाराधीन है। जिलाधिकारी, आगरा से सूचना मिली है कि किरावली तहसील में पानी जमा नहीं हुआ। वेस्टर्न डिप्रेशन में कुछ पानी अवश्य जमा हो गया था जिसके फलस्वरूप १९,८८६ एकड़ भूमि में से ३०७ एकड़ भूमि पर पानी भर गया था लेकिन उससे फसल को कम्पलीटली नुक्सान नहीं पहुंचा और रबी की बुवाई के संबंध में भी . . . .

श्री अध्यक्ष--'कम्पलीटली' शब्द से आपका क्या आशय है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--श्रीमन्, पूरा नुक्सान नहीं हुआ बल्कि कुछ अंश तक नुक्सान पहुंचा। रबी की बुवाई देर में होने का कोई खतरा नहीं है। जिलाधिकारी सतर्क हैं और उनके पास नाव तथा पर्याप्त धनराशि है जिससे हर घटना का वह अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। गत वर्ष काफी सहायता दी गई थी और यदि आवश्यकता पड़ी तो इस वर्ष भी दी जायगी। गत वर्ष केवल किरावली तहसील में ढाई लाख रुपये की अहतुक सहायता तथा तकावी क रूप में सहायता दी गयी थी। ९६,६६० रुपये की खरीफ में तथा ३२,०१५ रुपये की रबी के लगान में छूट दी गई थी।

(स्वामी विश्वेश्वरानन्द के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--इसके ऊपर यदि आपको प्रश्न करना हो तो अल्प सूचित तारांकित प्रश्न भेजें क्योंकि नियम ५२ के अनुसार यह प्रश्न नहीं था। यह तो कामरोको प्रस्ताव था, उसको मैंने अस्वीकृत करने पर भी जानकारी के लिये मंत्री जी से कहा था। वह आपको मिल गई। अगर प्रश्न पूछना है तो नोटिस देकर पूछें या अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करें।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना . . . .

श्री अध्यक्ष--इसकी आवश्यकता नहीं है।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द--श्रीमन्, यह मामला बड़ा गम्भीर है और जो सूचना दी गई है वह गलत है। अब भी जांच की जाय तो मालूम होगा कि हजारों एकड़ भूमि पानी में डूबी हुई है और वेस्टर्न डिप्रेशन के जो गांव हैं उनमें पानी भरा हुआ है।

श्री अध्यक्ष--आप सूचना भेज दें।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द--श्रीमन्, मैंने समस्या को आपके सामने रखा है और इस पर विचार नहीं किया गया है। रबी और खरीफ के जो कैम्पेन चलाये जा रहे हैं वह सब बेकार हैं . . . .

श्री अध्यक्ष--मैंने कहा कि आप सूचना भेज दें।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द--श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि इस मसले पर गम्भीरता-पूर्वक विचार किया जाय। मैं वाक आउट करने के लिये भी तैयार हूं और सजा भुगतने के लिये भी तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा कर बैठें। बात यह है कि जब जानकारी हासिल करना चाहते और वह उन्होंने दे दी, उसक बाद अगर कोई आपको सूचना देनी हो तो आप मंत्री

[श्री अध्यक्ष]

जी को यह कहकर कि मैंने स्वयं जाकर देखा है, ऐसी सूचना दे दें जिसमें वे दुबारा जांच कर लें। मैं समझता हूं कि वह जरूर फिर से जांच करेंगे। अगर प्रश्न पूछने हों तो अल्प सूचित तारांकित प्रश्न आप भेज सकते हैं। नियमों का पालन करना हर एक का फर्ज है। नियम ५२ के अनुसार प्रश्न होता और मैं उसकी इजाजत देता तो आप कुछ प्रश्न कर लेते। लेकिन इस संबंध में विशेष सुविधा इसलिये दी कि आप कह रहे थे कि बहुत से एरिया में पानी भर गया है। इसलिये उनका ध्यान आकृष्ट हो जाय और आपको सूचना मिल जाय। आगे की कार्यवाही मैंने आपको बता दी। अगर उसके अनुसार आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता हो सकती है।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---श्रीमन्, मेरा कामरोको प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके स्थान ग्रहण करें।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---यह बहुत ही गम्भीर समस्या है।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके अपने स्थान को ग्रहण करें।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---मैं स्थान जरूर ग्रहण करूंगा, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने कामरोको प्रस्ताव क्यों स्वीकार नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष---वह अनिश्चितता के कारण।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---इस वक्त जो स्थिति है वह मैं बताना चाहता हूं। जो मौजूदा हालत है.....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें। अगर आप स्थान ग्रहण नहीं करते तो मुझे कहना पड़ेगा कि आप सदन का त्याग कर दें।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---मुझे अफसोस है कि जिस जनता ने हम को भेजा है, उसकी तकलीफों को कहने के लिये आज तक . . . .

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके सदन का त्याग कर दें।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---मैं वाक आउट जरूर करूंगा।

श्री अध्यक्ष---वाक आउट करने का सवाल नहीं है। मैंने आप से आज के लिये सदन त्याग करने के लिये कहा है। आप दिन भर सदन में नहीं आ सकग।

(स्वामी विश्वेश्वरानन्द सदन से बाहर चले गये।)

चीनी सेनाओं के भारतीय भू-भाग में प्रवेश के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास कई प्रश्न आये हैं; मैंने श्री प्रतापसिंह का स्वीकार किया है। माननीय मुख्य मंत्री इस पर वक्तव्य दें।

(मुख्य मंत्री बोलने के लिये खड़े हुए।)

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी का जो सवाल था वह बहुत महत्वपूर्ण था। उसके प्रोटेस्ट में हम लोग भी सदन का त्याग करते हैं।

श्री अध्यक्ष—इस तरह से बीच में भाषण करना भी सदन का अवमान है जब कि मैंने भाषण देने के लिये उनको बुलाया और आपने बीच में टोका . . . .

(सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी के सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—अध्यक्ष महोदय, भारत की सीमा के भीतर चीन की कुछ सैनिक टुकड़ियां किसी जगह प्रविष्ट हुई हैं इस बात की सूचना तो हमको प्रधान मंत्री के उस वक्तव्य से मिल चुकी है जिसको उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था। लेकिन भारत का वह हिस्सा जहां कि ऐसी घटना हुई उत्तर प्रदेश से काफी दूर है। उत्तर प्रदेश की सीमा में चीनी या किसी दूसरी विदेशी सेना के प्रवेश की कोई सूचना हम को नहीं है। इस बात की भी कोई सूचना नहीं है कि हमारी सीमा के आसपास कोई सैनिक जमाव चीन या किसी और विदेशी सेना का हुआ हो। यों तो इस विषय में प्रत्येक भारतवासी की दिलचस्पी होना स्वाभाविक है परन्तु जो हमारे सीमावर्ती लोग हैं उनको चिन्तित होने का कोई कारण नहीं है। यह बात बिलकुल सही है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर फौज नहीं रहती। वहां सुरक्षा का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस के जिम्मे है और कई सालों से है यह भी सही है कि पुलिस उस काम को न करती है न कर सकती है जो काम कि सेना करती है और कर सकती है। परन्तु हमको इस बात का पूरा विश्वास रखना चाहिये, गवर्नमेंट को इस बात का पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इस विषय में पूर्णरूपेण सतर्क है जैसा कि प्रधान मंत्री ने कई बार कहा है। यदि कभी आवश्यकता हुई तो सेना की नियुक्ति भी होगी। यह इसमें जो कहा गया है इस सूचना में कि अमुक स्थान पर जो पुलिस की टुकड़ी हमारी है उसकी ताकत काफी नहीं है, इसके सम्बन्ध में मेरे लिये कुछ कहना सम्भव भी नहीं है और उचित भी नहीं है कि किस जगह हमारी कितनी पुलिस है? कहां-कहां पर हमारी पुलिस है, उस पुलिस की मदद के लिये हमारा क्या प्रबन्ध है, यह मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं मानेंगे कि सार्वजनिक हित में कहना उचित नहीं होगा क्योंकि उसकी सूचना केवल हमीं लोगों तक नहीं बल्कि उन लोगों तक भी पहुंच सकती है जो कि हमारे बहुत बड़े हितू न हों। इतना ही इस वक्त मैं विश्वास दिला सकता हूं, कि इस देश और प्रदेश की रक्षा का पूरा खयाल भारत सरकार को है और जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है हम पूरे सतर्क हैं और जो कुछ प्रादेशिक सरकार कर सकती है उसके करने में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन यह कि भारत सरकार ने इस उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या लिखा और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार को क्या लिखा यह एक ऐसा विषय है कि जिसके सम्बन्ध में यहां इस सदन में कुछ कहना सम्भव नहीं है। मैं केवल यहां इस सदन को और इस सदन के द्वारा उन सभी लोगों को जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

हैं, इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनको चिन्तित होने की, घबड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल है भारत सरकार को भी और प्रदेशीय सरकार को भी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अभी उन्होंने अपने बयान में यह कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा से चीन की सीमा बहुत दूर है, तो क्या यह सही है कि पार्लियामेंट में पंडित नेहरू ने बाराहुती के बारे में जो कि एक प्लेटो है गढ़वाल जिले का, उसके बारे में बयान देते हुए कहा कि यह सही है कि चीन इसको अपने नक्शे में दिखा रहा है, यह प्लेटो हमारा है पर चीन उसे अपने नक्शे में दिखा रहा है लेकिन इसमें घबड़ाने की कोई बात नहीं है?

श्री अध्यक्ष—यानी बाराहुती गढ़वाल का हिस्सा है, उसके बारे में आप पूछ रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने मुझको ठीक सुना नहीं। ऐसी भौगोलिक गलती तो मैं नहीं कर सकता था कि यह कहता कि चीन की सीमा हमारे यहां की सीमा से बहुत दूर है। मैंने यह कहा कि भारत की सीमा के जिस हिस्से में इस समय चीनी सेना का प्रवेश हुआ है वह उत्तर प्रदेश से दूर है। जहां तक बाराहुती की बात है बिलकुल ठीक है कि चीन उसको अपना समझता है। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज से कुछ दिन पहले दिल्ली में एक कान्फरेंस हुई थी जिसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि थे, चीन सरकार के प्रतिनिधि थे और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि थे। उसमें नक्शों का मिलान हुआ। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता। केवल इतना ही कह सकता हूं कि वहां चीन सरकार के प्रतिनिधि के पास कोई नक्शा नहीं था। इस वास्ते एक कथन के सिवा वह कोई और प्रमाण नहीं दे सके कि उनका उस पर कोई अधिकार है। वह कान्फ्रेंस हुई और उसके बाद जब विघटित हुई तो उसके संगठित होने की नौबत नहीं आई।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि पुलिस सारा प्रबन्ध नहीं कर सकती तो जिस तरह से भारत सरकार ने आसाम के बार्डर को मिलिटरी के कब्जे में दे दिया है उसी प्रकार की एक सिफारिश उत्तर प्रदेश की सरकार भारत सरकार को करेगी कि अल्मोड़ा गढ़वाल के बार्डर के हिस्से को फौज की सुरक्षा में रखा जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह मैंने कब कहा कि पुलिस सुरक्षा नहीं कर सकती। मैंने कहा कि वह काम पुलिस नहीं कर सकती जो कि सेना करती है। यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जैसी कि आसाम में पैदा हो गई थी तो हमको पूरा विश्वास है कि जो भी आवश्यक होगा उसको सैनिक संरक्षण में लेना या जो भी आवश्यकता होगी, वह भारत सरकार करेगी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह पता है कि बार्डर लाइन के अन्दर कोई विदेशी नहीं रह सकता लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर कई विदेशी रह रहे हैं और जासूसी का कार्य कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—यह इससे सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि माननीय प्रताप सिंह के जिले की सीमावर्ती चौकियों की क्या स्थिति है उसकी कोई विशेष दल यहां से जाकर जांच करे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यदि प्रताप सिंह जी का कहना सही है कि वहां लोग अपने को असुरक्षित अनुभव करते हैं तो मैं सदन के माननीय सदस्यों को ऐसी असुरक्षित अवस्था में डालना उचित नहीं समझता ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—सारी बातों को उनके लिये कहना न उचित है और न उसको मुख्य मंत्री जी कहना पसन्द करते हैं तो क्या विरोधी दल के नेताओं को आश्वस्त करने की मेहरबानी करेंगे कि कोई खतरा अल्मोड़ा या गढ़वाल के सरहदी इलाके को नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझको ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। यदि इस प्रकार की असाधारण अवस्था हुई, माननीय सदस्य यदि न भी कहते तो भी मैं इस नीति को मानता हूं, कोई असाधारण स्थिति हो तो विरोधी दल के नेता और दूसरे नेताओं के सामने सारी बातें रख दी जायं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार को यह सूचना है कि इस प्रदेश में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इसी प्रदेश के रहने वाले हैं वह किसी न किसी प्रकार से यहां से चीन को सूचना भेजा करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या माननीय मुख्य मंत्री की इस बात पर ध्यान रखते हुए जो कि उन्होंने अभी बतलाया कि भारत भूमि पर हमला हुआ लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग कोई खतरा महसूस न करें तो उत्तर प्रदेश के लोग कब तक खतरा महसूस न करें ? क्या तब तक खतरा महसूस न करें जब तक कि वह छपरा तक न आ जायं ?

श्री अध्यक्ष—यह आप सूचना दे रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस क्षेत्र को चीन ने अपने नक्शे में चीन का बतलाया है और उस क्षेत्र पर चीन की सेना का कब्जा नहीं हो सका तो इस बात की ओर सरकार सतर्क है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, हम सतर्क हैं। वह तो कोई छिपी हुई बात नहीं है। हरसाल वह होती है। जब वह स्थान आदमियों के पहुंचने के लायक होते हैं तो हमारे लोग भी पहुंचते हैं और चीन के लोग भी पहुंचते हैं और हमारे लोग पहले पहुंचते हैं।

मिर्जापुर नगरपालिका द्वारा बर्तन व्यवसाय में चुंगी में वृद्धि के फलस्वरूप हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत स्वायत्त शासन मंत्री का वक्तव्य

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—श्रीमन्, माननीय झारखंडे राय जी ने अपना कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था। उसमें २८ तारीख को यह कहा था कि

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

"मिर्जापुर नगर का सारा बर्तन व्यवसाय गत २५ अगस्त से बन्द है। हड़ताल से १० हजार व्यक्ति प्रभावित हैं। हड़ताल अनिश्चित काल तक चलाने का निश्चय किया गया है।" अभी तक कच्चे माल पर चुंगी नहीं है और इसके साथ ही इस प्रकार के कच्चे माल पर चुंगी लगाने का प्रस्ताव है।

अब इसके अन्दर जो सारी सूचना है वह गलत है। वह हड़ताल कुछ घंटे तक चली। २४ तारीख को कुछ लोगों ने हड़ताल की लेकिन जैसे ही मालूम हुआ तो नगरपालिका के प्रेसिडेंट ने उन लोगों से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो आप लोगों के सुझाव हैं उन पर विचार करेंगे। श्रीमन्, जैसा कि झारखंडेराय जी ने स्वयं प्रस्ताव में लिखा है यह सारी प्रस्तावित दरें हैं। अभी वे लागू नहीं हुई हैं। अभी जनता का विचार होगा और देखा जायगा कि उनकी क्या आपत्ति है। उनकी आपत्ति को इनवाइट किया गया है। इस स्टेज पर कोई हड़ताल करने का सवाल नहीं है। लेकिन फिर भी हड़ताल की गई। वह प्रेसिडेंट के मिलने के बाद खत्म कर दी गई। इसके बाद यह खयाल कि १० हजार व्यक्ति उससे प्रभावित थे, यह भी गलत है। डी० एम० की रिपोर्ट यह है कि ज्यादा से ज्यादा दो सौ आदमियों ने हड़ताल की थी और चूंकि हड़ताल खत्म हो गयी है, प्रेसीडेंट उस पर विचार करेंगे और ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सिर्फ प्रश्न यह है कि अगर मैं उसकी सफाई कर दूं तो अच्छा होगा। मिर्जापुर नगरपालिका की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न इस समय जल का है। उनके यहां जल बहुत ही रद्दी तरह से आता है और वह भी फिल्टर्ड नहीं होता और गर्मियों में कम हो जाता है। इस साल तो जो रिजर्वायर था उसमें भी बीच हो गयी थी। इसलिये उनको धन की बहुत आवश्यकता है और इसके लिये वह कोई साधन सोच रहे हैं और हमारी इन्फार्मेशन यह है कि वह मुतवातिर कई सालों से टैक्स लगान को एवायड करते रहे हैं और बहुत संभव है कि यह सब भी उन्होंने मैनीपुलेट किया हो ताकि टैक्स न लगाना पड़े। इसलिये सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। हमने सिर्फ स्वीकृति दे दी है कि अगर वह बिना वापसी की चुंगी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं और कोई विषम स्थिति वहां पैदा नहीं हुई है।

श्री झांरखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उनकी सूचना के अनुसार यह हड़ताल जो कुछ घंटे ही चली और पालिकाध्यक्ष के हस्तक्षेप से टूट गयी, जैसा कि अभी मंत्री जी ने बतलाया, तो वह पालिकाध्यक्ष के किस आश्वासन पर टूटी या किस आधार पर कुछ ही घंटों के बाद यह हड़ताल टूट गयी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने निवेदन किया कि उन्होंने आपत्तियां इन्वाइट की हैं और एक अखबार में १० अगस्त, को यह छपा है। उन्होंने कहा है कि अब हम इनको देखेंगे और इन पर विचार करेंगे, इसमें हड़ताल करने की क्या जरूरत है। अब क्या विचार करेंगे इसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार मिर्जापुर नगरपालिका की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसको कोई अनुदान देने का विचार कर रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—हम उनको ग्रांट नहीं दे सकते। हम उनको ऋण देना चाहते हैं, लेकिन वह कोई टैक्स नहीं लगाना चाहते और चूंकि वह टैक्स नहीं लगाना चाहते इसलिये हम ऋण नहीं दे सकते इसलिये कि उसको वापस करना होता है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--यह टैक्स लगाया जाय इसका सुझाव क्या सरकार की तरफ से गया था ताकि नगरपालिका को ऋण मिल सके ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--नगरपालिका की ओर से आया था कि हम बिना वापसी की चुंगी का टैक्स लगाना चाहते हैं और उसकी हमने स्वीकृति दे दी।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये निर्वाचित सदस्यों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये जो चुनाव हुआ था उसका फल निम्न प्रकार है और ये माननीय सदस्य चुने गये हैं :--

१--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय,

२--श्री परमात्मानन्द सिनहा,

३--श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल,

४--श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव,

५--श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा।

गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये निर्वाचित सदस्यों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये निम्नलिखित सदस्य चुने गये हैं :--

१--श्री उबैदुर्रहमान,

२--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी,

३--श्री रामायणराय,

४--श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी,

५--श्री देवीप्रसाद मिश्र।

प्रदेश शिक्षा दल परामर्शदात्री समिति के लिये पुनर्निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--कल जो प्रदेश शिक्षा दल परामर्शदात्री समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में गड़बड़ी थी उसकी मैंने जांच की। कुछ गलतफहमी, आपस में जो समझौता हुआ था, उस सम्बन्ध में मालूम होती है। गड़बड़ी इस प्रकार की थी कि श्री सुखीराम भारतीय जी को एक पर्चे में जनसंघ का सदस्य बता दिया गया था और शायद समझौता यह हुआ था कि बहुमत दल का एक हो और एक विरोधी दलों में से चुना जाने पर इस गलतफहमी से कांग्रेस वाले को अधिक वोट मिले। तो इसलिय मैंने यह निश्चय किया कि चूंकि गलतफहमी के आधार पर इसमें वोटिंग

[श्री अध्यक्ष]

हुई है इसलिये इस के लिये फिर से मतदान होना चाहिये। इसलिये पुनः मतदान १० सितम्बर को १२ बजे से ५ बजे सायंकाल तक विधान सभा वाचनालय में होगा और उसके पश्चात् में उसका फल एलान करूंगा।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---न्याय मंत्री के प्रस्ताव पर श्री नवलकिशोर जी भाषण दे रहे थे, वह जारी रखेंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं जानना चाहता हूं कि सीलिंग पर जनरल डिस्कशन कब तक चलेगा ?

श्री अध्यक्ष---परसों, ३ तारीख तक चलेगा।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---श्रीमन्, मुझे भी कुछ कहना है। इस विधेयक पर जो इस सदन में विचार हो रहा है उस पर बहुत से लोग अपना मत देना चाहते हैं और कोई समय निर्धारित नहीं है। ५-७-१० आदमी दिन भर में बोल पाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि इसके लिए टाइम मुकर्रर कर दिया जाय। हर सदस्य के लिए १५ मिनट और नेता के लिए २० मिनट और अगर आप उचित समझें तो ५ मिनट और बढ़ा दें, तो इसमें ज्यादा लोग बोल पायेंगे और विचार दे पायेंगे।

अध्यक्ष---साधारणतया मैं समझता हूं समय का निर्धारण उचित होगा, लेकिन अगर कोई महत्वपूर्ण भाषण हो रहा हो तो थोड़ा समय बढ़ा देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन बहुत से लोगों को बोलना है, बहुत से लोगों की तरफ से मेरे पास इस तरह की सूचना आयी है कि उनको मौका नहीं मिलता, डेढ़-डेढ़, दो-दो घंटे लोग बोलते हैं, तो इस तरह से बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अगर माननीय मुख्य मंत्री जी मान जायं तो मैं कहूंगा कि कोई रोक न लगायी जाय, क्योंकि यह बहुत बड़ा बिल है, बहुत से लोगों का जीवन मरण का प्रश्न है, ऐसा वह समझते हैं। हम तो इसमें सरकार के साथ हैं बल्कि कहते हैं कि सरकार ने कम किया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मारने के पहले उनकी आवाज तो सुन ली जाय। तो अगर जिबह करना है तो एक दिन उनके लिए नियत कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---धीरे धीरे जब ३ तारीख आये तो इस पर विचार किया जायगा, लेकिन साधारणतया यही रहेगा।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं सदन में पहले कई बार अर्ज कर चुका हूं कि ५-७ आदमी ही सब विधेयकों पर बोलने वाले हैं और यही जमीन के बारे में जानते हैं, यही निर्माण के बारे में जानते हैं और हम लोग सब टाटा बिरला हैं हमारी तो मील चल रही है, हमारा नम्बर नहीं आता है।

---

*२० अगस्त, १९५९ की कार्यवाही में छपा है।

†३१ अगस्त, १९५९ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष—आपका सुझाव क्या है ?

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, पालीवाल जी को ५ मिनट से ज्यादा समय न मिले। वह तो स्वतंत्र हैं।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आप कृपया बैठें, तो इसलिए कि ज्यादा लोग बोल सकें, माननीय सदस्य इस बात का खयाल रखें कि वह १५ मिनट बोलें, लेकिन इसके बाद भी अगर ५ मिनट चाहेंगे तो उनको दे दूंगा, लेकिन अधिक बोलने का प्रयत्न न करें, क्योंकि बहुत से प्रश्न और विचार सदन में आ ही चुके हैं, दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैं कल तराई भावर की विशेष स्थिति के विषय में कुछ कह रहा था। मैं कह रहा था कि वहां पर हमारे शरणार्थी भाई, कुछ ऐक्स-सर्विसमेन और कुछ अन्य लोगों ने खेती का काम शुरू किया है और उनकी जितनी पूंजी थी सब को उसमें लगा दिया। हम जानते हैं कि १२–१४ सालों में जबसे हमारा देश आजाद हुआ करीब करीब १५ लाख एकड़ जमीन तोड़ी गयी है जिसमें करीब ५५ करोड़ रुपया खर्च किया गया है। उसमें सरकार की कोशिशों से तो डेढ़ लाख एकड़ ही जमीन तोड़ी जा सकी है बाकी प्राइवेट लोगों ने अपने श्रम और मेहनत से तोड़ी है। तराई भावर में करीब ३ लाख एकड़ जमीन तोड़ी गयी जिसमें से ४० हजार एकड़ सरकार ने और करीब ढाई लाख एकड़ जमीन जो काश्तकार हैं, जो बड़े बड़े फार्म होल्डर्स हैं, उन्होंने तोड़ी है और २२ करोड़ रुपया उसमें खर्च किया है। जैसा मैंने कहा कि तराई भावर की स्थिति विशेष है। वहां पर सरकार ने लोगों को आश्वासन दिया था। वहां पर उनको काफी सुविधायें देकर, काफी आकर्षित शर्तें देकर उनको इस बात के लिए इन्वाइट किया था कि वह वहां पर आकर बसें और खेती का काम शुरू करें। उनको परपीचुअल (Perpetual) टिनेन्सी के अधिकार भी दिये गये। इस तरह की और चीजें भी हुईं।

हम यह भी जानते हैं कि वहां की आबोहवा ठीक नहीं थी, भूमि भी कठोर थी और उसको रिक्लेम करने में बहुत खर्चा आया, करीब ६००, ७०० रु० फी एकड़ का औसत आया। वहां पर मजदूरों की भी कठिनाई थी। इसके बावजूद भी लोग वहां टिके, उन्होंने मेहनत की और आज जब वह देखते हैं ८–१० साल के बाद, जब कि उनको सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था, भूतपूर्व माल मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि यथा संभव उनके फार्म्स सरकार नहीं छुएगी तो वह परेशानी में हैं और वह चाहते हैं कि उनको विशेष सुविधायें दी जायं। मैं यह जानता हूं कि जिस समय जमीदारी खत्म हुई थी उस समय भी ऐसी दलीलें दी गई थीं और उस समय कहा गया था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है अगर कुछ लोगों ने जमीनें खरीदी हों या पैसा लगाया हो लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहां की स्थिति इस लिये विशेष है क्योंकि जमीदारी खत्म करने के पहले किसी को कोई आश्वासन नहीं दिया गया था लेकिन यहां आश्वासन दिया गया लोगों को और मैं चाहता हूं कि उस आश्वासन को सरकार यथासंभव पूरा करने की कोशिश करे। मेरा मतलब यह है कि यदि हो सके तो सरकार उनको ५–७ साल के लिये एग्जेम्पट कर दें ताकि इस बीच में जो उनकी पूंजी लगी है वह उसको थोड़ा बहुत निकाल लें और उसके बाद वहां सीलिंग लगाई जाय।

एक बात और है। जैसी कि कल भी इस बात की चर्चा हुई कि लोगों ने १५ अगस्त तक काफी भूमि को ट्रान्सफर कर दिया है, दूसरे लोगों के नाम कर दिया है। लेकिन तराई भावर के फार्मर्स की जो लीज है उसमें उनकी विशेष स्थिति यह है कि उनको ट्रान्सफर करने का अधिकार नहीं है, वह अपने बालिग उत्तराधिकारी के नाम में भी ट्रान्सफर नहीं कर सकते, तो यह भी उनके साथ एक थोड़ी सी अन्याय की बात होगी। अगर आज उनको भी ट्रान्सफर राइट्स होते तो जैसे कि बड़े बड़े जमीदारों, राजा महाराजों ने काफी संख्या

[श्री नवलकिशोर]

में अपनी भूमि को १५ अगस्त के पहले ट्रान्सफर कर दिया, यह भी कर सकते थे लेकिन यह वंचित रह गये। इन बातों के आधार पर मैं चाहता हूं कि सरकार उनको कुछ विशेष सुविधायें देने की बात सोचे।

एक बात इस संबंध में और भी है। हमारा यह भी अनुभव रहा है कि तराई भावर में जितने छोटे छोटे लैंड होल्डर्स थे वह वहां टिक नहीं सके, उनको हटाना पड़ा क्योंकि वहां मेकेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। वहां पर जो शुगर फैक्टरीज हैं उनके पास ज्यादा फार्म्स नहीं हैं, यह सही है कि शुगर. फैक्टरीज को भी इसमें एग्जेम्पट नहीं किया गया है। तो इसमें यह भी ध्यान रखने की बात है कि कोई ऐसी बात न होने पाये जिससे वहां शुगर फैक्टरीज को गन्ना मिलने में कठिनाई पैदा हो। इस बिल के क्लाज १३ (१८) में जो एग्जेम्शन की शर्त है उसमें भी तराई भावर के फार्म्स नहीं आते हैं, जहां तक मैं समझता हूं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी देखें कि वह उसमें आते हैं या नहीं और अगर नहीं आते हैं तो जो सुविधायें वहां दी गयी हैं वह यहां भी देना चाहिये।

इसके बाद, श्रीमन्, दो एक बातें कम्पेन्सेशन के बारे में कहना चाहता हूं। इसके अन्दर लिखा है कि भूमिधर को ४० गुना और सीरदार को २० गुना दिया जायगा। इस संबंध में कुछ भाइयों ने आपत्ति भी की। मैं समझता हूं कि उनकी आपत्ति ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि भूमिधर का लगान सीरदार के मुकाबले में आधा होता है। ४० और २० गुने की बात सही है लेकिन मैं नहीं जानता कि तराई भावर के फार्मस किस हैसियत में आते हैं, उनको सीरदार माना जायगा या क्या माना जायगा, मैं नहीं जानता। चूंकि आपने सुविधा दी थी, उसमें सुविधा यह थी कि सर्किल रेट से बहुत कम लगान था इसलिये जब आप कम्पेन्सेशन जोड़ें तो इसका भी ध्यान रखें। श्रीमन्, इसमें यह भी दिया है कि अगर पक्के कुवें होंगे तो उनका कम्पेन्सेशन भी दिया जायगा लेकिन बिजली से चालित कोई ट्यूबवेल होगा उसके लिये इसमें कोई चर्चा नहीं है, तो जब नियम बनाये जायं तो इसके लिये भी ध्यान रखा जाय। बिल्डिंग के बारे में मेरा एक सुझाव है कि जो उसकी मार्केट वेल्यू हो उसके हिसाब से दिया जाय या उसकी जो बुक वेल्यू हो, उनमें जो कम हो वह दी जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य कल ४० मिनट बोल चुके हैं और आज भी उन्हें १० मिनट हो गये। आपने जो आज्ञा दी है आज तो उन पर लागू की जाय।

श्री अध्यक्ष--जी, आज मैं लागू कर रहा हूं।

श्री नवलकिशोर--श्रीमन, वैसे तो जो आपकी आज्ञा होगी उसको पालन करूंगा, लेकिन यह पाबन्दी मुझ पर लागू नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--क्योंकि आप अधिकतर एक ही विषय पर बोल रहे हैं इसलिये आप जितना कम समय लें उतना अच्छा है।

श्री नवलकिशोर--बहुत अच्छा, सरकार ने डेरी फार्मिंग के लिये एक्जेम्पशन दिया है मेरा विचार है कैटिल ब्रीडिंग के लिये भी देना चाहिये। इसके अतिरिक्त आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि भूमि के संबंध में यह हमारा अन्तिम सुधार है और जिस विषय पर हम विचार विनिमय कर रहे हैं वह एक गंभीर विषय है। इसका संबंध हमारे प्रदेश के करोड़ों काश्तकारों से है। इस मा में कि जो कृषि व्यवस्था हमारे यहां बनेगी उसका असर सारे देश पर पड़ेगा चाहे भले ही सीलिंग का असर चन्द फीसदी आदमियों पर ही पड़ रहा हो। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि यह प्रश्न भावुकता को छोड़ कर सामाजिक न्याय के आधार पर सोचा जाना चाहिये।

जहां तक सीलिंग का प्रश्न है उसमें कोई मतभेद नहीं है। प्रश्न यह है कि सीलिंग कितने पर हो। कानून में जो हमारे सामने है उसमें ४० एकड़ दिया गया है। हमार कुछ साथियों ने साढ़े बारह और कुछ ने ६ १/४ एकड़ का सुझाव दिया। यह सही है कि हमारे देश में बेकारी है। यह भी सही है कि ३५ लाख व्यक्ति भूमिहीन हैं। हम सब की हमदर्दी उनके साथ है, यह भी सही है कि हमारे देश में जो बेकारी है सरकार उसको मिटाये और हर व्यक्ति को काम दे। लेकिन प्रश्न केवल यह है कि हम अपने प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को कैसी बनाना चाहते हैं। मैं महसूस करता हूं कि जो ४० एकड़ की सीलिंग है वह ज्यादा नहीं है।

मैं झारखंडे राय जी से पूछना चाहता हूं कि वे पूंजीपतियों की बातें करते हैं, उनकी पार्टी की नीति के हिसाब से, क्या १ हजार रुपये की आमदनी वाला आदमी पूंजीपति है? हालांकि उनकी पार्टी ने केरल में, जहां उनकी सरकार थी सब से ज्यादा केवल १,२०० रुपया माहवार रखा था। अगर वे एक हजार रुपये की आमदनी मेक्सीमम मानते हैं तो कोई वजह नहीं है कि वह खेती के उद्योग में लागू न हो। खेती के उद्योग में भी १ हजार रुपये माहवार की आमदनी लागू होनी चाहिये। गांधी जी कहते थे कि ५०० रुपये की होनी चाहिये, यद्यपि वह समय सस्ते का था। फिर भी अगर उसको भी मान लिया जाय तो ६० एकड़ पर सीलिंग आती है। इसलिये अगर आप कृषि उद्योग की प्रतिष्ठा को कायम रखना चाहते हैं तो आपको इतनी सीलिंग रखना होगी। यह मैं ऊंची आमदनी की बात कह रहा हूं, नीची की बात नहीं कह रहा हूं। इसलिये मुझे कोई वजह नहीं मालूम पड़ती कि आप, खेती वालों के लिये ३०० रुपया से ज्यादा आमदनी न हो, ऐसी बात रख दें। जहां तक पैदावार बढ़ाने की बात है, वह केवल नारों से या इससे नहीं बढ़ सकती है, मैं यह महसूस करता हूं कि सरकार का फर्ज है कि जो अनइकोनामिक होल्डिंग्स हैं उनको कम से कम किया जाय, जो इकोनामिक होल्डिंग्स हैं उनको कंसोलिडेट किया जाय और इस प्रदेश में उद्योग धंधों का जाल बिछा दिया जाय ताकि लोगों को एक दूसरा व्यवसाय और वोकेशन प्राप्त हो सके और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उनका जोर जमीन को छोड़ कर दूसरे धंधों में लग जायँ। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारा यह हाउस इस बात का प्रस्ताव पास करे कि हम सब सीलिंग से इत्तफाक करते हैं लेकिन समाजवादी ढांचे के लिये, जिसकी हमने कल्पना की है और संकल्प किया है, उसके अनुसार कोई क्षेत्र भी हमारा ऐसा न हो जिसके अन्दर आय की सीलिंग न हो ताकि किसी को कहने का मौका न मिले कि एक अंग को पंगु बना कर हम दूसरे को बढ़ाना चाहते हैं इन शब्दों के साथ श्रीमन, जो इस विधेयक का सिद्धान्त व आदर्श है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक संशोधन इस विधेयक में दिया था कि इसको गांवों में मत जानने के लिये घुमाया जाय। स्वयं ही मैं समझता हूं कि यह एक अजीब सा प्रस्ताव था क्योंकि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा तथा यह समझा जाता है कि यह हमारा सदन और इसके सदस्य जनता के ही प्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा ही चुन कर आये हैं, अतः इनकी राय वही है जो गांवों की जनता की राय है। मगर फिर भी इस विधेयक को गांवों में मत जानने के लिये भेजने का जो मेरा प्रस्ताव था वह केवल इसलिये था कि जहां तक मैंने देखा और समझा तो मुझे यही मालूम पड़ा कि यहां जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होता है बल्कि पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है। केवल कुछ स्वतंत्र सदस्यों को छोड़कर श्रीमन, और बकिया जितने हैं मैं उनको जन प्रतिनिधि मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं श्रीमन्, और सोचता हूं कि आप क्षमा करेंगे क्योंकि मैं धृष्टता कर रहा हूं लेकिन यह धृष्टता सत्य है।

श्रीमन्, इसके प्रमाण के लिये कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं देखा जा सकता है। माननीय चौधरी चरण सिंह जो सदन में वक्तव्य देने को सोच रहे थे, लेकिन उनका मुंह बन्द किया गया कहां से? पार्टी के नेता द्वारा। इसके माने यह हैं

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

कि चौधरी साहब जनता के प्रतिनिधि नहीं थे बल्कि एक पार्टी के प्रतिनिधि थे, जिस पार्टी ने उनके मुंह पर हाथ धर कर उनका बोलना बन्द कर दिया। उसी प्रकार से श्रीमन, जितने लोगों ने भी सीलिंग का समर्थन किया है वह दिल से नहीं किया है, केवल मौखिक समर्थन किया है। सभी इसको महसूस करते हैं कि सीलिंग बुरी चीज है, यह न होनी चाहिये लेकिन करें क्या, पार्टी के कतिपय नेता लोगों ने प्रस्ताव पास कर दिया। यह कुछ एक महानेता नेताओं को झझक मात्र है और उसी के अनुशासन के डर से पार्टी के लोग समर्थन करने लगे हैं।

मैं इस सीलिंग के सिद्धान्त का ही विरोध करता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जनता की मांग से ही सीलिंग का प्रस्ताव आया है, जनता की मांग थी तब यह सीलिंग लगाने का विधेयक माननीय मंत्री जी ने बनाया। मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने गांवों के कितनी ग्राम सभाओं के प्रस्ताव पास होकर माननीय मंत्री जी के पास आये हैं कि सीलिंग की जाय। श्रीमन, इसके विरोध में मैं सैकड़ों प्रस्ताव श्रीमन, के सामने रख सकता हूं। ग्राम सभाओं के ये प्रस्ताव हैं जो मेरे पास भी आये हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भी आये हैं और प्रधान मंत्री जी के पास दिल्ली भी गये हैं। इन ग्राम सभाओं ने स्पष्ट रूप से यह प्रस्ताव पास करके भेजा है कि सीलिंग नहीं होनी चाहिये। मैं इन प्रस्तावों को श्रीमन्, पढ़ देता हूं--जिस ग्राम सभा का यह प्रस्ताव है, उस ग्राम सभा का इसमें नाम है मल्हीपुर-कादीपुर (जिला सुलतानपुर), दिनांक २७-७-५९। वह प्रस्ताव है कि सभा का निश्चित मत है कि सहकारी खेती (ज्वाइन्ट कोआपरेटिव फार्मिंग) तथा भूमि सीमा निर्धारण (सीलिंग आफ लैन्ड) से हम ग्रामवासियों का भूस्वामित्व समाप्त हो जायगा तथा इससे उत्पादन में भी वृद्धि नहीं हो पावेगी। अतः यह सभा इसका घोर विरोध करते हुए प्रस्ताव करती है कि मौजूदा भूमि व्यवस्था में किसी प्रकार का उलट फेर न किया जाय। हस्ताक्षर प्रधान और फिर नीचे है हस्ताक्षर सदस्यगण और ग्राम सभा की मोहर लगी हुई है। इस प्रकार के सैकड़ों प्रस्ताव हमारे पास आये हैं परन्तु माननीय मंत्री जी दिखलायें कि एक भी गांवसभा का या किन्हीं गांव के लोगों का एक भी प्रस्ताव उनके पास इस तरह का हो कि इस प्रकार का विधेयक बनाया जाय। (एक आवाज-गरीब जनता की बहुत बड़ी मांग है।) वह आपके थैले में रखी होगी या मंत्री जी के कमरे में रखी होगी, मैं आपको जबाब नहीं देना चाहता, मैं तो मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि उनके पास कोई प्रस्ताव है? अगर अब भी मंत्री जी कहते हैं कि यह जनता की मांग है तो मैंने पहले ही कह दिया कि जन प्रतिनिधि वह नहीं हैं वह तो पार्टी प्रतिनिधि हैं, यह तो केवल नेता की झझक है, दिमाग की उपज है उनके, जो जबरदस्ती सूबे के ऊपर लादी जा रही है।

अब मैं इस सीलिंग के प्रस्ताव का विरोध क्यों करता हूं। यह निवेदन करूंगा जो सीमा अभी इस बिल में ४० एकड़ की रखी गई है और आपने देखा होगा कि बहस के दौरान में अभी बिल पास नहीं हुआ, अभी प्रवर समिति में भी नहीं गया, अभी वह बना भी नहीं खाली उसको बनाने की एक रूपरेखा बनी है, परन्तु इतने ही में किसी ने ३० एकड़ का, किसी ने २० एकड़ का, किसी ने साढ़े १२ एकड़ का और किसी ने ६ १/४ एकड़ का प्रस्ताव कर दिया। इस सिद्धान्त को मैं इसी आधार पर देखना चाहता हूं कि एक बार जब सीलिंग के सिद्धान्त को मान लिया गया तो उसको रोका नहीं जा सकता, अगर १००० एकड़ की भी सीलिंग होती तब भी मैं उसका विरोध करता क्योंकि वह १००० पर भी नहीं रुकती। सीलिंग तो इस प्रदेश में केवल सवा ६ एकड़ पर ही रुक सकती है क्योंकि हमारे यहां ४७० लाख आदमी गांव के रहने वाले हैं और खेती के योग्य जो भूमि है वह ४८० लाख एकड़ है तो हर व्यक्ति के हिसाब से १.०१ एकड़ प्रति आदमी का हिसाब आता है अगर ५ आदमियों का परिवार माना जाय। प्रति परिवार ६ सवा ६ एकड़ जमीन आवेगी। अगर सरकार मानती है कि सवा ६ एकड़ पर सीलिंग हो तब तो वह प्रस्ताव ले आये वर्ना सीलिंग के नाम से हड़बोंग मच जायगा और नतीजा कोई नहीं निकलेगा। जहां तक मेरी

बुद्धि में आया है कि वह इस प्रस्ताव को क्यों ले आये। इस का एक बड़ा कारण है कि राज्य नीति में ४ प्रकार के नीति भेद हैं साम, दाम दंड और भेद। जिस जमाने में लोगों के ऊपर हमला करके राज्य लिया जाता था, लड़ाई करके राज्य लिया जाता था उस समय उस तरह की नीति बरती जाती थी इन्हीं चारों नीतियों को व्यवस्थानुकूल अपनाया जाता था। पर आज राज्य क्या है? यह सामने वाली कुर्सियां हैं उनको पकड़ने का तरीका क्या है वोट लेना, तो वोट लेने के लिये ही राजनीति के इन चारों सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाता है। सन् १९४६ में साम नीति का प्रयोग किया गया वोट लेने के लिये। कहा गया कि हम आते ही जमींदारी समाप्त कर देंगे। लोगों को यह समझा-बुझा कर उनके सामने वायदे करके वोट लिये। सन् ५२ में दाम नीति का प्रयोग हुआ। कांग्रेस ने कहा कि हम आपको नहरें, बिजली, सड़कें देंगे यानी योजनाओं की कह कर घोषणा पत्र दिखाया गया। फलां पार्टी ने कहा कि हम सोना देंगे दूसरे ने कहा कि हम हीरा देंगे और इस तरीके से वोट लेकर सन् ५२ में गवर्नमेंट बनी। सन् ५७ में दन्ड नीति का प्रयोग किया गया। सरकारी अफसरों के आतंक द्वारा वोट के ऊपर दन्ड नीति का प्रयोग करके यह गवर्नमेंट बनाई गई। अगली मर्तबा सन् ६२ में क्या करना चाहते हैं? भेद नीति से काम लेना चाहते हैं। क्योंकि वोट तो गांव के अन्दर है, यहां नहीं है और न शहरों में है और न नेता जी के पाकेट में है। यह सीलिंग का विधेयक तो नेता जी के दिमाग से निकल सकता है लेकिन वोट नहीं निकल सकता। उसके लिये गांव में जाना पड़ेगा। उस गांव में ही भेद नीति का प्रयोग करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। मैं इसको इस विधेयक की धाराओं के द्वारा सिद्ध करूंगा।

श्रीमन, भेद नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी। सन् ५२ में जब चुनकर आये लोगों की सरकार बनी। तो इन बैन्चेज (अपोजीशन) में कवल ३५ आदमी थे और सन् ५७ में १४४ हो गये। आया कौन केवल गांव के लोग। गांव वालों न गांव क लोगों को चुनकर यहां भेज दिया। सबसे अधिक स्वतंत्र लोग चुनाव में जीत कर आए। यह और भी चिन्ता की बात थी उनके लिये। उन्होंने सोचा कि अगर गांव वाले बिलकुल पंगु नहीं बना दिये जाते हैं, अगर गांव वालों को पक्षाघात नहीं लगा दिया जाता तो अगली मर्तबा यह तय है कि गांव वाले आकर उधर बैठ जाएंगे। इसलिये यह भेद नीति का प्रयोग किया गया। सीलिंग महज इसलिये की जा रही है कि गांव में कोई आदमी इस योग्य न रह जाय जो इनके मुकाबले में खड़ा होकर लड़ सके। मैं श्रीमन् इसी विधेयक से ही यह सिद्ध करूंगा।

इसके उद्देश्य को पहले देखा जाय। उद्देश्य में कहते क्या हैं?

श्री अध्यक्ष--१५ मिनट आपके होने आए है।

कुंवर श्रीपाल सिंह--मेरा प्रस्ताव भी था और मैं काफी तैयार हूं। मैं कृतज्ञ हूँगा अगर थोड़ा ज्यादा समय दे दें।

श्री अध्यक्ष--५ मिनट और दे दूंगा।

कुंवर श्रीपालसिंह--५ मिनट में नहीं कह पाऊंगा, थोड़ा और चाहिए। तो कहते क्या है? कि आर्थिक हित की उन्नति के लिये, दुर्बल वर्ग के आर्थिक हित की उन्नति के लिये। आर्थिक उन्नति के लिये नहीं। आर्थिक हित की उन्नति के लिये। आर्थिक हित कौन चीज है? अगर इसका अर्थ लगाया जाय तो यह हुआ कि आर्थिक इच्छा की जागृति के लियें। अर्थात् जिसकी आर्थिक इच्छा जागृत न हो उसको जागृत कर दें कौन से वर्ग के लियें। जो दुर्बल है। मगर आर्थिक हित किसका हो रहा है? सबसे गरीब तबका, जिसका पेट पीठ में सट गया है, जिसकी रियासत चली गई है, वे बड़े-बड़े राजागण। सीलिंग चीफ तथा चीनी मिल मालिक। उनके आर्थिक हित की उन्नति के लिये, उसक फार्मों पर नहीं उंगली उठायी जायगी। इतना ही नहीं उनके

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

ऊपर लार्ज लैंड होल्डिंग टैक्स और ऐग्रीकल्चर टैक्स जो आज तक पड़ता था वह भी माफ होगा। क्या बात कही है सरकार ने, और गरीबों का भला करने के लिये। मैं क्या कहूं, मंत्री जी मौजूद नहीं हैं, हुकुम सिंह नाम उनका है, मालम नहीं हुकुम नाम उनका है या किसी दूसरे का है। मैं समझता हूं वे हुकुम के पाबन्द हैं वे हुकुम सिंह नहीं हैं। और किसका भला है जो मेकेनाइज्ड फार्म हैं जिसको सरकार उचित समझे उसको भूमि सीमा के निर्धारण से अलग कर देगी। उचित किसको समझेगी जिनके जरिये से चुनाव के लिये कुछ प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो यह मैं नहीं कहना चाहता। बस उन्हीं के फार्म छोड़े जायंगे। उनको छोड़ने के लिये उनका आर्थिक हित हो रहा है वे बेचारे बड़े गरीब हैं। शुगर मिल वाले हजारों एकड़ के मालिक हैं और अपने फार्मों पर गन्ना बो-बो कर प्रदेश में अन्न की समस्या पैदा कर दिये हैं। उन्होंने चीनी खिलाना तो सिखलाया मगर गेहूं, जौ खत्म कर दिया, उनके फार्म छोड़े जायंगे। अगर हमें अपनी जमीन बचानी है तो मुर्गी पालक हो जायं, कुक्कुट फार्म के लिये चाहे जितनी जमीन रखें। करना क्या पड़ेगा जब इन्क्वायरी के लिये सरकार जायगी, सरकार मैं तो लेखपाल को समझता हूं क्योंकि जो कुछ करता या कहता है वही सरकार कहती है करती है, यह देखें कि वाकई मुर्गी पालन होता है या नहीं तो उनको अगर कुछ भेंट कर दी तो मुर्गी पालन हो जायगा और वह खेत छूट जायगा, कैफियत के खाने में लिख देगा कि इनके यहां मुर्गी पाली जाती हैं।

अब एक चीज और बड़े मजे की है। कहते हैं कि ४० एकड़ की सीलिंग कर रहे हैं। मगर तीन प्रकार की सीलिंग है (१) ४० एकड़ की (२) १५ एकड़ की और और (३) साढ़े बारह एकड़ की। जब किसी एक व्यक्ति लिये सीलिंग करनी है तो ४० एकड़ है, जहां भूमिहीन लोगों को देने के लिये है तो वहां साढ़े बारह एकड़ है और जहां गांव समाज को देने के लिये है वहां १५ एकड़। इस पर भी हमें कोई ताज्जुब नहीं है क्योंकि जब हम चुन कर आये और गवनर साहब का भाषण हुआ तो उसके जवाब में जब कुछ लोग इधर के बोलें तो उधर के एक मंत्री जी कह रहे थे कि इधर वाल बाजार की जबान में बोल रहे हैं तो इस पर माननीय देवी प्रसाद जी ने कहा था कि हमारे पास एक ही जबान है, दो नहीं है जैसी आपके पास हैं। तो आज उनके पास तीन जबान हो गईं, तीन प्रकार की सीलिंग है। तो यह पास तो हो जायगा क्योंकि बहुमत है जबरदस्ती हाथ उठवा लेंगे और तब नवल किशोर जी ने जैसा विरोध किया है वैसा कोई नहीं करेगा लेकिन हाथ उधर ही उठेगा। तो पास होने के बाद क्या होगा, वह देखा जाय।

जमींदारी एबालीशन के बाद उसका नतीजा दिखाई पड़ा। बड़े जोर से कहा जाता है कि जनता बड़ी सुखी है। असलीयत थोड़े से शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं। एक मिसाल सिंगरामऊ की देना चाहता हूं। एक किसान जिसकी २ रुपये १३ आना मालगुजारी थी आज उसको ४२ रुपये ८७ नये पैसे देने पड़ रहे हैं और आजमगढ़ में सदर तहसील, ग्राम शिवरामपुर में एक किसान को जमीन पर जमीदारी टूटने के पहले १ रुपये ६ आने देने पड़ते थे लेकिन आज उसे १५ रुपये देने पड़ रहे हैं। ३ साल का लगान बकाया रह जाता था तो वह तमादी हो जाता था लेकिन आज चार-चार साल के लगान के बकाये को जो चाहे १ या डेढ़ रुपया ही होता हो उसकी वसूली के लिये काश्तकार को पानी खींचने वाली रस्सी उबहन में बांधकर घसीटा जाता है। उस कानून का नतीजा आज दिखलाई पड़ रहा है और इसी प्रकार से इस कानून का नतीजा भी चार साल के बाद दिखलाई पड़ेगा।

एक चीज यह निवेदन करना चाहता हूं जैसा महीलाल जी ने स्वयं कहा था कि जमीन पर आबादी का बोझ अधिक होने से दरिद्रता बढ़ती है। अर्थ शास्त्र का सिद्धान्त भी

यही है । प्रमाण में देवरिया और मेरठ इन दो जिलों को मैं सामने रखना चाहता हूं । देवरिया के काश्तकारों की पूरी जनसंख्या की ८७·४६ प्रतिशत कृषि पर निर्भर है और मेरठ में ४५·२६ प्रतिशत । अगर वहां की पूरी जमीन पूरी आबादी में बाट दी जाय तो देवरिया में पड़ेगी २·६० एकड़ और मेरठ में २·५९ एकड़ पड़ेगी । मगर देखा जाय श्रीमन्, मेरठ में अकेले भूमि के ऊपर आबादी का बोझ कम है और देवरिया में भूमि के ऊपर आबादी का बोझ अधिक है जिससे देवरिया गरीब है और मेरठ सम्पन्न है । जहां कहीं भी जमीन के ऊपर बोझ अधिक पड़ेगा वहां की जनता खामख्वाह गरीब होगी । इस सीलिंग के मानी यह होंगे कि गरीबी की मोहर लगाना है । मगर यह होना है, क्योंकि यह एक महानतम नेता की झझक है जमीन का बटवारा होगा ।

लेकिन अगर मुफ्त में जमीन दी गयी तो उसके मानी यह भी होते हैं कि भिखारीपन की इच्छा को जाग्रत करना । कोई आदमी अपने पुरुषार्थ से और पैसे से जमीन लेता है तो वह जमीन की इज्जत करता है और अगर मुफ्त में दे दी जायगी तो उसके लिये कोई इज्जत नहीं रहेगी, न वह ठिकाने से उसे कर सकेगा । तो इस प्रकार से जो विधेयक आया है उसके बारे में मुझे अधिक नहीं कहना है । माननीय नवल किशोर जी ने काफी कह दिया है उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस अर्थ व्यवस्था के अन्दर इस समय जो संघर्ष संचालित हो रहा है उसके लिये हमें सीलिंग करना ही होगा । यही कारण है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही यह निश्चय कर लिया गया और इस अधिकतम जोत की सीमा को बांधने का संकल्प कर लिया गया । मिनिस्ट्री आफ फूड एंड एग्रिकल्चर की ओर से सर्वेक्षण कराया गया और प्लानिंग कमीशन ने भी इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया और विचार करने के पश्चात् ३,६०० रुपये तीन फैमिली होल्डिंग की आय के ऊपर मर्यादा बांधने का संकेत किया गया और होना भी यही चाहिये कि एकरेज को सामने रख कर अगर कोई मर्यादा बांधी जाय तो वह ठीक नहीं है, एक कुटुम्ब के ऊपर वार्षिक आय क्या हो इसी दृष्टिकोण से हमको विचार करना है ।

जैसा मैंने संकेत किया, सीलिंग हमारी एक नेशनल पालिसी है, सारे हिन्दुस्तान में, सारे राज्य में इसे कार्यान्वित करने जा रहे हैं, यह केवल उत्तर प्रदेश की ही चीज नहीं है, इसे हमें कार्यान्वित करना है । जैसा मैंने निवेदन किया, हमको यह देखना चाहिये कि एक कुटुम्ब की वार्षिक आय क्या निश्चित करनी चाहिये । इस सीलिंग के दो टुकड़े हैं । एक तो है फ्यूचर एक्वीजीशन । इसके ऊपर पहले एक लहर चली । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि सारे भारतवर्ष में भावुकता से काम केवल उत्तर प्रदेश ने लिया है जहां केवल १२ एकड़ की सीमा बिला किसी आय का लक्ष्य निर्धारित किये हुये रखी है जबकि आन्ध्र, आसाम वगैरह के अन्दर जमीन के विभेद से और कई दृष्टियों से कहीं १८० एकड़, कहीं ५० एकड़, कहीं ६० एकड़ और अधिक-अधिक सीमायें हैं लेकिन आप के यहां केवल १२ एकड़ ही रखा गया है । जब आप एक सीमा निर्धारित करने जा रहे हैं तो आपको यह देखना चाहिये कि खेती के अन्दर भी कुछ आकर्षण रहे । १२ एकड़ की सीमा रखने से वह बिल्कुल शून्य हो जाता है । कहा जाता है कि ३,६०० रुपये की आय होगी लेकिन मैं इसमें कुछ त्रुटि पाता हूं । खेती में जब तक कुछ रिजर्व न हो तब तक खाद वगैरह नहीं दी जा सकती है । एक एकड़ से १०० रुपये की आमदनी सब खर्चा आदि निकाल कर हो जायगी इसमें मुझे संदेह है । फिर भी मैं बहस के लिये इसे माने लेता हूं लेकिन ३,६०० रुपये जब हमारी आय होगी तो मेरा ऐसा खयाल है कि ५०–६० एकड़ का औसत आयेगा और बुन्देलखंड में तो करीब-करीब १०० एकड़ पड़ जायगा ।

लार्ज होल्डिंग टैक्स के दृष्टिकोण से बुन्देलखंड के अन्तर्गत जो सर्किल रेट वहां पर बढ़ा दिया गया वह उस समय भले ही न्याययुक्त रहा हो, इस समय अधिकतम जोत की

[श्री रामलखन मिश्र]

सीमा बांधते समय हमें उस पर फिर विचार करना चाहिये। वहां पर जो ५ रुपये से ऊपर लार्ज होल्डिंग टैक्स के लिये बढ़ाया गया वह अनेक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। इस कारण इस विधेयक के अन्दर हमें इस पर पुनः दृष्टिपात करना पड़ेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ५० और ६० एकड़ का औसत पड़ेगा और इस समय ४० एकड़ की मर्यादा बांध दी गयी है। या तो आप यह तय कर ले कि हमें कम्युनिस्ट दृष्टिकोण अपनाना है तब तो दूसरी बात है और सारी सम्पत्ति को आप राज्य के अन्तर्गत ले लें लेकिन यदि आपको मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में मर्यादा रखनी है तो थोड़ा-सा आपको विचारपूर्वक ही काम करना होगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

इस पर विचार करना होगा कि एक कुटुम्ब की आय क्या स्थिर करते हैं, एक कुटुम्ब की वार्षिक आय क्या स्थिर करते हैं, इस पर विचार करना होगा न कि एकरेज के ऊपर। यदि ऐकरेज के ऊपर ही लेना है तो मैं कहूंगा कि हमारे यहां डुमरियागंज के भाग में आप ६० एकड़ भूमि ले लें और उसके स्थान पर हजरतगंज या मलिहाबाद में केवल ५ एकड़ भूमि ही दे दी जाय। अगर ऐसा हो जायगा तो हम आपको बधाई देंगे। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐकरेज के ऊपर नहीं विचार करना चाहिये। हमें गम्भीरतापूर्वक अर्थ व्यवस्था की ओर दृष्टिपात करना चाहिये। कहीं ऐसा न हो जिससे हमारी खेती की सारी व्यवस्था ही भस्मसात हो जाय और जीवन ही न रह जाय और लोग ग्रामों का परित्याग करके नगरों में आ जायं या कोई अन्य व्यवस्था करें। उस दिशा में हमारी राज्य सरकार को कोई अन्य मार्ग खेती के लिये अपनाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि हमारे कृषि प्रधान देश में एक प्रलोभन रहना चाहिये। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्दर सारी बातें आ सकती हैं।

जो हमारे लैंडलेस लेबरर्स हैं उनके लिये न्यूनतम जोतों की सीमा बांधनी चाहिये और वह लेने के लिये नहीं बल्कि अनइकोनोमिक होल्डिंग्स की जो परिभाषा ३ एकड़ की है उसको बढ़ाकर ५-६ एकड़ करनी चाहिये। हमें न्यूनतम जोतों की सीमा बांधनी चाहिये। यह हमारे लिये उद्देश्यपूरक होगा। जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि सीमा एकरेज पर न बांधकर आमदनी पर बांधनी चाहिये। जो ४० एकड़ की सीमा रखी गई है वैसे तो ठीक है। लेकिन विधेयक की जो रूपरेखा है उसमें अनेक त्रुटियां हैं। पर्सन और कम्पनी की जो परिभाषायें की गईं उन दोनों में आपस में सामंजस्य लाना होगा। परिवार की परिभाषा पर भी दृष्टि डालनी होगी। ऐसी अनेक त्रुटियां हैं। रूल्स के अन्दर एक बड़ी भारी पावर सरकार ने ली है, मुझे संदेह है कि उसका दुरुपयोग न हो। धारा २९ में रखा है कि जिस क्षेत्र का चाहे सरकार सर्किल रेट रिवाइज कर सकती है इसका दुरुपयोग न हो। इसके लिये इसमें योग्यतम अधिकारी होने चाहिये और सरकार को भी अपनी कड़ी दृष्टि रखनी चाहिये अन्यथा बाद को हंसी होगी। जैसे ६ लाख की मिल में १५० रुपये का इंसपेक्टर रख दिया जाय तो वह भी उसका एक कर्मचारी हो जायगा। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा।

धारा ५ (२) में जो १५ अगस्त से मर्यादा बांधी गई है कि इससे पूर्व जो हुआ सो हुआ लेकिन इसके पश्चात् जो हस्तांतरण या विभाजन हुये हैं वह अनियमित समझे जायंगे। यह बड़ा दोषपूर्ण है। यह लीगली ठीक नहीं है और ला के इतिहास में पहला शब्द रखा गया है। मैं त्रिलोकी सिंह जी की बात का आदर करता हूं। आगे तो हमें फल भोगना ही पड़ेगा, लेकिन वर्तमान में जो कठिनाई है उसकी ओर भी दृष्टि करनी चाहिये। अभी दरवाजा खुला हुआ है। हमारे डिक्लेरेशन की बात कहां रुकी हुई है। अगर कोर्ट में डिक्लेरेशन कर दे कि हमारी भूमि नहीं है और वह स्वीकार कर ले तो इसके लिये

दरवाजा खुला हुआ है। इसी तरह से जमीदारी उन्मूलन विधेयक में ठीक करना पड़ा था। मैं नहीं कह सकता कि किस तरह से शुद्धि की जाय लेकिन इस पर विचार करना होगा। कम्पेन्सेशन के चैप्टर पर विचार करना चाहिये। सीरदार और भूमिधर को लाना चाहिये। आपको एक मर्यादा बांधनी होगी। धारा ४ और १३ दोनों के अन्दर देखना होगा। धारा ४ के अन्तर्गत उसको एक रूपरेखा-सी मान सकता हूं। धारा १२ में मेरा एक सुझाव है। जब आप किसी कानून में कोई मर्यादा बांध रहे हैं तो एक यह मर्यादा बांध दें कि पहली मई, १९५९ के पहले दस या पांच वर्ष तक जो मिलिटरी की ऐक्टिव सर्विस में रहा है उसके ऊपर सीलिंग ऐक्ट लागू नहीं होगा। यह सुविधा मिलिटरी मैन को जरूर देना चाहिए। यह उद्देश्यपूरक है। उत्तर प्रदेश सारे देश का हृदय है। इसको पथ-प्रदर्शन करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि यही बात मानी जाय। किसी दूसरे रूप में रख लें।

इसमें कुछ और भी बातें हैं। धारा १३ के अन्दर यह व्यवस्था है कि दो एकड़ से दस एकड़ तक बाग लगा सकता है। वह आप दे सकते हैं। उसमें भी देखना होगा कि बाग कट जाय तो बाग कब सीज करती है। यद्यपि यह नियमों से सम्बन्धित है लेकिन मैं आपके सामने रख देता हूं। थ्रैशिंग फ्लोर और फाडर आदि कागजात में तो दर्ज नहीं होते। अब होशियार लोग शायद दर्ज करा लें। हमें इसके अन्दर भी मर्यादा बांधनी होगी। रह गया हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि तराई भावर में जहां पर बहुत बड़ी भूमि है, वह भी इसके अन्दर आ जाय। यदि यह सब बातें हुईं तो सचमुच कोई तथ्य नहीं रह जायगा। एक अरण्य रोदन हो जायगा।

कुटुम्ब का जो एक्सप्लेनेशन दिया है यह भी दोषपूर्ण है। इस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। मेरी जानकारी में है कि अनेक विमाताओं के पुत्र पृथक रहते हैं। उनके नाम भूमि दर्ज है यद्यपि पार्टीशन नहीं करवाया है। कंसालिडेशन जहां हुआ है लोग जानते हैं कि उसमें पार्टीशन के कितने केसेज हैं। कागजात में दर्ज है लेकिन पार्टीशन नहीं हुआ। वोट और कोर्ट दो अंग हैं। वोट के मानी एग्जिक्यूटिव। कोर्ट जो आपत्ति करने पर निर्णय करती है। रूपरेखा ऐसी होनी चाहिए जो संदिग्धात्मक न रह जाय। उसे स्पष्ट करना चाहिए वरना उसके अन्दर तिल का ताड़ किया जा सकता है और ला फल हो सकता है। स्पेशलाइज्ड फार्म्स की परिभाषा भी लानी चाहिए जिस प्रकार मेकैनाइज्ड फार्म्स की परिभाषा लायी गयी है।

धारा ७ के अन्तर्गत १० दिन की नोटिस रखी गयी है। जहां राज्य सरकार को कोई आपत्ति करनी हो वहां तो ९० दिन है लेकिन जनसाधारण के लिए केवल १० दिन रखना यह बहुत कम है। इस प्रकार इस विधेयक के अन्तराल पर दृष्टिपात करना और प्रवर समिति में विशेष ध्यान देना होगा।

धारा १४३ को भी लाया गया है। जमीदारी एबालीशन ऐक्ट की धारा १४३ पर भी छींटा किया गया है। उसके अन्दर भी एक बड़ा भारी उदर-सा बन जाता है। उसको भी आपको अपने सामने रखना होगा जिससे इसका उद्देश्य विफल न हो सके। हमें जो लैंडलेस लेबरर हैं इनका सेंसस कराना होगा। हमने जैसा कि उद्देश्य और कारण में संकल्प दोहराया है उसको धाराओं में भी लाना होगा।

एक सबसे मुख्य बात और है कि जो हम कुटुम्ब की मर्यादा बांधते हैं तो मर्यादा बांधते समय मैं आदरणीय सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जितनी भूमि पर भी हम बांधे वह उन सबके नाम दर्ज होनी चाहिए वरना अकेला कुलपति जो होगा उसके नाम दर्ज होगी और वह उसका हस्तांतरण कर दे तो उसके आश्रितों को कोई आश्रय नहीं रहेगा। आज ज्वाइंट हिन्दू फेमिली फेल हो चुकी है। केवल नाम मात्र उसका रह गया है। तो कोई धारा ऐसी बनानी होगी जिससे कि भूमि का नामांकन कुटुम्ब के सारे व्यक्तियों के नाम हो सके। उससे यह होगा

[श्री रामलखन मिश्र]

कि कोई उसका हस्तांतरण नहीं कर सकेगा। यह बहुत ही आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं अब बहुत अधिक नहीं कहना चाहता। बातें तो बहुत थीं। लेकिन छोटी-छोटी बातें हैं। मुख्य-मुख्य बातें जो थीं उनकी तरफ मैंने ध्यान दिलाया है। अन्त में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि एकरेज के चक्कर में पड़ गए तो यह एक भयानक चीज होगी। हमें तो आमदनी की पुष्टि करनी चाहिए। आमदनी के ऊपर एकरेज को पुष्ट करना चाहिए। प्रदेश के विभिन्न भागों पर दृष्टि डालनी चाहिए और उनकी आमदनी को देखना चाहिए। तब जाकर उस संकल्प की पूर्ति हो सकेगी। रूस के अन्दर एक लेबरर को ३०० रुबल्स दिये जाते हैं। एक रुबल १ रुपये कुछ आने से कुछ ज्यादा का ही होता है। तो हमको भी मर्यादा बांधनी पड़ेगी। यदि आपकी दृष्टि इधर नहीं गई तो यह कहा जायगा कि गम्भीरता-पूर्वक हम इस पर विचार नहीं कर पाये।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो यह बिल पेश किया है उसको देखकर के मुझे पहले खुशी हुई। लेकिन जब इस विधेयक की धाराओं और उपधाराओं को देखा तो इतना दुःख हुआ कि जिसकी कोई हद नहीं। इस विधेयक में त्रिगति नाड़ी की चाल चली गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति की त्रिगति नाड़ी चलने लगती है उसकी सन्निपात की अवस्था हो जाती है। हमारी समझ में यह आ रहा है कि यह सरकार सन्निपात की अवस्था में चलकर के यह विधेयक लायी है। इसके शुरू में एक शब्द लिखा गया है भूमिहीन खेतिहर मजदूर। इसी शब्द को लेकर के ऐसा किया है कि जैसे मेलों में या बाजारों में जादूगर डिमडिमी बजाकर जनता को अपनी ओर आकर्षित करके अपना मतलब हल करके चला जाता है उसी प्रकार से यह भूमिहीन खेतिहर मजदूर शब्द जादूगर की डिमडिमी है। इस विधेयक में लिखा हुआ है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर और उसके आगे शब्द लिखे हुये हैं कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये तथा। मेरी समझ में नहीं आया कि यह जो विधेयक है इसको अगर भूमिहीनों के लिये ही बनाया गया था तो यह "एवं सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये तथा" इन शब्दों के लिखने का अर्थ क्या हुआ? इससे साफ साबित होता है कि इस तरह का जादूगरी का ढंग अख्तियार करके खेतिहर मजदूरों को फुसलाकर के सार्वजनिक प्रयोजनों से जो भूमि बचे उसको हम इसमें ला दें और भूमिहीन ज्यों के त्यों रहें। कहीं अच्छा होता कि मन्त्री जी पहले इस पर मनन कर लेते कि देश के अन्दर कितने एकड़ ऐसी भूमि है जिस पर कि काश्त हो रही है, कितन भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, इन आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर इस विधेयक की रचना हुई होती तो विश्वास हो सकता था कि यह एक अच्छा विधेयक होगा लेकिन सिर्फ इसमें यह किया गया है कि शब्द का जाल बांध कर के, जनता को गुमराह करके सिर्फ चन्द व्यक्तियों को सुविधा दिलाने के अलावा और कोई बात नहीं पाता। श्रीमन्, कभी यह देश सोने की चिड़िया कहलाता था और बाहरी बड़े ताकतवर मुल्कों को अपनी जरूरत पूरी करते हुये गल्ला देता था लेकिन आज क्या दशा है? विश्व का कोई भी मुल्क ऐसा शेष नहीं रह गया है जिसके दरवाजे जाकर भीख मांगने के लिये हमने अंचल न पसारा हो। यह हमारे देश की दशा है। मुझे कहना पड़ता है कि अरबों रुपये का गल्ला बाहर से मंगाया जाता है। तब हम कहीं अपनी जरूरत को पूरी कर पाते हैं। जापान में भी महायुद्ध हुआ था लेकिन वह थोड़े से समय में ही अपने पैरों पर खड़े हो कर आत्म निर्भर हो गया लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि १२ वर्ष बीत गये और सन् ४९ में हमने यह वायदा किया था कि ५१ तक हम आत्म-निर्भर हो जायंगे लेकिन वह वायदा पूरा नहीं हुआ।

५१ में यह घोषणा की गई कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो हम अपने ऊपर बिलकुल आधारित हो जायंगे लेकिन वह योजना खत्म हुई और जो हमारा विश्वास था वह पूरा नहीं हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह आशा दिलाई गई कि इसमें हम सफल होंगे लेकिन वह भी फेल हुई। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ इशारा किया जा रहा है कि इस

तीसरी योजनाकाल में हमारा देश स्वावलम्बी हो जायगा। पता नहीं कि यह कांग्रेस हमारे यहां कितनी पंचवर्षीय योजनाओं को लायेगी। मैं तो यह कहता हूं कि जिस प्रकार की नीति को यह सरकार अख्तयार किये चली जाती है उसमें मैं इसको चुनौती देता हूं कि यह १०० वर्ष में भी खाद्य समस्या को हल नहीं कर सकेगी। बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों समय अच्छी प्रकार से भोजन करते हैं। जब सरकार की इस प्रकार की नीति है तो उसको सफलता नहीं मिल सकती है। एक तरफ तो हलवे और मेवा से जीभ में छाले पड़ते हों और दूसरी तरफ लोग एक-एक दाने के लिये तरसते हों तो इस देश का उद्धार नहीं हो सकता है। जब तक विषमता की इतनी चौड़ी खाई न पट जाय तब तक इस खेती की सीमाबन्दी से समस्या हल नहीं हो सकती है। जब तक हम आमदनी और नौकरियों में समानता न लायें, समाजवाद का ढोंग मारे जायं, कोई लाभ नहीं हो सकता है। वह समाजवाद मेरी समझ में नहीं आता है। और उसी समाजवाद की रचना इस विधेयक के द्वारा आप करने जा रहे हैं। वह ऐसा समाजवाद है जो कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित है। वह ऐसा समाजवाद है जो अमीर को और अमीर बनाने वाला है और गरीब को और गरीब बनाने वाला है।

इस सम्बन्ध में मुझे अपने प्रदेश के आंकड़े देखने पड़ेंगे। सन् १९५१ में हिन्दुस्तान की जनसंख्या ३८ करोड़ थी लेकिन अब समय अधिक हो गया है तो विभाजन के बाद ४० करोड़ तक जनसंख्या पहुंच गई है। सारे हिन्दुस्तान में ८१ करोड़ एकड़ भूमि है। उसमें १० करोड़ के करीब पहाड़, घने जंगल खड़े हुये हैं और १०, ११ करोड़ एकड़ में नदी, ऊसर और तालाब आदि हैं और नगर गांव बसे हुए हैं और इस प्रकार की भी इसमें जमीन है जो काश्त के योग्य नहीं है। आज हिन्दुस्तान में सिर्फ २६ करोड़ एकड़ भूमि पर हल से खेती होती है। इसमें कुछ जमीन और पड़ी रहती है उसको निकाल कर २१ करोड़ बचती है। अगर इस तरह से ३० एकड़ की हदबन्दी कर दी जाय तो यह २६ करोड़ एकड़ जमीन ऐसी बच रहती है जो कि खेतिहर मजदूरों के लिये सप्लाई कर सकते हैं लेकिन यदि उत्तर प्रदेश के हम आंकड़े ले तो मैं बतलाना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन समिति की ३० जून सन् १९५१ की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर अगर हम ३० एकड़ से ज्यादा वालों की जोत लें तो रह जाता है ६८,८१,०४५ एकड़। खातेदारों की संख्या १,८५,०६७ है। दो बटे तीन के हिसाब से अगर हिसाब लगाय परिवारों का तो आता ह १ लाख २३ हजार ३७८। अगर हम भूमि का हिसाब लगायें तो हमारे पास ३१,७९,७०५ एकड़ भूमि बचती ह। दूसरी तरफ ९० लाख एकड़ भूमि ऐसी पड़ी हुई है जिसमें हम पैदावार कर सकते हैं। इस प्रकार से कुल भूमि मिल सकेगी सवा सौ करोड़ एकड़ जिसको हम भूमिहीनों में वितरित कर सकते हैं। लेकिन इस विधेयक को देख कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ।

अब मैं इस विधेयक को ले रहा हूं। इसमें छूट दी गयी है कि ५ रुपया जिसका लगान होगा वैसी ४० एकड़ भूमि रह सकती है। जिसका लगान ३ से ५ तक होगा वह ६० एकड़ और ३ से कम वाली ८० एकड़ भूमि रह सकती है। अब श्रीमन्, हिसाब लगायें। मैं समझता हूं कि एक इंच भूमि भी इस विधेयक की बिना पर नहीं बचेगी जो भूमिहीनों को वितरित की जा सके और यह विधेयक बिलकुल ढकोसला है।

इस विधेयक की धारा ३ के अन्तर्गत परिवार की परिभाषा दी गयी है। परिवार में ५ यूनिट सम्मिलित किये गये हैं। इसमें पति है, पत्नी है, आश्रित पिता है, आश्रित माता है। यदि पिता आश्रित नहीं है तो वह भी ४० एकड़ रख सकता है, उसका लड़का भी अलग हो कर ४० एकड़ रख सकता है। इसके अलावा इसमें यह भी है कि यदि परिवार पारिवारिक समझौता करके अदालत में उसे दाखिल कर दे तो वह मंजूर कर लिया जायगा। तो श्रीमन, इसमें तरह तरह की ऐसी धारायें बना दी गयी हैं और ऐसा शब्दों का जाल बिछाया गया है कि जिससे इसका मतलब जनता के समझने में नहीं आता और वह परेशान होती है।

श्रीमन्, इसमें यंत्रीकृत फार्म की योजना के लिये इशारा किया गया है। अगर ३ साल पहले से कोई आदमी ट्रेक्टर से खेती करता है तो उसको मनमाना अधिकार है, चाहे जितना जोते

[श्री भजन लाल]

बोये। अगर किसी के पास ५०० एकड़ भूमि है और उसने गुलाब, चमेली लगवा दिया तो उसकी भूमि कोई छू नहीं सकता। इस बीच में मैं एक बात कहना भूल गया। यदि यह बिल जनवरी में लाया गया होता तो अच्छा था। हमारा बजट फरवरी में आया था, उसके पहले इस विधेयक को पास होना चाहिये था। इसमें १५ अगस्त तक की सीमा रखी गयी है। १५ अगस्त तक जिसने अपने परिवार या रिश्तेदारों की लिखापढ़ी कर दी, वह हो गयी।

श्रीमन, आप देखें कि कितनी तरह से जनता को गुमराह और उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। जब २७ जुलाई को यह अधिवेशन प्रारम्भ होने जा रहा था उस समय यह मालूम हो चुका था कि इसमें यह जोत सीमा विधेयक आने वाला है और इसमें १५ अगस्त की तारीख लिखी गयी है। अच्छा होता कि २७ जुलाई के पहले ही इस कानून को लागू कर दिया जाता या २७ जुलाई के पहले की कोई तारीख होनी चाहिये थी कि जो इस प्रकार की जमीनें होंगी वह जब्त कर ली जायंगी। २७ तारीख को एक प्रकार का ऐलान हुआ और १५ अगस्त तक एक मियाद रख दी गयी। इस बीच में उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े काश्तकारों, राजा महाराजों ने इस लखनऊ के मलीहाबाद से लाखों पेड़ों की पौध मंगवा-मंगवा कर मई के महीने से हजारों एकड़ भूमि में बाग लगवा दिये हैं, क्योंकि उसकी तो छूट है। सिंचाई करवा दी। कहने को हो गया कि ३-३ साल के पौधे लगे हुए हैं और सारी जमीन हड़प कर ली। तो समझ में नहीं आता कि कौन-सा जरिया रह जाता है जिसके आधार पर सरकार गर्व करती है कि उत्तर प्रदेश के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की वह सर्वेसर्वा बनने जा रही है और उनकी भुखमरी की समस्या को हल करने जा रही है।

इस विधेयक में कुछ धाराएं हैं, उनका स्पष्टीकरण कर दूं। धारा १३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत वह भूमि जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १४३ के अर्थ में उद्योग के काम में लायी जाती हो। इस धारा के अन्तर्गत है क्या? वह यह कि अगर कोई शक्कर मिल-मालिक है, उसने ५०० एकड़ भूमि अपने कारखाने को चलाने के लिये, गन्ना बोने के लिये जमीन घेर ली, खूब बोये। लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि अन्य काश्तकारों की फसल हजारों एकड़ बिना कारखाने के मालिक के मोल लिये हुए, खड़ी रहती है। एक तरफ तो गन्ना बरबाद हो और दूसरी तरफ सरकार उनको छूट दे रही है कि ५००-६०० एकड़ जमीन घेर ले तो स्पष्ट है कि यह पूंजीपतियों के हित का कानून है।

दूसरी इसी की उपधारा (४) में, "वह भूमि जिस पर निवास-गृह हो तथा उससे अनुबद्ध क्षेत्र", और (५) "वह भूमि जिस पर बाग हो किन्तु इसके अन्तर्गत योग्य भूमि नहीं है"। इसके अन्तर्गत है क्या? हमने ५०० एकड़ का बाग लगाया हुआ है। चारों ओर पेड़ हैं और बीच-बीच में भी पेड़ लगे हैं, मालूम होता है बड़ा सरसब्ज बाग है। उसके बाद बीच की जमीन को तोड़ करके लाहा और गेहूं की पैदावार करनी शुरू कर दी और मामला साफ हो गया।

सातवीं उपधारा में "वह भूमि जिस पर भैषज्य तथा ऐसी जड़ी-बूटी की तथा अन्य रोप-स्थलियाँ हों" यानी अफीम, भांग, इस पर भी छूट है। तो इस तरह की धाराएं और उपधारायें लिख कर के ऐसा विधेयक बनाया गया है जिससे साफ जाहिर है कि आज की यह सरकार कभी भी किसी तरह खेतिहर मजदूरों की समस्या हल करने में सामर्थ्यवान नहीं हो सकती। अगर हमारे उस तरफ के बैठने वाले मित्र असंतुष्ट न हों, तो मैं यह समझता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी का जो कहना है, जो सीमा निर्धारित की है उसको मान लें, कि एक हल बैल की जोड़ी से एक किसान बिना किसी प्रकार के मजदूर के द्वारा जितनी भी खेती अपने परिश्रम से कर सके उससे ३ गुने से अधिक किसी भी परिवार के लिये या किसान के लिये खेती नहीं होनी चाहिए। यह सोशलिस्ट पार्टी का साफ दृष्टिकोण है.....

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—एकड़ों में बता दीजिये।

श्री भजन लाल—सवा ६ एकड़। सवा ६ एकड़ में एक हल-बैल से अच्छी खेती हो सकती है। एक काश्तकार जो कि अपने श्रम के आधार पर खेती कर सकता है उसको २० एकड़ जमीन दी जाय और बाकी जमीन जब्त कर ली जाय। अगर दो एक एकड़ बाग हो तो वह हिस्सा भी उसके अन्दर आ जाना चाहिये। यह नहीं कि दस, बीस, पचास एकड़ में बाग भी घेर लें। यह सोशलिस्ट पार्टी की नीति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य का समय २ मिनट और बाकी है।

श्री भजनलाल—श्रीमान् जी, ५ मिनट और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—सदन के निश्चयानुसार मैं २० मिनट तक आप को दे चुका हूं, अब इससे ज्यादा नहीं दे सकता।

श्री भजनलाल—आज यह सरकार सन्निपात की अवस्था में जा रही है। अगर यह सरकार सोशलिट पार्टी के नुस्खे काम में लाये तो यह सरकार सन्निपात के मर्ज से अच्छी हो सकती है। सरकार को बुरा न मानकर हमारे नुस्खे सीखने चाहिये। वह नुस्खे क्या हैं? वह नुस्खा यह है कि जमीन का बटवारा हो, हर एक जोत में तीन गुने से अधिक भूमि न हो। बेदखलियां रोकी जायं। बेदखल किये हुए काश्तकारों को जमीन वापस दी जाय। पट्टेदारों के हकों की सुरक्षा की जाय। अनार्थिक जोतों व अलाभकर लगान माफ किया जाय। और पैदावार के आधार पर, उसकी आमदनी के आधार पर आयकर नियत किया जाय। जमीन पर आश्रित रहने वाले लोगों को उद्योग-धंधों में लगाया जाय ताकि बेकारी की समस्या हल हो सके। खेती में काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी नियत की जाय। सिंचाई की दरों में कमी की जाय। कृषि एवं औद्योगिक उत्पादनों के भावों में संतुलन स्थापित किया जाय और आज सरकार जो फिजूलखर्ची कर रही है उसको रोका जाय। आज एक तरफ तो २५ रुपया एक नौकर पेशा पाता है और दूसरी ओर २ हजार और ५ हजार दिया जा रहा है। जब तक यह नहीं रोका जायगा तब तक समाजवाद नहीं कायम हो सकता। मंत्री महोदय का समाजवाद का नक्शा बिलकुल बेकार हो जाता है। सोशलिस्ट पार्टी ही यहां पर समाजवाद स्थापित कर सकती है।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे अपने विचार प्रकट करने के लिये अवसर प्रदान किया। जो विधेयक सदन में आज तीन रोज से चल रहा है उस पर हर पार्टी ने, हर समुदाय ने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं। कोई सवा ६ एकड़ की मांग कर रहा है, कोई २० एकड़ तक पहुंच जाता है, जो कि सोशलिस्ट पार्टी की मांग है। हमारे कांग्रेस के एक समुदाय की साढ़े १२ एकड़ की मांग है। मैं समझता यह हूं, जैसा कि मैं आगे जाकर दिखलाने की कोशिश करूंगा, कि यह बिल करीब-करीब सब की मांगों को पूरा कर रहा है, कुछ थोड़ा ही फर्क पड़ेगा। मैं आगे न बढ़कर यहीं पर विचार प्रकट कर दूं कि मेरे पास अपने हिस्से में कोई ३४ एकड़ के करीब जमीन आयी है। भाइयों के हिस्से में। मेरे चार बेटे हैं। शायद ४, ६ वर्ष में मैं खत्म हो जाऊंगा। तो हर बेटे को ८ या ८ १/२ एकड़ जमीन मिलेगी। मैं समझता हूं कि इससे सोशलिस्ट पार्टी के और हर पार्टियों के सदस्य काफी सन्तुष्ट होंगे। इसी तरह से और भी लोग होंगे जिनके पास ४० एकड़ के लगभग या कम जमीन है और जब वह बंटेगी तो वह सबके मतालबे को पूरा कर देगी। मेरी ३४ या ३५ एकड़ जमीन बढ़कर ४० या ५० एकड़ नहीं हो सकती। जो कानून बना हुआ है उसमें १२ १/२ एकड़ से ज्यादा कोई एक्वायर नहीं कर सकता या जो कम है उसे साढ़े १२ एकड़ से आगे नहीं ले जा सकता है। तो केवल समय का अन्तर है कि ४ वर्ष में होगा, ६ वर्ष में होगा या ८, १० वर्ष में होगा। लेकिन यह सीमा इतनी निश्चित निर्धारित हो गई है कि इससे किसी भी सदस्य को असन्तोष की जरूरत नहीं है।

[श्री हरिश्चन्द्र सिंह]

हमारा प्रदेश भूमि-व्यवस्था के करने में सब से आगे रहा है। सब से पहले जमींदारी विनाश यहां हुआ, उसके बाद भूमि-व्यवस्था के कानून बने फिर बहुत-सी उसमें तरमीमें की गईं और आखिरी चीज यह रखी गई कि १२ १/२ एकड़ से ज्यादा कोई आदमी एक्वीजीशन नहीं कर सकता। नागपुर रेजोल्यूशन की केवल रूपरेखा ही बनाई गई है, और इसमें ज्यादा कुछ निकलता नहीं है। जो कुछ निकलना था वह निकल चुका है। माननीय चरण सिंह जिस समय मिनिस्टर थे, उन्होंने भूमि-व्यवस्था को जिस तरह चलाया है वह बड़ी सराहनीय है और मैं उसकी मिसाल देता हूं। ४० एकड़ से ज्यादा भूमि वाले लोग मुश्किल से ५,००० इस प्रदेश में अब निकलेंगे। ४० एकड़ की सीमा निर्धारित होने पर जमीन का अन्दाजा करीब ५ लाख एकड़ था। अब इसके अन्दर बहुत-सी बातें आ गई हैं कि यह चीज निकलेगी, वह चीज निकलेगी, और मेरा अन्दाजा है कि २ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन अब निकलने को बाकी नहीं है। २ लाख में आधे से कुछ कम जमीन बंजर, कल्लड़, तालाब वगैरह होगी जिसका मुझे अधिकार है कि मैं उसको छोड़ दूं। छोड़ने पर उस जमीन का क्या होगा, यह भगवान जाने। लेकिन एक अधिवासी का कानून बना जिससे २३ लाख एकड़ जमीन काश्तकारों के पास पहुंच गई।

हर पार्टी का नारा है कि जमीन उसकी जो जमीन जोते। बिलकुल ठीक है। चरण सिंह जी जो पहले माल मंत्री थे, उनका भी यह नारा था और उसे उन्होंने पूरा किया, जो जमीन किसी की काश्तकारी में सन् ५६, ५९ में या ६३ में दर्ज भी हो गई वह जमीन उनको दिला दी गई। इस प्रकार २३ लाख एकड़ जमीन जिसे और लोग जोतते थे, जिनके पास ज्यादा थी और दूसरों को उठा दी थी, वह २३ लाख एकड़ जमीन उन काश्तकारों के पास पहुंच गई जिनके हल में वह गत वर्षों में बाकी जमीन उनके पास रह गई जो उनके हल के नीचे थी। कांग्रेस के इस नारे को कि जमीन उसकी होगी जो उसे जोतेगा, इस सरकार ने पूरा करने की पूरी-पूरी कोशिश की है।

वैसे तो पर कैपिटा (per capita) जमीन जो उत्तर प्रदेश में जोतने योग्य है केवल १ एकड़ एक आदमी को आती है। इसके मानी हैं कि यदि पांच व्यक्तियों का एक परिवार मान लिया जाय तो ५ एकड़ जमीन उनके पास आवेगी। इसका नतीजा क्या होगा? हर सरकार को एक आर्थिक व्यवस्था भी कायम रखनी है। यदि आर्थिक व्यवस्था सारी की सारी बिगड़ जायगी तो कोई कुछ कर नहीं पावेगा। मेरी राय में ४० एकड़ की हद ऐसी है जिससे आयन्दा १० वर्ष में हर पार्टी की मांग पूरी हो जावेगी।

मैंने अपने गांव के आस-पास के ४० गांवों को लेकर देखा कि कितनी जमीन है और कितने आदमी हैं। उन ४० गांवों में जो ३० और ४० एकड़ के बीच में काश्तकार हैं उनकी तादाद मुश्किल से ८ या ९ प्रतिशत है। ४० एकड़ की सीमा करने के बाद उसमें कोई चीज किसी को मिलने को नहीं है। अब जो २, २॥ लाख एकड़ जमीन इस ४० एकड़ वाली सीलिंग से निकलती है वह ऐसी जगहों पर वाके है जहां पर इन ४० गांवों का एक आदमी भी नहीं पहुंच सकता। इसलिये मैं समझता हूं कि इस कानून से कोई चीज खासतौर से ऐसी निकलने वाली नहीं है जिसको हम लोगों को बांट कर कोई फायदा कर सकें।

अब एक बात और रह गई। अगर ४ लाख एकड़ या ६ लाख एकड़ जमीन निकलती भी है तो हमारे प्रदेश में ३५ लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें भूमिहीन खेतिहर कहा जा सकता है। उसमें लेबरर्स (Labours) भी शामिल हैं। अब इस तरह से जो ३–४ लाख एकड़ जमीन मिलेगी वह ३५ लाख फेमिलीज (Families) में कैसे बांटी जायगी और उससे वे क्या लाभ उठा सकेंगे?

इसके अतिरिक्त एक बात और है वह यह कि मैं इस ऐक्ट के प्रावीजन्स को पढ़ कर समझ नहीं पाया हूं कि आया जो बड़ी-बड़ी कंम्पनीज हैं, जो बड़े बड़े इनकार्पोरेटेड (Incorporated) फार्म्स हैं वह इस ऐक्ट से गवर्न भी होंगे या नहीं। जहां ऐक्सेप्शन्स (Exceptions) दिये हुए हैं उनमें यह चीज नहीं आयी है। विधेयक में कोई इस बात का जिक्र नहीं है कि उनका क्या होगा। एक चीज कही जा सकती है कि व्यक्ति की परिभाषा तो दी हुई है। लेकिन उसमें तो केवल यह लिखा हुआ है कि व्यक्ति परिवार भी होगा। लेकिन ये बड़े बड़े फार्म्स और कम्पनीज जिनके पास ३–३, ४–४ हजार ऐकड़ के फार्म्स हैं वह इस व्यक्ति की परिभाषा में आयेंगे अथवा नहीं, मुझको कानूनी निगाह से यह चीज बड़ी डाउटफुल (doubtful) मालूम पड़ती है। जब आप मैकेनाइज्ड फार्म्स को एक्जेम्प्ट कर रहे हैं तो इस ऐक्ट के अन्दर यह पोजीशन क्लीयर होने की जरूरत है जिससे अदालतों में इस बात की लड़ाई न हो कि इनकार्पोरेटेड कम्पनीज के फार्म्स व्यक्ति की डैफीनीशन में आते हैं या नहीं आते हैं।

मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां ऐसे दरिया हैं जो ३–३ और ४–४ मील तक खेतों को काट देते हैं और १०–५ गांवों को, प्रति वर्ष बहा ले जाते हैं और एक बीघा जमीन भी जोतने को नहीं रहती। जब बहिया हटती है तो जमीन पड़ती भी है लेकिन वह बालू से ढक जाती है। मेरी लोकेलिटी में ६५,६६ ऐसे गांव हैं जहां इरोजन होता है। उन गांवों में केवल एक ही फसल बोने की संभावना होती है। खरीफ की फसल नहीं होती। ऐसे गांवों में क्या जरूरत है कि वहां भी ४० एकड़ की सीमा लगायी जाय। माननीय मंत्री जी इसको नोट करने की कृपा करेंगे कि गांव दरिया के किनारे हैं और हर साल बाढ़ से कट जाया करते हैं उनमें इस सीमा को न लगाया जाय अर्थात वहां पर इस किस्म की रियायत की जाय जिससे वहां के काश्तकारों को ज्यादा दुःख न बरदाश्त करना पड़े। दफा ५ (२) की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं, यह बड़ा संदिग्ध क्लाज है। इसमें है कि १५ अगस्त, १९५९ के बाद जो बयनामे हुए हैं "शैल बी इग्नोर्ड ऐंड नाट टेकेन इन टू एकाउंट (shall be ignored and not taken into account)।" उनको इस गिनती से अलग कर दिया जायगा। मान लीजिये मेरे पास ८० एकड़ जमीन है जिसमें से ४० एकड़ तो मेरे पास रह गयी और ४० एकड़ मैंने बेच दी। तो उसके बाद उस ४० एकड़ जमीन को आप सरप्लस डिक्लेयर कर देंगे लेकिन अगर मैंने ८० एकड़ की ८० एकड़ जमीन बेच दी तब आप क्या करेंगे, आप किसकी सीलिंग करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो जमीन है नहीं? सेल डीड जो हुआ, बयनामा जो हुआ, वह गैरकानूनी नहीं है और मैंने साढ़े १२ एकड़ का जैसा कानून है, उसके हिसाब से प्रत्येक आदमी पर साढ़े १२ एकड़ जोड़ कर बेच दिया और अपने पास कुछ नहीं रखा और बयनामा गैरकानूनी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? जमीन मेरे पास है नहीं तो सीलिंग तो आप कर नहीं सकते, मैं चाहता भी नहीं, तो उस हालत में आप सीलिंग का क्या करेंगे। माननीय मंत्री जी इस बात को नोट कर लें, जो जवाब वे देंगे उसको मैं सुनूंगा और सुनने के बाद उनसे बहस भी करूंगा। मैं यह समझता हूं कि इस ऐक्ट को इतना क्लीयर (clear) बनाने की कोशिश की जाय जिससे कि किसान जिनके ऊपर इसका असर पड़ता है, वे इस कानून के चक्कर में मारे-मारे न फिरें क्योंकि प्रोविजन (Provision) क्लीयर (clear) नहीं है तो उसको कानून का आश्रय लेना पड़ेगा और उसको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी विचार करके इस बात की कोशिश कर सकते हैं कि ऐक्ट में यह क्लीयर (clear) हो जाय और इसके अन्दर कोई गड़बड़ी न रहे ताकि लोगों को फायदा हो। यही मेरी प्रार्थना है।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि २३ फरवरी, १९५९ के बाद आज मुझे कुछ अर्ज करने का मौका मिला।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द नारायण तिवारी]

मैंने जब यह सीलिंग के ऐक्ट की बात सुनी, जब यह बिल सदन में आया इसके पहले ही मैंने यह अन्दाज लगाया था कि इस बिल के द्वारा उत्तर प्रदेश के भूमिहीनों को कुछ मिलने वाला नहीं है और उसका कारण साफ तौर पर यह है कि अगर इसमें कोई खराबी है तो श्रीमन्, इस बात की जिम्मेदारी भी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल पर है। जब कैबिनेट का फैसला इस बात पर हुआ कि सीलिंग का कोई बिल नागपुर के प्रस्ताव के अनुसार लाया जाय और मंत्रिमंडल ने इस बात का फैसला किया कि सीलिंग की मिकदार इतनी रहनी चाहिये तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक अखबार में इस बात की पब्लिसिटी हुई। मेरा निवेदन यह है कि अगर कैबिनेट के इस फैसले को गुप्त रखा जाता, अगर उत्तर ही इस बात प्रदेश के उन लोगों को जिनके पास बहुत जमीन थी केवल इस बिल के जरिये ही इस बात का पता चलता तो आज जो जमीन की छीछालेदर उत्तर प्रदेश में हुई है, जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा हुई है और जो सदन में कहा जाता है, एक इंच जमीन भी नहीं मिलेगी, यह परिस्थिति श्रीमन्, नहीं पैदा होती। जब कि आज कोई तीन महीने हुए हर आदमी को मालूम था, प्रत्येक गांव के उस आदमी को मालूम था जिसके पास १००, २०० या ५०० एकड़ जमीन थी और उसका दृश्य हमें यह देखने को मिला कि एक-एक रजिस्ट्री के दफ्तर में हर रोज ऐसा मालूम होता था जैसे कि मेला लगा हुआ है। हजार-हजार दो-दो हजार और ५-५ सौ आदमी रजिस्ट्री के दफ्तर में, कोई फेमिली सेटिलमेंट के लिये और कोई फर्जी ट्रान्सफर्स के लिये भरे रहते थे। इस सीमा के बावजूद कि २० एकड़ की सीलिंग होनी चाहिये या सवा ६ एकड़ की सीलिंग होनी चाहिये और बावजूद इस कानून के कोई जमीन मिलने वाली नहीं है कि जो सूबे के भूमिहीनों में बांटी जा सके। इसलिये इस सूबे का यह मंत्रिमंडल इस बात का जबाबदेह है कि उसने अपने इस फैसले को गुप्त क्यों नहीं रखा। जब इस बिल के आने की बात हुई और अखबारों में कुछ बात आई तभी हमने समझ लिया था कि यह सीलिंग की बात केवल एक प्रचार की बात है, इससे भूमिहीनों का प्रदेश में कोई लाभ न होगा। उसके बाद जब सदन में यह बिल आया और उसको हमने पढ़ा तो यह बात बिल्कुल पुष्ट हो गई, इसके पढ़ने से यह मालूम होता है कि यह सरकार केवल सीलिंग के नारे में विश्वास करती है, सीलिंग के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करती। सही बात है कि आज देश की परिस्थिति ऐसी है कि अपने राज्य को बनाये रखने के लिये और दावपेंच के लिये कोई न कोई नारा दिया जाय और किसी दावपेंच के संबंध में ही कांग्रेस सरकार ने यह नारा दिया है।

इसके आब्जेक्टस एण्ड रीजन्स, प्रिएम्बिल और विभिन्न धाराओं के पढ़ने से साफ तौर से जाहिर है कि इस सीलिंग के कोई अर्थ नहीं हैं। आज ही हमारे दुर्भाग्य से भाषण के समय पर प्रतिबन्ध लगा है इसलिये जिस तरह से कि मैंने तैयारी की थी उस तरह से विभिन्न धाराओं की व्याख्या तो मैं नहीं करूंगा केवल कुछ धाराओं का ही जिक्र करूंगा। जैसे फैमिली की परिभाषा है। सेक्शन ३ में २ बातें हैं, एक तो यह कि डिपेंडेंट फादर और डिपेंडेंट मदर, मेरा निवेदन है कि देश का जितना भी लेजिस्लेशन हो, टेनेन्सी ऐक्ट हो, जमींदारी पढ़िये चाहे वह हिन्दू ला हो, हिन्दू सक्सेशन ऐक्ट डिपेंडेंट फादर और डिपेंडेंट मदर की अबालिशन ऐक्ट को पढ़िए परन्तु इस तरह की व्याख्या ऐक्ट में आई है। जब लड़के के कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी चीज सब से पहले इस पास जमीन है तो डिपेंडेंट पिता या माता कह सकती है कि हम इनडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उनको कौन रोक सकता है, वह कह सकते हैं कि लड़के के ४० एकड़ के अलावा हमारे पास भी ४० एकड़ जमीन होनी चाहिये, इस तरह से मां और बाप अलग होकर उतनी ही जमीन रख सकते हैं। इसी तरह से अनसेपरेटेड सन, चाइल्ड, वाइफ, जो लड़के साथ में रहते हैं उनकी स्त्री, सब को अधिकार है जैसा कि अभी जज साहब फर्मा रहे थे कि अगर ४ बेटे हैं उनके बहू भी हैं तो हर बहू के नाम ४० एकड़ जमीन हो सकती है। इस तरह से

बाप-बेटे, नाती, पतोहू सब की मिलाकर २०० एकड़ जमीन परिवार में हो जायेगी। जिस लेजिस्लेशन में सीलिंग की बात की जाय और परिवार की ऐसी परिभाषा दी जाय, परिवार की परिभाषा जो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में दी गई है वह एक प्रोग्रेसिव परिभाषा है और हमें एक ध्येय की तरफ ले जा रही है लेकिन यह जो परिभाषा दी गई है यह मौलिक रूप से ही डिफेक्टिव है।

दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा फेयर एवरेज क्वालिटी आफ लैण्ड के सम्बन्ध में। मुझे यह तो नहीं मालूम कि मंत्रिमंडल में जोर किसका है अथवा कांग्रेस पार्टी में कौन जोरदार है लेजिस्लेशन के सिलसिले में, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि बुन्देलखंड का कोई नहीं है जिसका जोर हो। जहां २४ रुपये पर एकड़ का सर्किल रेट है, हैरीडिटेरी टीनेन्ट का १८ और १६ रुपये का है और जहां ५ रुपये एकड़ तक का सर्किल रेट है, वहां की जमीनों में कोई अन्तर इस सरकार के नजदीक नहीं है। नतीजा यह होगा कि जहां २४ रुपये या १८ रुपये का सर्किल रेट है वहां की जमीन न जाने उस जमीन के मुकाबले में कितनी अच्छी है जहां ५ रुपये फी एकड़ का सर्किल रेट है—जमीन की बाबत बड़ी भारी असमानता होगी। फेयर एवरेज क्वालिटी आफ लैण्ड की परिभाषा में कोई-कोई ऐसा होगा कि उसी जमीन से ३० हजार रुपये साल पैदा करेगा और कोई उसमें केवल ४ हजार रुपये साल पैदा कर पायेगा। फेयर एवरेज क्वालिटी आफ लैन्ड की परिभाषा रेन्ट पर या सर्किल रेट पर नहीं डिपेन्ड होनी चाहिए। इस बात पर हो कि आबपाशी कैसी होती है, सिंगिल क्राप है या डबिल क्राप है, उपज कैसी है। जो मौजूदा परिभाषा दी गई है अगर यही स्वीकार कर ली जाय तो ठीक नहीं होगा। यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जायेगा। माननीय मंत्री महोदय और अन्य आदरणीय सदस्य भी वहां बैठेंगे। वह इस बात पर विचार करें कि फेयर एवरेज क्वालिटी आफ लैण्ड की यही परिभाषा रहेगी तो बड़ी भारी असमानता हो जायेगी।

एक बात बुन्देलखंड के सिलसिले में अर्ज कर देना चाहता हूं। सन १९०३ में बुन्देलखंड एलियेनेशन आफ प्लान्ट्स ऐक्ट बनाया गया। बुन्देलखंड की सारी की सारी जमीन कर्जे में डूबी जा रही थी, साहूकार लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद १९०३ में ही बुन्देलखंड इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट बनाया गया। उसके बाद १९३४ में सारे उत्तर प्रदेश का जो यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट बना उसमें जहां प्रापर्टी और लैण्ड के इवैलुएशन का सवाल हुआ तो उसमें जो मल्टीपिल फिक्स किया गया वह जिला झांसी, जालौन, हमीरपुर, में १६ फिक्स किया गया। देवरिया में ७०, मेरठ में ६४ तय किया गया। इस तरह से साफ जाहिर है कि बुन्देलखंड की जमीन का मूल्य दूसरा है और दूसरी जगहों का दूसरा।

१९३९ में यू० पी० टीनेन्सी ऐक्ट आया। इत्तफाक से मेरे पास जो एडीशन है उसे फूड मिनिस्टर जैन साहब, जिन्होंने स्तीफा दे दिया, उन्होंने लिखने की जुर्रत की थी। तो १९३९ की सेलेक्ट कमेटी में, जो आब्जरवेशन हुआ, वह इस प्रकार है—

"We considered that if the maximum limit of fifty acres of sir allowed under the provisions of clause 16, as redrafted by us, was fair in the rest of the province, it would be too small in Bundelkhand and in those parts of the Allahabad, Etawah, Agra and Mathura districts which lie south and west of the Jumna. We considered that in these areas the maximum should be raised to one hundred acres and inserted a sub-clause so drafted as to cover the case in which a proprietor possessed sir on both sides of the Jamuna."

बुन्देलखंड की १०० एकड़ जमीन प्रदेश के और जिलों की ५० एकड़ के बराबर मानी जाएगी।

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

यू० पी० जमींदारी एबालीशन ऐक्ट की धारा ३३७ में यह कानून बना कि:--

"337. For the purposes of computing the area fixed under any of the provisions of this Act, two acres shall count as one acre in the following areas—

(*a*) Bundelkhand....."

सेलेक्ट कमेटी ने यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट को आब्जर्व किया:--

"In the United Provinces Tenancy Act, the principle has been accepted that in sparsely cultivated areas, viz., Bundelkhand and the Trans Jamuna portions of the Allahabad, Etawah, Agra and Mathura districts two acres should count as one. We have, therefore, made it a general provision that for the purpose of computing the area fixed under the provisions of the Bill two acres in those regions should count as one acre."

तो मेरा कहना है कि बुन्देलखंड का एकरेज जो होगा वह दूसरी जगहों के एकरेज से भिन्न होगा। जितने भी अब तक लेजिस्लेशन्स हुए हैं उनमें इस सिद्धान्त को पूर्णरूप से मान लिया गया है कि बुन्देलखंड में २ एकड़ प्रदेश के और जिलों में १ के बराबर होगा। १९५८ में जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में तरमीम हुई उसमें जो ३० एकड़ जमीन दी गई थी उसको साढ़े १२ एकड़ किया गया और जिसमें यह मान लिया गया कि प्रदेश के साढ़े १२ एकड़ की जगह बुन्देलखंड में २५ एकड़ माना जायगा। इस वजह से हमारा निवेदन है कि अगर सवा ६ एकड़ सीलिंग रखी जाय तो बुन्देलखंड में साढ़े १२ एकड़ होनी चाहिये। मतलब यह कि बुन्देलखंड की जो पैदावार है उसके हिसाब से सारे प्रदेश की जो पैदावार है उसमें बहुत बड़ा अन्तर है।

इसके अलावा दूसरी तरह से भी देखें, अगर यह कहा जाय जैसा माननीय महीलाल जी ने कहा कि आबादी के दबाव से यह बात तय होगी। तो देवरिया, मेरठ, में १ स्क्वायर मील में ९५० आदमी रहते हैं और बुन्देलखंड के चार जिलों में एक वर्ग मील में २५५ के करीब आदमी रहते हैं। तो हमारे यहां की आबादी के दबाव में और मेरठ जिले की आबादी के दबाव में भी बड़ा फर्क है। हमारे यहां आबादी कम है और जमीन ज्यादा है। बुन्देलखंड में जमीन पर कैपिटा २.१० एकड़ है। मेरठ जिले में पर कैपिटा जमीन .६५ एकड़ है। देवरिया में .६४ एकड़ है और बुन्देलखंड के जालौन जिले में २.०३ एकड़ पर कैपिटा जमीन है, बांदा में २.३४ एकड़ है और इसी तरह से २.६७ हमीरपुर जिला और २.८६ झांसी जिला में पर कैपिटा लैण्ड बुन्देलखंड में अवेलेबिल है। उसके हिसाब से आप देखेंगे कि बुन्देलखंड में ज्यादा जमीन अवेलेबिल है और वहां किसी सूरत में इंटेंसिव कल्टीवेशन सफल नहीं हो सकती। वहां एक्सटेंसिव कल्टीवेशन सफल होती है। वहां पर जमीन की किस्म के बारे में डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैन्डबुक, में लिखा है--

"The soils of the district are the well known soils of Bundelkhand, mar, kabar, parwa and rakar. Mar is a calcareous soil of a prevailing blackish hue interpersed with small lumps of kankar, friable and very retentive of moisture."

इस किस्म की जमीन जिला जालौन में है। मार की जमीन में आबपाशी नहीं होती, न मार की जमीन में हम खाद डाल सकते हैं। तो हमारे यहां एक्सटेंसिव कल्टिवेशन के अलावा कभी इंटेंसिव कल्टीवेशन संभव नहीं। मेरठ की जो जमीन है उसके सेंसस में लिखा है--

"As regards the soils, the district is one of the best in State. On the whole it is a tract of extraordinary rich and uniform soil, fully irrigated and splendidly cultivated.'

तो मेरा निवेदन है कि दोनों जगह की जमीन एक सी जमीन नहीं हो सकती और जमीन की सीलिंग मुकर्रर करते वक्त इस सदन को सब तरीके से कंसीडरेशन करना चाहिये। अगर बुन्देलखंड का किसान किसी सूरत में दूसरे किसान के बराबर रख दिया गया तो उसकी उदर पूर्ति किसी तरह से नहीं हो सकती।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग का कानून आया। लेकिन जिला जालौन के संबंध में मुझे मंत्री महोदय से कहना है कि १० हजार एकड़ जमीन, जिसकी लिखी शहादत मौजूद है, कांग्रेस के लोग दबाये बैठे हैं। जिलाधीश से व कमिश्नर से हमने कहा, मंत्री महोदय से कहा। मंत्री महोदय ने कलेक्टर साहब को लिखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप सीलिंग कर देंगे लेकिन उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस मैन इंफ्लुएंशियल हैं वे सैकड़ों हजारों एकड़ पर पर कब्जा किये रहेंगे, उनको कोई कानून बेदखल कराने को तैयार नहीं है। जिस तरह से सीलिंग का कानून हो रहा है, जिस पक्षपात तरीके से वह इस्तेमाल किया जायगा उससे उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं होने वाला है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर काफी बहस हो चुकी है और दोनों तरफ से मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना। मुझे इन भाषणों से जो आभास हुआ उसमें अलग-अलग वेशभूषा में विचार प्रकट किये गये और उनसे ऐसा ज्ञात होता था कि अधिकतर जितने माननीय सदस्यों ने इस बिल पर बोला है उससे पता चलता है कि इस बिल से कोई भी राहत आम जनता को मिलने वाली नहीं है। यह राय मैंने उनके भाषणों में पायी है।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक राहत देने का है मैं उनकी इस भावना का आदर करता हूं जिससे प्रेरित होकर इस बिल को इस सदन में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, परन्तु जो प्राविजन्स उसके अन्दर रखे गये उनके अनुसार बड़े-बड़े फार्म्स को जिनमें ट्रैक्टर के जरिये और आधुनिक तरीके से खेती होती है उनको इस कानून की बन्दिश से एग्जेम्प्ट कर दिया गया, जो कि मैं अनुचित समझता हूं। जहां तक गरीबों और खेतिहरों को मदद पहुंचाने की इस बिल की नीयत है उससे मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम वह लोग जो खेती करते चले आये हैं, जिनका पेशा ही खेती है, चाहे उनकी अपनी खेती हो या गैर की खेती में काम करते हों और उससे उनका गुजर बसर होता हो, तो मैं समझता हूं कि अगर किसी को खेती मिले तो उन्हीं लोगों को मिले जो कई पुश्तों से खेती करते चले आये हैं। यहां पर दलीलें दी गयीं कि क्या इस मुल्क में हम सभी को खेती पर बसाना चाहते हैं। आप उन लोगों को खेती पर बसा रहे हैं जिन्होंने खेती कभी देखी नहीं, जिनके जीवन यापन का साधन कभी खेती रहा नहीं। आपकी इस दलील और तकरीर पर हमें तरस आता है। अगर इस प्रकार की दलीलें और तकरीरें इस सदन में दी जाती हैं जहां इस प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ जनता के भाग्य का फैसला होता है तो मैं कहता हूं कि वे कतई सुनने के काबिल नहीं हैं। अगर ज्यादा भूमि नहीं दी जा सकती है तो थोड़ी भूमि ही दीजिये। मैं समझता हूं कि उससे उसको फायदा होगा। उनका कहना है कि वे तो मजदूरी कर सकते हैं। ठीक है। आप भी मजदूरी कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास तिजारत है, मोटर है, नौकरियां हैं, अफसोस है ऐसी बुद्धि के लिये जो सजेस्ट करती है उन लोगों को जो खेती पर निर्भर नहीं करते। कहते हैं कि कल-कारखानों में काम करना चाहिये। जो खेती से परिचित है उसको कहते हैं कि कारखानों में काम करे। कहते हैं कि ३,६०० रुपये सालाना की आमदनी होती है। क्या आपने बुद्धि से सोचने की कोशिश की है?

श्री उपाध्यक्ष—"आप" शब्द का प्रयोग मेरे लिये हो सकता है, बड़ी परेशानी हो रही है। आप किसको कह रहे हैं?

श्री चन्द्रसिंह रावत—"आप" शब्द का इस्तेमाल जो मैं कर रहा हूं उसका मतलब है सदन से और सरकार से। इसलिये मैं "आप" शब्द को उस सेन्स में इस्तेमाल करते हुए

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

बोलना चाहता हूं। जो ३,६०० रुपया सालाना आमदनी बतायी जाती है मैं कहना चाहता हूं कि जिनके पास बड़ी-बड़ी सर्विसेज हैं, आई० सी० एस०, पी० सी० एस०, डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस, तिजारत उनके पास है, उनकी मोटरें चलती हैं, ट्रांसपोर्ट में उनके शेयर्स हैं, मैं कहता हूं कि आपने खुद इस बात को कबूल किया है कि इस मुल्क में कोई इन्सान ऐसा नहीं है जो एक ही बात पर टिका हो, इसलिये मैं बता देना चाहता हूं कि जहां उन लोगों के पास जीवन-यापन के दूसरे और तीसरे जरिये हैं क्यों न उनको जमीनों से खाली कर दिया जाय? अगर हमें मुल्क की व्यवस्था करनी है तो हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। जिनके पास दूसरे जरिये हैं, हजारों, लाखों की जिनकी आमदनी है फिर भी आप उनको जमीनें दिये रहना चाहते हैं और जो जमीन पर ही गुजर-बसर करते आये हैं उनको आप जमीन नहीं देना चाहते। अगर आप इस देश का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको एक व्यवस्था कायम करनी होगी जिसमें यह मुल्क, यहां के रहने वालों के भरण पोषण का भार सम्हालने को तैयार हो। जो लोग जिन्दगी भर कमा-कमा कर अपने धन को गाड़ कर अपने नाती और पोतों के लिये छोड़ जाते हैं उनका मुल्क के भविष्य पर कोई विश्वास नहीं है, वे मुल्क के अन्दर एक तरह का पैनिक फैलाते हैं, वे समझते हैं कि जो पीढ़ी आने वाली है उसके लिये अगर हम व्यवस्था नहीं कर जायेंगे तो हमारा यह देश और प्रदेश उनकी व्यवस्था करने में असमर्थ होगा। उनका यह विश्वास एक डिफिटिस्ट मेन्टैलिटी का है जिनके चरित्र में कमी है जो केवल अपने को राजनीतिक फील्ड में खड़े रहने और जिन्दा रखने के लिये ऊंचे ऊंचे नारे लगाया करते हैं और बड़े-बड़े आइडियल्स को लेकर जनता के सामने जाते हैं। मैं समझता हूं कि लोग कहते हैं कि वही तर्क १५० एकड़ के लिये दिया जा सकता है और वही ४०, ३० तथा १२ एकड़ के लिये दिया जा सकता है। मैं कहता हूं कि यह आप कैसे कहते हैं? साढ़े बारह एकड़ से कम से कम विषमता तो कम हो गई है। १२ एकड़ में और ४० एकड़ में बहुत फर्क है लेकिन आप कहते हैं कि कोई फर्क नहीं है और एक ही बात है। आप यदि इस चीज को भी नहीं समझते तो इसके माने हैं कि आपको अर्थमेटिक बहुत कम आती है। आपको फिर से तीसरे दर्जे से अर्थमेटिक शुरू करनी चाहिये और इसके सीखने की बहुत जरूरत है। आज आपको विषमता को दूर करना है। मुझे आपके तर्कों पर दया आती है कि आपकी तर्क इतनी तथ्यहीन है।

अब जहां तक प्रश्न उन लोगों का आता है जो खेती-बारी करते आये हैं तो उनसे हमारी सहानुभूति हो सकती है, हमदर्दी हो सकती है। लेकिन आपके पास तो नौकरियां हैं, आपके पास तिजारत है, इसलिये हम आपको जवाब दे सकते हैं। हम आप से कोई भय नहीं खाते हैं, हम आप से डरते नहीं हैं, आप कितने ही ताकतवर अपने को क्यों न समझते हों लेकिन हम जानते हैं कि आपकी ताकत खोखली है, आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं, आप लोगों को कुत्ते की तरह दाल रोटी के लिये भगाना चाहते हैं। आपकी सूरत साफ होते हुए भी काले कपड़े से आप छाये हुए हैं। आपके दिल और दिमाग में काले धब्बे हैं, आपके विचार स्वतंत्र नहीं हैं। आज यदि हमें कोई व्यवस्था करनी है तो हर व्यक्ति को साथ-साथ लेकर करनी होगी।

मैं कहता हूं कि वह लोग जो गरीबों की वोट लेकर यहां आये हैं और आप से यह वायदा कर आये हैं कि उत्तर प्रदेश की असेम्बली में बैठ कर आपकी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करेंगे और आप यहां आ कर कहते हैं कि गरीबों को जमीन नहीं मिलनी चाहिये मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों ने जनता को धोखा देकर वोट लिया है। ऐसे लोगों को सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आपने ब्रीच आफ ट्रस्ट किया है और आप जनता के सामने दोषी हैं और आपको इस दोष को दूर करना होगा। अगर जनता के प्रतिनिधि हैं और सदन में उनकी बात कहना है तो आपको अपने दिल और दिमाग की बात नहीं कहनी होगी बल्कि जनता की बात कहनी होगी। जो जनता की बात नहीं कहते हैं वह जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। हमें जनता के दिमाग और आंखों से देखना होगा, जनता के कानों से सुनना होगा, जनता की बातों को हमदर्दी के साथ

बयान करना होगा। इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमें यह सोचना चाहिये, चाहे कोई सोशलिस्ट हो, चाहे कोई कम्युनिस्ट हो या कांग्रेसी हो या कोई भी हो, वह सब मुल्क के रहने वाले हैं और सब लोग एक ही बात चाहते हैं कि हमारे देश में खुशहाली हो और एक भी व्यक्ति भूखा नंगा न हो। अगर कोई अच्छा खाना खाता है तो हमें कोई जलन नहीं होती है। वह खा सकता है लेकिन गरीबों को मोटा खाना और मोटा कपड़ा पहनने को अवश्य मिलना चाहिये। अगर आप इसके लिये तैयार नहीं हैं तो आप से लिया जायगा। अगर आप सीधे तरीके से नहीं देंगे तो आप से जबर्दस्ती लिया जायगा। यह समय की पुकार है। हमारी कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा कानून लाने की कोशिश की है। हमारे पुराने कानून अब आउट आफ डेट होते चले जा रहे हैं और वह कानून अब डिफेक्टिव नजर आते हैं।

जैसे हमारे भाइयों ने तर्क दिया था कि आपने तनख्वाहों पर सीलिंग नहीं की। ठीक है, हम भी जानते हैं कि हाउस प्रापर्टी पर, कल कारखानों की आमदनी पर सीलिंग हो। बहुत ठीक है। लेकिन उसका एक ही जवाब है कि पहले आप एक को ठीक कर लीजिये दूसरे पर फिर प्रयास किया जायगा। अगर एक ही में असफल हो गये तो दूसरे को ठीक करने की हममें क्षमता नहीं होगी। जो दलीलें और तकरीरें यहां पर दी गयीं वह दलीलें और तकरीरें उस स्वतंत्र पार्टी की हैं जिसका सूत्रपात राजा जी ने इस देश में किया है। अगर यही बात है तो आपको स्पष्ट बताना चाहिये कि हम नहीं चाहते। अगर यह कानून केवल दिखावे के लिये है, इस तरह का इन्फक्टुअस ला बनना तो हमारी बुद्धिमत्ता के प्रति लोगों का अविश्वास पैदा करना है। इस तरह का प्रयास जिससे हमारी बदनामी हो, ऐसा कानून पास करें जिससे जनता में हम पढ़े लिखों की मखौल हो, जो कानून अमल में नहीं आ सकता है, जिस कानून में यह क्लियरली जाहिर किया जाता है कि जनता के उत्थान के लिये है, अगर उससे जनता को राहत नहीं मिलती तो मैं कहता हूं कि इस बिल पर डिस्कशन करने में जनता का जो रुपया जाया होगा और सदन का जो समय जाया होगा, जनता के खजाने को नुकसान पहुंचेगा तो हम जनता के प्रति विश्वास की बात नहीं करेंगे, और जनता को नुकसान पहुंचायेंगे।

इसलिये निष्पक्ष भाव से दोनों तरफ से हर व्यक्ति का फर्ज हो जाता है, आखिर हम पढ़े-लिखे लोग जनता और समाज को प्रकाश के रास्ते पर लाने के लिये अग्रसर हुए हैं, अगर हम अपने मुल्क के लिये अभिशाप बन जायं तो यह ठीक नहीं होगा। क्या हम पार्टीबाजी के पीछे अपने मुल्क को बर्बाद करने के लिये तैयार हैं? हमारा मुल्क सबसे ऊपर है। पार्टी बाद में है। मुल्क की व्यवस्था अच्छी करने के लिये अलग-अलग विचार और अलग-अलग पार्टियां हो सकती हैं। विचार और पार्टी के द्वारा मुल्क के हितों का विकास कर सकते हैं। इसलिये मुल्क सबसे बड़ा है। कांग्रेस बड़ी नहीं, सोशलिस्ट पार्टी बड़ी नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी नहीं है। यह तो एक साधन है मुल्क के मसलों को हल करने का। इसलिये हमारा उत्तर प्रदेश पहले कांग्रेस, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट बाद में। हम बुद्धिजीवी हैं। ४० और १२ का फर्क बिष्ट जी कबूल करेंगे। जो बात सही है वह सही रहेगी। इसको भी वह कबूल करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपने मुझे थोड़ा-सा समय अपने विचारों को सदन में रखने का दिया।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा गांव में भी होता है। जब दो पार्टियां होती हैं तो उसी पार्टी का एक आदमी जो दूसरी पार्टी का दुश्मन हो वह उनकी जब कुतारीफ करने लगता है तो दुश्मनों को बड़ा मौका मिलता है ताली पीटने का। ऐसा होता है। यह यहां की कोई नयी चीज नहीं है, श्रीमन्, ऐसा गांवों में भी होता है। जब हम एक सच्ची बात कहें तो हमारे ही भाई यह कहने लग जायेंगे कि पुजारी जी क्या कह रहे हो, यह तो समाजवाद है। समाजवाद, समाजवाद, आज की दुनिया में एक ओम् बन गया है। जैसे परमात्मा का नाम रटा जाता है ऐसे ही समाजवाद का नाम रटा जा रहा है। इसमें नारा जमीन का लगाते हैं। यहां भी तीन दिन से सुन रहा हूं। कोई भाई कहता है

[श्री टीकाराम पुजारी]

कि ३० एकड़ होना चाहिये, कोई कहता है कि ४० एकड़ होना चाहिये, कोई माननीय सदस्य कहता है कि साढ़े बारह एकड़ होना चाहिये। मैं सुनते-सुनते ऊब गया कि आज यह सारा नम्बर किसानों का ही है क्या? हर साल चकबन्दी हो तो इनकी हो, जमीन की सीलिंग हो तो इनकी हो, टैक्स लगाया जाय तो इन पर लगाया जाय। कभी, टाटा, बिरला, कमलापति, डालमिया, उस्मानियां, दौलतराम, हीराचन्द, बालचन्द, पद्मपत सिंहानियां, जुग्गीमल, इन पर नहीं लगेगा। हमारे देश में इन ९ आदमियों पर ५५ प्रतिशत दौलत है और ४५ प्रतिशत में बाकी हिन्दुस्तान है।

अब इन पर सीमा लगे, श्रीमन्। इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। लेकिन यह नहीं होगा। हां, सीमा निर्धारण करेंगे तो हमारी ही सीमा का निर्धारण करने की ठेकेदारी ले रखी है सब ने कि हमारी ही सीमा निर्धारित हो। सीमा निर्धारण टाटा का भी होना चाहिये, बिरला का भी होना चाहिये जिन पर तीस-तीस हजार, चालीस-चालीस हजार का मुनाफा रोज का है। वह किया जावे ४ हजार महीना बिरला का, ४ हजार महीना टाटा का और ४ हजार महीना सभी बड़े-बड़े धनियों का। इससे सरकार समझ ले कि इन पूंजीपतियों से करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आ सकता है। सरकार का खजाना भर सकता है और किसान मजदूर सुख की सांस ले सकता है। यह एक चीज सदन के सामने नयी नहीं है। यह दबी हुई है श्रीमन्। उनका राष्ट्रीयकरण किया जावे।

श्रीमन्, कलेक्टरों के खानदान, डी० एम०, ए० डी० एम० के खानदान, मुन्सिफ होते हैं उनके खानदान, एस० डी० ओ० के खानदान, इन मिनिस्टरों के खानदान, डिप्टी मिनिस्टरों के खानदान और जो बड़े-बड़े हैं इनके खानदानों का हिसाब लगाकर के देखा जाय, आज से २० साल पहले इनकी क्या हालत थी और आज इनकी क्या हालत है? इस पर रोक और एक मेंड़ बना दी जाय कि जिसके पास १० हजार से ज्यादा की मालियत हो उसको कुर्क करके जबरन उस पर कब्जा किया जाय और सरकार के खजाने में उस दौलत को रखा जाय, श्रीमन्। यह समाजवाद की रूपरेखा आपके सामने मैंने बतायी है। बहुत भाई न जाने क्या कहेंगे? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। वैसे ही यहां है। स्पीच में तेजी जनता के दिखावे को और हाथ उठावे को साथीगण के साथ। श्रीमन्, यही करेंगे जो अभी भाई स्पीच दे रहे थे। तो यह जनता को गुमराह करने की चीज थी। मैं तो कहता हूं कि पूंजीपतियों की सीमा निर्धारित की जावे, राजे महाराजाओं को जो पेंशन मिलती है वह वही हिसाब से मिलनी चाहिये। जो जितना एक बीच के किसान का मुनाफा होता है उसके लिये उतना मुनाफा होना चाहिये। मैं अपनी पार्टी वालों से, जो विरोधी पार्टी के १४४ भाई हैं, उनसे मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि आप लोग एक प्रस्ताव लाइये कि सरकार पहले पूंजीपतियों की हदबन्दी करे, फिर बड़े ओहदेदारों की हदबन्दी होनी चाहिये। ओहदेदार अपना फार्म कराता है और बेटा कलेक्टर है। एक बेटा इन्सपेक्टर है दूसरा दीवान है। उसका ४ लाख रुपया बैंक में जमा है। १५० एकड़ जमीन है जिस पर फार्म होता है। उस जमीन को जब्त करके उन किसानों को दी जाय जिनके पास अलाभकर जोत है या जो खेतिहर मजदूर हैं। उस प्रस्ताव में यह कहा जाय कि सरकार ६ महीने के अन्दर इस प्रस्ताव को मान ले। जमीन की सीमा बाद में निर्धारित की जाय पहले सरकार पूंजी पतियों की सीमा तय करे। अगर यह सरकार यह तय नहीं करे तो हम जो विरोधी पार्टी के १४४ आदमी हैं वे इस्तीफा देकर जनता के सामने जांय और कहें कि हमने तुम्हारे लिये यह किया और हम इस्तीफा देकर आये हैं। हम इसमें कुछ भेद नहीं समझते हैं। सब पार्टी के भाई एक हैं इसलिये मैं सभी पार्टियों के भाइयों से कहता हूं। हम सब विरोधी भाई जनता में चले और जनता में हमारा मुंह भी उजाला रहेगा कि हम इस तरह का प्रस्ताव लाये कि टाटा, बिड़ला जैसे करोड़पतियों की सीमा निर्धारित करें। उसको सरकार ने नहीं माना तो हम १४४ इस्तीफा देकर आ गये हैं। तब जनता खुद ही समझ लेगी कि यह सरकार निकम्मी है।

कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। आप तो इस नेतागिरी के चक्कर में पड़े हुए हैं :

"यह नेता चक्र अपने का चला लो और थोड़े दिन
गरीबों बेगुनाहों को सता लो और थोड़े दिन।
इधर के हों उधर के हों सभी हम एक साथी हैं।
दिखा कर आंख, दे धमकी डरा लो और थोड़े दिन।
कुछ कहे, होय चकबन्दी, नहीं सहकारिता होगी,
टैक्स पर टैक्स और अपने लगा लो और थोड़े दिन।
टोस्ट और चाय का पानी लगाकर बीच में मक्खन,
डबल रोटी और बिस्कुट उड़ा लो और थोड़े दिन।"

इधर तो कह दिया कि सहकारिता होगी और उधर इनकी राजनीति देखिये कि उधर इशारा कर दिया। राजगोपालाचार्य की तरफ इशारा कर दिया कि सहकारिता से गड़बड़ होगी। अगर किसी को राजनीति सीखना हो तो इस कांग्रेस सरकार से सीखे। किसान हिलने न पावे उस तरह का यहां पर इन्तजाम किया जाता है। यह राजनीति है। इस राजनीति पर कोई नहीं पहुंचता। मैं तो इन सब बातों को समझता हूं। मैं सन् १९२१ का कार्यकर्ता हूं श्रीमन्, बड़ी कुर्बानी की है मय सब बच्चे और बेटों के। मैं पुराना कांग्रेसी हूं। इसलिये यह अर्ज कर रहा हूं कि:

"रोयती आकर जनता अपनी मांग ले कर के,
अकड़ कर आज अपने को दिखा लो और थोड़े दिन।
चले जब जाओगे यहां से लौट वापस न आओगे,
आखिरी दावतें अब तो उड़ा लो और थोड़े दिन।
बिरादरी एक है नेता हमें क्यों दोष देते हो,
वह नाटक नाच अपने को दिखा लो और थोड़े दिन।"

मैं फिर कहता हूं कि ढोल में पोल निकली है। मैंने देखा कि जितने नेता थे सब पोलें निकले :

"ढोल में पोल निकली है, मैंने प्रत्यक्ष में देखा,
पुजारी जान इन पर सों अब बचा लो और थोड़े दिन।"

श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा हूं कि जमीन का पट्टा पहले एक हो जाना चाहिये था। एक-सा खेत, एक-सी जमीन, लेकिन एक का लगान एक रुपया, दूसरे का दो रुपया और तीसरे का तीन रुपया। जब दसगुना लिया जाता है तो एक खेत का १० रुपया, दूसरे खेत का २० रुपया और तीसरे खेत का ३० रुपया लिया जाता है। तो यह क्या बात है? जब जमीन चाई हो जाती, खाद और पानी का प्रबन्ध हो जाता और उसके बाद चकबन्दी का नाम आता तो कोई बात होती और सब ऊटपटांग मालूम नहीं होता। आपने नये पैसे चला दिये। एम० ए० हो, बी० ए० हो, विद्वान से विद्वान आदमी चला जाय लेकिन वह एक रुपय की रेजकारी गिनना नहीं जानता। मैं कहता हूं कि अगर आपको जनता में उज्ज्वल बनना है तो पहले उन किसानों-मजदूरों का भला करो जिनसे वोट पा कर तुम यहां आये हो। वह खुश होंगे तो हम खुश रहेंगे। जब बनाने वाला ही खुश नहीं रहेगा तो बनने वाला कहां से आयेगा। महतारी बाप मिल कर पुत्र को बनाते हैं और पुत्र का धर्म है कि वह उनकी सेवा करे, उनके खाने पहिरने का प्रबन्ध करे, उनके स्वास्थ्य का इन्तजाम करे। किसान मजदूर हमारे आपके महतारी बाप हैं जिन्होंने हमको आपको बना कर यहां भेजा है। उनकी सेवा करना हमारा कर्त्तव्य और धर्म है। (व्यवधान) यह तो मैं नहीं कहता कि कलजुगी हैं। क्योंकि फिर इधर के भी कलजुगी होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ३० एकड़ जमीन काफी होती है और साढ़े छः एकड़ कम से कम ५ आदमियों के परिवार को मिलनी चाहिये। लेकिन जो डिप्टी कलेक्टर हों या ऊंचे खानदान के हों उनके पास की जमीन लेकर अलाभकर जोत वालों को दी जाय। अब सहकारिता की बात भी मैंने सुनी।

[श्री टीकाराम पुजारी]

श्रीमन्, हमारे यहां बहुत पहले से सहकारिता चली आ रही थी। हमारा खेत है हमने एक बैल का किसी को साझीदार कर लिया, किसी को चार बीघा जमीन दे कर साझीदार बना लिया। यह सहकारिता का रूप था, लेकिन वह भी इस सरकार ने छीन लिया। हम चार बीघा खेत भी किसी को दे नहीं सकते, एक बैल का साझी नहीं कर सकते। कहा यह जाता है कि अलाभकर जोत वालों को एकत्रित करके सहकारिता के आधार पर खेती होनी चाहिये। रूस की नकल होनी चाहिये, अमरीका की नकल होनी चाहिये। उनके पास जमीन ज्यादा है, आदमी कम हैं। वहां ट्रैक्टर और मशीन से खेती हो सकती है। हमारे उत्तर प्रदेश में आदमी ज्यादा हैं और जमीन कम है। यहां ट्रैक्टर से कतई खेती नहीं होनी चाहिये, उससे बेरोजगारी और अराजकता बढ़ेगी। यह मेरा सुझाव है कि हमारे यहां ट्रैक्टर और मशीन से खेती नहीं होनी चाहिये। इतना कह कर मैं क्षमा चाहूंगा और उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन अंत में मेरा निवेदन है कि जनता में मुंह दिखाने के लिये आप पूंजीपतियों की सीमा बांधिये और विरोधी लोग इसके लिये प्रस्ताव रखें और अगर सरकार न माने तो इस्तीफा देकर उत्तरी क्षेत्र में और कहो कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सन् १९६२ में किसान मजदूर की सरकार बन जायगी, कोई रोकने वाला नहीं है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था, या यों कहिये कि अर्थ व्यवस्था में एक बड़ा भारी मोड़ देने वाला है, क्योंकि हम खेती के क्षेत्र पर हदबन्दी करने जा रहे हैं, इसलिये कई दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। मैं आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ८० प्रतिशत लोग खेती पर आश्रित हैं, खेती करते हैं और कुछ जिलों में तो ८५ और ८७ फीसदी तक खेती करते हैं। तो खेती प्रधान ही अर्थ व्यवस्था है। हमारे सामने प्रश्न यह है कि आर्थिक दृष्टि से हम समाज कल्याणकारी राज्य में कौन-सी व्यवस्था लायें जिससे "बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय" के हमारे लक्ष्य की पूर्ति हो। उसके लिये मैं इसके प्रयोजन को पढ़ता हूं, "सामुदायिक हित के लिये यह आवश्यक है कि अधिक उत्पादन सुनिश्चित किया जाय तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर के लिये तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि की इस प्रकार व्यवस्था की जाय जिससे अधिकतम लोकहित साधन हो"। उद्देश्य में अन्त में लिखा हुआ है कि "भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को यथासम्भव मात्रा में भूमि उपलब्ध कराकर उसका अधिक साम्यपूर्ण वितरण करने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से तथा सहकारिता के आधार पर खेती की व्यवस्था करने और भूमि के प्राप्य साधनों का संरक्षण इस प्रकार बनाये रखने के विचार से कि राजकीय फार्मों में आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से खेती कर के उत्पादन में वृद्धि की जाय तथा कमी के वर्षों के लिये खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह बनाया जाय"। दोनों उद्देश्यों को देखने के बाद मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि इसके दो मुख्य लक्ष्य हैं। एक तो प्रदेश को खाद्यान्न की दृष्टि से अपने पैरों पर खड़े रहने वाला बनाना है, दूसरे आर्थिक दृष्टि से अधिक से अधिक जो उसमें अन्तर है उसको भी खत्म किया जाय।

कुछ माननीय सदस्यों ने साढ़े छः एकड़ की बात कही, कुछ ने साढ़े १२ एकड़ की, कुछ ने २५ एकड़ की और कुछ ने ४० एकड़ या उससे ऊपर की बात कही। आखिर इसका आधार क्या होना चाहिये और हमको इस सीमा निर्धारण में क्या विचार करना चाहिये इस पर ध्यान देना आवश्यक है। उसके बाद कोई सिद्धांत निरूपण करना चाहिये। प्लानिंग कमीशन हमारे राष्ट्रीय आयोग की तरफ से है जिसने हर क्षेत्र के आर्थिक जीवन की नाप तौल करके एक सीमा निर्धारित की है। उसने निश्चय किया है कि ३,६०० रुपया प्रति परिवार एक वर्ष में आमदनी होनी चाहिये। परिवार की परिभाषा उत्तर प्रदेश में ५ आदमियों की है। इसके माने यह हुए कि १२ महीने में ६० रुपये प्रति व्यक्ति पड़ा। यह भी सत्य है कि इसी व्यवस्था में २००, २५०, ५०० और १,००० के वेतन भोगी भी हैं और उसमें व्यापारीवर्ग है, वकील मुख्तार हैं जो ५००, ७०० और १,००० रुपये एक दिन में कमाते हैं। तो हम एक ऐसी व्यवस्था का

निर्धारण करने जा रहे हैं जिससे अधिक से अधिक लोगों पर इसका असर पड़े और यह भी निश्चय करना होगा कि खेती में लोग लगे रहें या नहीं। अगर यह उद्देश्य हो कि खेती से अधिक से अधिक लोग हटा दिये जायं तो हमें यहां की आबादी की ओर देखना होगा। यहां की जनसंख्या साढ़े छः करोड़ है जिसमें पांच करोड़ आदमी देहात में रहते हैं और हमारे प्रदेश में पांच करोड़ एकड़ ही जमीन है तो इस प्रकार से ऐसा साम्य हो गया कि एक आदमी पर एक एकड़ पड़ता है। किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है। दूसरा लक्ष्य हमें अन्न उत्पादन का सोचना पड़ेगा। एक लखपती आदमी से अगर हमने एक लाख रुपये लेकर एक लाख आदमियों को बांट दिया, तो मिलने वालों को सिर्फ एक-एक रुपया ही मिला लेकिन उसका एक लाख रुपया चला गया। अगर वह एक लाख रुपया उसके पास होता तो उससे वह कोई उद्योग या धंधा चलाता जिसमें सैकड़ों आदमियों को रोजी मिल सकती थी। यह मानी हुई बात है कि हमारा लक्ष्य कल्याणप्रद और हर एक के जीवन-यापन की व्यवस्था का होना चाहिये। कुछ हमारे खेती विहीन भाई हैं वह चाहते हैं कि साढ़े छः एकड़ की सीमा होनी चाहिये। गत वर्ष चौधरी चरण सिंह ने एक बिल को पेश करते हुए साढ़े १२ एकड़ की सीमा निर्धारित की थी। उस समय उनका आशय यही था कि तीन आदमियों का एक परिवार माना जाय यानी स्त्री, पुरुष और एक नाबालिग लड़का। अगर लड़के बालिग हो जाते हैं तो वह ४८ एकड़ तक हो सकती है। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट, १९५८, के समय उन्होंने ४८ एकड़ निर्धारित की थी। जब लोगों ने कहा था कि साढ़े १२ एकड़ से क्या होगा तो उन्होंने चर्चा की थी।

साढ़े छ एकड़ और साढ़े १२ एकड़ की मांग करने वालों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बटवारे से खाद्य समस्या हल हो जाय तो मैं इसके लिये भी तैयार हूं कि एक-एक एकड़ ही बांट दी जाय। लेकिन इसमें प्रश्न यह है कि क्या इससे खाद्यान्न स्थिति अच्छी हो जायगी या नहीं, क्या उत्पादन में वृद्धि होगी या नहीं। संसार में दो तरह की व्यवस्था है। एक तो पूंजीवादी जो कि अमरीका वगैरह में है और दूसरी साम्यवादी जो कि रूस में है। अमरीका से हम गेहूं, बाजरा मंगा रहे हैं और सस्ती दूकानें खोलकर उत्तर प्रदेश और सारे देश में बांट रहे हैं। वहां पर खाद्यान्न कैसे बढ़े? मेरे एक मित्र वहां से अभी लौटे हैं उन्होंने अभी १० दिन पहले एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि अमरीका में एक २००, ३०० एकड़ के फार्म में हर तरह की व्यवस्था होती है, सब साधन मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में वहां मैक्सिमम ईल्ड पैदा होती है। फार्म होल्डर को भी संतोष होता है कि हम देश की सेवा कर रहे हैं और अपना भी काम कर रहे हैं।

दूसरी व्यवस्था रूस की है जहां एक प्रकार से सामूहिक खेती होती है यानी सरकार की ओर से होती है। अब हमारे लिये दोनों के बीच में कौन-सा रास्ता हो। हम अपने यहां बड़े-बड़े फार्म्स नहीं रख सकते क्योंकि हमारी यह नीति नहीं है और साथ ही साथ हम साम्यवादी नीति भी नहीं अपना सकते। प्रजातंत्र की व्यवस्था को मानने का हमारा निश्चय है। मिश्रित अर्थ व्यवस्था हम यहां पर चाहते हैं। निजी पूंजी से भी हम अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं और उनसे टैक्स लेकर हम सबको वितरण करें, यह हमारा लक्ष्य है। कभी-कभी कहा जाता है कि बिरला, डालमिया ने करोड़ों रुपया कमाया है, यदि उनका रुपया हम लेना चाहते तो ले सकते हैं। पूरब के जिलों में चीनी की बहुत सी मिलें हैं। वह अगर १०० रुपये कमाती हैं तो करीब ९० रुपये प्रशासन के टैक्स में निकल जाते हैं सिर्फ उनको १० रुपये बचते हैं। अमरीका में १,००० रुपये की आमदनी में कम से कम ७५० रुपये टैक्स के रूप में निकल जाते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक वितरण का प्रश्न है, वह ठीक है, जैसे चाहें वितरण किया जाय लेकिन इसमें इस प्रकार से कार्य होना चाहिये जिससे हमारे यहां जो मौजूदा कृषि की व्यवस्था है उसमें कोई कठिनाई न उत्पन्न होने पावे, ऐसा न हो कि डालर की कमी की वजह से अन्न न मंगा सकें और बजड़ी वगैरह जैसा कि यहां अक्सर हल्ला होता है वह खाने को मिले। तो मैं चाहता हूं कि मंत्री जी सदन को संतुष्ट करें कि जो लोग खेती करते हैं उनके लिये अच्छा जीवन बनने

[श्री दीनारायणमणि त्रिपाठी]

जा रहा है या मौजूदा जीवन से नीचे होने जा रहा है । यह मेरे मन की शंका है। इसमें ४० एकड़ तक तो कोई असर पड़ता नहीं है और मेरे पास उससे कम भूमि है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इससे उत्पादन किस प्रकार से बढ़ने जा रहा है। जब आप छोटे-छोटे फार्म कर देंगे तो किस प्रकार से कोई ४० एकड़ में ट्यूब वेल लगायेगा, किस प्रकार से कोई ट्रैक्टर से काम लेगा ? एक ओर आप सहकारी खेती की स्कीम चला रहे हैं और दूसरी ओर आप कन्सालीडेशन की स्कीम चला रहे हैं। जब एक चीज आपकी पूरी हो जाती तब आप दूसरी शुरू करते और फिर सीलिंग करते तब तो ठीक था और किसानों को थोड़ी सुविधा हो जाती।

मैं हूं एक किसान का लड़का और अपने परिवार में मैं पहला ही व्यक्ति हूं जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर शिक्षा विभाग में नौकर हो गया हूं नहीं तो मेरे पिता और पितामह की जितनी भी सम्पत्ति है वह सब खेती की ही है। आपने जो व्यवस्था की है उससे प्रति व्यक्ति ६० रुपये की आमदनी माहवारी आती है। अब इस ६० रुपया महीने में कोई किसान अपने लड़के को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहे तो किस प्रकार से पढ़ा सकता है ? क्या वकील का लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है और किसान का नहीं पढ़ सकता ? एक व्यापारी का लड़का इंगलैण्ड जा सकता है लेकिन किसान का नहीं जा सकता। तो यह असमानता आप क्रियेट करने जा रहे हैं। क्या आप ७५ फीसदी लोगों को ऐसी अवस्था में डालना चाहते हैं जिससे उन्हें अपने जीवन से निराशा हो जाय और अपने धंधे को छोड़ कर नौकरी की खोज करें ? १०० रु० का एक क्लर्क तो हो सकता है लेकिन किसान को आप ६० रुपया ही देना चाहते हैं इस विषय में मैं मंत्री जी से साफ स्पष्टीकरण चाहता हूं। अगर सारी जमीन बंटने से ३५ लाख जो भूमिहीन हैं उनको संतोष हो जाता, उनकी समस्या हल हो जाती और इस प्रकार ४० एकड़ जमीन करने से उनकी पूर्ति और तृप्ति हो जाती तब तो यह भी किया जाता तो किसी हद तक ठीक हो सकता था। लेकिन वह समस्या भी सुलझने वाली न हो और अन्न का हमारा जो उत्पादन है वह भी गिर जाय तो ऐसा लेजिस्लेशन और ऐसी व्यवस्था ठीक नहीं कही जा सकती। कहने को तो मेरे कस्बे में कुछ ऐसे परिवार हैं जो ३–४ एकड़ में ही तरकारी पैदा करके पूरे परिवार को पालते हैं लेकिन उससे यह नहीं कहा जा सकता कि सारा उत्तर प्रदेश ही तरकारी पैदा करके इतना रुपया पैदा करेगा। इसी प्रकार ईख की खेती तथा ऐसी खेती जो वर्ष में एक बार होती है, उनकी भी व्यवस्था करनी होगी।

हमारे पुराने ५१ के ऐक्ट में धारा २९५ में यह लिखा हुआ है —

"Any ten or more members of a Gaon Samaj holding between them Bhumidhari or Sirdari Rights in thirty acres or more in the circle and desiring to start a co-operative farm, may apply in writing to the Registrar appointed under the Co-operative Societies Act, 1912 for the registration thereof."

उसमें कहा गया है कि कि १० आदमी या उससे अधिक लोग जो ३० एकड़ जमीन रखने वाले हों वे कोआपरेटिव फार्मिंग कर सकते हैं। इसकी पहले से व्यवस्था है और नागपुर प्रस्ताव के बाद उसकी आप व्यवस्था करना चाहते हैं। अब आप कहते हैं कि हम संयुक्त सहकारी खेती करेंगे। अधिकार जमीन पर रहेंगे लेकिन सर्विस कोआपरेटिव्स बना कर अधिक उत्पादन करेंगे। तो यह मैं जरूर चाहता हूं कि यह सीलिंग जो आप करने जा रहे हैं और फिर १५ अगस्त के बाद किसी ने जायज या नाजायज तौर पर अपनी जमीन किसी को दी हो, उस पर रोक लगाने जा रहे हैं तो, जब तक सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का नक्शा सामने न आ जाय तब तक इस सीलिंग को लागू न किया जाय। अगर किसी के पास १०,२० एकड़ जमीन हो और उसके परिवार में ५,६ आदमी हों तो उनकी उससे गुजर हो जाय तो खुशी की बात है लेकिन मुझे तो इसमें शंका होती है कि आज जब कि खेती की बाढ़ और सूखा के द्वारा बरबादी होती है, खासकर पूर्वी जिलों में तथा अब तो पश्चिमी जिलों में भी बाढ़ आती है और मेरठ आदि जिले, जो गेहूं के भंडार थे, वहां के किसानों को भी सहायता देती है। केवल

ट्यूबवेल्स से ही खेती की पैदावार नहीं होती है बल्कि बहुत कुछ दैविक आधार पर भी यह निर्भर करती है। एक खेतिहर जिसकी फी आदमी ६० रु० महीने में आमदनी हो उसमें कैसे उसके बच्चे की शिक्षा हो सकती है, कैसे उसकी लड़की की शादी हो सकती है या उसे घर बनाना हो और उसमें दो, चार हजार रुपया लगाना हो तो वह कैसे लगा सकता है ? इस तरह की व्यवस्था करने से बड़ी कठिनाई पड़ेगी। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक सर्विस कोआपरेटिव पूरी न आ जाय तब तक इस व्यवस्था को लागू करने से जो ८५ फीसदी आदमी पुरानी व्यवस्था के अन्दर चल रहे हैं उनके सामने भी आर्थिक कठिनाई हो सकती है और उनका जीवन जो हजारों वर्ष से एक ढंग से चला आ रहा है उसमें अस्त-व्यस्तता हो सकती है।

एक बात और है। हमारे पूर्वी जिलों में जैसे देवरिया में कुछ जमीन ऐसी है जिसमें ज्यादातर एक ही फसल होती है और वह फसल सिवा गन्ना के और कोई नहीं होती। गन्ने की भी कुछ जमीन ऐसी है जिसको माठ कहते हैं उसमें ४०० मन फी एकड़ गन्ना होता है। उसमें से डेढ़ दो सौ मन एकड़ तो खर्च में ही निकल जाता है और उस जमीन की मालगुजारी भी ज्यादा पड़ती है। तो इस तरह से ४० एकड़ के स्थान पर उसे तो २० एकड़ का ही हिसाब पड़ेगा। एक बात की तरफ और ध्यान देने की जरूरत है कि आप भूमि की किस्म के हिसाब से उसकी सीमा निर्धारण करने जा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जब यह व्यवस्था होगी तो भूमिहीनों को फिर कहां से जमीन मिलेगी ? एक मित्र ने कहा कि ८० की ८० एकड़ या ४० की ४० एकड़ जमीन निकल गयी तो क्या होगा। भूमिहीनों को जमीन कहां से मिलेगी ? ऐसी व्यवस्था में इन सब पहलुओं पर विचार करके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जब तक सर्विस कोआपरेटिव न बन जायं तब तक सीमा निर्धारण के कार्य को कार्यान्वित न किया जाय। इसमें हमारा सैद्धांतिक मतभेद हो सकता है कि ४० एकड़ हो या कितना हो। लेकिन माननीय मंत्री जी इस बात को देख लें और सोच लें कि प्लानिंग कमीशन ने जो ३,६०० रु० वार्षिक आमदनी की बात रखी है उसी के आधार पर यह बिल आया है, तब तो ठीक है अगर ६० रु० प्रति व्यक्ति की आमदनी होने पर भी अच्छी व्यवस्था चल सके। इस गरीब देश में यह चल सकता है। परन्तु इस आय की निश्चितता होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो इस बिल में सीमा निर्धारण की बात रखी है उसकी बहुत दिनों से मांग थी और यह कांग्रेस का सिद्धांत भी है, इसलिये मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—श्रीमान अध्यक्ष महोदय, सरकार जो सीलिंग का कानून बनाने जा रही है उसकी मन्शा है कि बड़ी जोत वालों से जमीन प्राप्त कर के सहकारिता के आधार पर गरीब भूमिहीन किसान मजदूरों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिये और उपज बढ़ाने के लिये भूमि दी जाय। उनका उद्देश्य है कि इस से सार्वजनिक हित हो और निम्न आय वालों की आय बढ़े। लेकिन मेरा दावा है कि सरकार की यह मन्शा इस कानून से पूरी नहीं हो सकती, इसमें इस चीज की कोई गुंजायश नहीं है कि यह सम्भव हो सके इसमें बताया गया है कि ४० एकड़ भूमि पांच आदमियों के परिवार के पास छोड़ी जाय और जिस परिवार में आठ आदमी हों उनको ६४ एकड़ भूमि दी जाय और दूसरी गुंजायश यह रखी गई है कि जिस जमीन का लगान ३ रुपया से कम हो वहां २ एकड़ को १ एकड़ माना जाय। तो जब ८ आदमियों के परिवार को ६४ एकड़ जमीन दी गई तो कम औसत की जमीन उस परिवार के लिये १२८ एकड़ हो गई। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब आप इतनी बड़ी जोतें लोगों के पास छोड़ देंगे तो ऐसी कितनी जोतें हैं कि जिनसे आप जमीन निकाल सकेंगे। मेरी समझ में तो यह आता है कि इस तरह से जो यह कानून बनाया जा रहा है इसमें तो न किसी को लेना है न देना है, यह एक झूठा आश्वासन मात्र है।

इस बिल में यह भी है कि मुर्गपालन और चरागाह या चारा उगाने वाली जमीन नहीं ली जायगी, इसकी कोई सीमा नहीं है चाहे जितनी जमीन में मुर्गपालन या चरागाह कायम की जाय, जब सब तरह की छूट है तो सरकार जमीन पायेगी कौन सी कि जो भूमिहीनों को देगी ? यह भी कहा गया है कि जिन राजाओं-महाराजाओं के राज्य इस सरकार में विलीन हुये हैं उनकी

[श्री भूपकिशोर]

नहीं ली जायगी वह चाहे जितनी जमीन अपने पास रखें। समझ में नहीं आता कि एक-एक जिले में कितनी-कितनी जमीन सरकार गरीब लोगों को देने के लिये पायेगी, कहीं एक, दो गांव के लोगों को देने लायक भी जमीन शायद न मिल सकेगी, जिस हिसाब से सीमा लगाई जा रही है उस हिसाब से यह कहना बिलकुल झूठ है कि गरीब मजदूर भूमिहीनों को जमीन मिलेगी।

अगर आप को जमीन लेनी है तो आप सवा ६ एकड़ पर सीलिंग करें ताकि सवा एकड़ के हिसाब से ५ आदमियों के परिवार को सवा छः एकड़ जमीन मिल जाय और जो भूमि का प्रति व्यक्ति का हिसाब है वह भी ठीक आ जाय या आप ऐसा नहीं करते तो सब की जमीन एक बार लेकर हर गांव में सहकारिता के आधार पर पूरी जमीन लेकर बांट दीजिये तो हमेशा के लिये यह दिक्कत दूर हो जायगी। यह आप क्या करते हैं कि एक टांग में पाजामा और एक टांग में लहंगा, अगर आप को लाना ही है तो साम्यवाद को क्यों नहीं पूरे तरीके से आने देते? आप डरते क्यों हैं? रोज-रोज आप क्यों जनता का पैसा व्यय करते हैं और कानून बनाते हैं, एक मंत्री आप का हजारों रुपया पाता है और दूसरी तरफ चपरासी २०—३० रुपया पाता है, सरकारी मुलाजिम आप के हजारों रुपया वेतन पाते हैं, एम० एल० ए० और मिनिस्टर के वेतन में भी समानता नहीं है, आपके यहां पूंजीपति आज भी मौजूद हैं उनको आप क्यों नहीं खत्म करते। जो करोड़ों रुपये की आय से गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और कोठी बंगलों में आराम से रहते हैं, आप क्यों नहीं आय की सीमा मुकर्रर करते हैं? जब आप एक काश्तकार की आय साढ़ ३ हजार प्रति वर्ष करने जा रहे हैं तो शहरी आय की भी सीमा कीजिये और मैं कहता हूं कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप स्वयं देश में क्रांति को दावत देते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी होगी और इसके लिये खून की नदियां बहेंगी, यह चीज होगी उसको आप भी नहीं रोक सकेंगे और फिर होगी। आपके लिये लाजिम है कि ऐसे कानून को आप जल्दी से जल्दी चिराग अली के सुपुर्द कर दीजिये और ठीक से एक ऐसा कानून लाइये कि जिससे समाज की आय में समानता आये। सरकार का जो कहना है कि हम इस से गरीबों को जमीन और रोटी देंगे यह बिलकुल धोखा है। यह चीज लाने के लिये आप को सारी जमीन लेकर सहकारिता के आधार पर देनी होगी? आप डरते क्यों हैं, मजबूत कदम उठायें। आप डरते इसलिये हैं कि समानता ले आयेंगे तो वोट नहीं मिलेंगे और आप के मुकाबिले पर लोग आयेंगे और फिर आप सरकार न बना सकेंगे। आप किसी को ४० एकड़, किसी को ६४ एकड़ और किसी को इसकी दुगुनी जमीन दे रहे हैं बागों पर आपने कोई सीलिंग नहीं रखी है चाहे कोई सैकड़ों एकड़ बाग लगा ले कोआपरेटिव फार्म जो बनाये जा रहे हैं, उनमें जो भूमि प्राप्त करेंगे, वह भी सहकारिता के आधार पर करायेंगे। तो क्या होगा? आदमी आपका गुलाम हो जायगा और आप मजदूरों से भी बदतर उनकी हालत कर देंगे। आज यह सरकार कभी यह नहीं सोचती है कि हम जिनके बल पर चुनकर आये हैं उनका भी खयाल करें। हम दोनों तकलीफ उठायें तो कोई बात नहीं, लेकिन खुद तो बड़ी-बड़ी कोठियों में रहते हैं मोटरों में घूमें और दूसरी तरफ इतना भी नहीं कि उनको भोजन भी मिल सके। यह नीति रहेगी तो यह सरकार नहीं पनप सकती है, खत्म हो जायगी। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह शहरों की आमदनी की भी सीलिंग करे, मिल ओनर्स की आमदनी पर सीलिंग कर, मिनिस्टरों की तनख्वाह पर सीलिंग करे और एम० एल० ए० और मिनिस्टर में भी समानता लाये। इन शब्दों के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व कि मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूं, एक बात माननीय सदस्यों के समक्ष कहना चाहता हूं और इस कारण से कहना चाहता हूं कि ऐसी बात जिसकी शिकायत मुझे है, वह हमारे कार्यों में व्यवधान डालती है। कुछ अखबारों ने व कुछ इस सम्मानित सदन के सदस्यों ने आपसे में कुछ ऐसी वार्ता करनी शुरू की है कि अमुक व्यक्ति जो डिस्सीडेन्ट ग्रुप का है उसने सरकार के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव या विधेयक का विरोध किया या समर्थन नहीं किया।

मैं श्रीमन्, आपके द्वारा इस सदन के सदस्यों से और इस सदन के बाहर जो हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि विशेष परिस्थितियों में पड़ कर हो सकता है कि कुछ कांग्रेस दल के सदस्यों ने कोई अपने विचार इस सदन में प्रकट किये हों, किन्तु यह निश्चित है कि डिस्सीडेन्ट ग्रुप में हों या न हों वे पूर्णतः कांग्रेसी हैं। कांग्रेस की शान और कांग्रेस की गवर्नमेंट को पुष्ट करने के लिये वे प्रत्येक कार्य अपने हृदय से करते हैं और करते रहेंगे। मैं यह केवल इस वजह से कह रहा हूं कि इस सदन मे सदस्यों को थोड़ी-सी परेशानी होती है कि वह अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करें या न करें।

दूसरी बात, मुझे खेद है कि माननीय कुंवर श्रीपालसिंह ने सदन के समक्ष तर्क उपस्थित करते हुये कहा कि सरकार किसी जनहित की दृष्टि से नहीं बल्कि पार्टी में होने के नाते उसके आदेश से इस विधेयक को इस सदन के समक्ष लायी है। मेरा निवेदन यह है कि चाहे कांग्रेस सरकार इस विधेयक को दबाव के कारण, पार्टी की नीति के कारण, लिहाज के कारण, किसी भी कारण से लाई हो, यह प्रश्न बिलकुल असंगत है। प्रश्न केवल यह है कि यह विधेयक जनहित के लिये है या नहीं? इस विधेयक के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव सरकार की ओर से प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं। किन्तु उसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो विचार और जो उलझनें मेरे दिमाग में इस विधेयक का अध्ययन करते समय उत्पन्न हुयीं मैं उनको सदन के सामने रखूं और मंत्री जी उन विचारों को प्रवर समिति के समक्ष रखें व उन पर विचार करें और यदि उचित समझें तो ऐसे संशोधन करें जिससे यह विधेयक जनहित की दृष्टि से उपयुक्त हो।

श्रीमन्, इसमें ४० एकड़ अधिकतम जोत निर्धारित की गई है। प्रश्न यह है कि ४० एकड़ भूमि की सीमा उन विभुक्तियों के साथ कि जिनका उल्लेख इस विधेयक में है तथा उसमें निहित अन्य सुविधाओं को देखते हुए हमारे पास कितनी भूमि बचेगी कि जिसको हम लैंडलेस ऐग्रो-कल्चरल लेबरर्स को दे सकेंगे? कितनी भूमि उन लोगों के बीच में वितरण करने के लिये हमारे पास बचेगी कि जिनके पास तीन या सवा तीन एकड़ से कम भूमि है? और अगर हम इस परिणाम पर पहुंचे कि इतनी अधिक जोत की सीमा निर्धारित करके वस्तुतः किसी का कल्याण नहीं करते तो हमें सोचना पड़ेगा कि ४० एकड़ जो अधिकतम जोत निश्चित है वह उचित है या नहीं?

इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान उन विभिन्न धाराओं की ओर आकर्षित करूंगा कि जो विधेयक में विद्यमान हैं। श्रीमन्, देखेंगे कि जहां पर अधिकतम जोत की व्याख्या दी हुई है वहां कहा गया है कि ४० एकड़ और वह भूमि जो इस विधेयक के अन्तर्गत विभुक्त कर दी गई है, पांच व्यक्तियों के एक परिवार को दी जायगी, यानी छोड़ दी जायगी उसके पास। उसके बाद फैमिली की व्याख्या करते हुए उसमें पति, पत्नी, बच्चे और लड़के की बहू या बेवा, इनका उल्लेख है। उसके साथ साथ आश्चर्य यह है कि उसी धारा में एक स्पष्टीकरण देते हुए यह कहा है कि अगर कोई लड़का ऐसा है, कोई बच्चा ऐसा है, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, और उसके नाम यदि अभिलेख में कोई भूमि लिखी है तो वह बच्चा अलग समझा जायगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इस खंड के प्रयोजनों के लिये बच्चा उस दशा में पृथक् समझा जायगा जिसमें कोई भूमि पृथक् रूप से उसके नाम अभिलिखित हो। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि बाप के नाम ४० एकड़ दर्ज है और लड़के के नाम ४० एकड़ दर्ज है तो उस दशा में लड़का उस परिवार का व्यक्ति नहीं समझा जायगा, वह फैमिली की व्याख्या में नहीं आयेगा इस वास्ते कि उसके नाम अलग भूमि दर्ज है। परिणाम यह होगा कि एक ही परिवार में अगर एक लड़का और एक लड़की है तथा उनका पिता है और तीनों के नाम ४०, ४० एकड़ भूमि दर्ज है तो वह १२० एकड़ तो वैसे ही ले लेंगे। और प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम दर्ज है उसको यह अधिकार है कि वह १० एकड़ तक भूमि बाग के लिये ले ले। तो श्रीमन्, हर एक व्यक्ति जिसके पास ४० एकड़ से अधिक भूमि है वह १० एकड़ तक भूमि बाग लगाने के लिये भी ले सकता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ५० एकड़ तो प्रत्येक को बिना ज्यादती मिल जाती है।

[श्री मदन मोहन]

इसके अतिरिक्त खलियान के लिये, गड्ढों व सरिया के लिये अगर वह चाहता है तो २ एकड़ भूमि उसे और मिल सकती है। तो ५२ एकड़ वह ऐसे ही ले सकता है। अगर निवास के लिये किसी खेत में प्रबन्ध है तो वह गृहान्तर्गत जमीन और उससे सम्बद्ध जमीन भी वह ले सकता है। अब इस विधेयक में व्याख्या नहीं दी हुई है कि निवास-गृह और उससे सम्बन्धित भूमि कितनी हो। लार्ज होल्डिंग्स ट्रैक्ट में व्याख्या यूं कर दी है "निवास स्थान तथा उससे सम्बद्ध भूमि जिसका रकबा ५ एकड़ से अधिक न हो," यह उसमें व्यवस्था है। इस विधेयक में उसकी व्यवस्था नहीं है। तो अगर ५ एकड़ तक उसे मिल जाय या २ एकड़ तक मिल जाय तो हम यह देखेंगे कि ५४ एकड़ तो परिवार को ऐसे ही मिल जाती हैं। इस प्रकार ५४ एकड़ प्रति व्यक्ति जिसके पास ५० एकड़ से अधिक भूमि हो वह ले सकता है। इसके अलावा अगर हम विधेयक ध्यानपूर्वक देखें तो ऐसा हो सकता है कि एक ही परिवार में दो भाइयों के नाम १०० बीघा हो, १५० बीघा हो और दोनों भाइयों के नाम दर्ज हो तो परिवार की व्याख्या में भाई नहीं आता तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों भाइयों के बीच में ५४–५४ एकड़ अलग-अलग चला जायगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हर एक परिवार को सैकड़ों बीघा जमीन इस विधेयक के अन्तर्गत जायज तरीके से मिल सकती है और हम कुछ नहीं कर सकते।

अब इसके अतिरिक्त आप और देखें तो उसमें बहुत-सी ऐसी धारायें हैं १३, १४, १५, १६ जिनके अन्तर्गत भूमि उनमें वर्णित persons के लिये छोड़ी जा सकती है। साथ ही साथ मेकेनाइज्ड फार्म्स जो हैं उनको गवर्नमेंट ले लेगी। तो अब विचारणीय प्रश्न यह हमारे सामने आता है कि कितने खातेदार हैं जिनके पास ५० एकड़ से अधिक भूमि है, कितनी भूमि इससे निकल पायेगी जो हमारे इस विधेयक के अन्दर उपलब्ध हो सकेगी ?

इसके अतिरिक्त इसमें चमेली, बेला के लिये है। वैद्यक सम्बन्धी दवायें, हर्ब्स हैं जिनके लिये धारा १३ के खंड १६ व १७ में भूमि विमुक्त की गयी है। तो मैं श्री भूप सिंह की इस बात से सहमति प्रकट करता हूं कि कदाचित हमको ज्यादा भूमि कौन कहे नाममात्र को ही भूमि मिलेगी, या मिल सकेगी। तो मेरा पहला निवेदन तो यह है कि कदाचित मंत्री महोदय जिन्होंने जमींदारी विनाश विधेयक संचालित किया और आज उनके हिस्से में अपहरण करने का एक और विधेयक भी आ गया, तो ठाकुरों के भाग्य में. . . .

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—वकील होने के नाते।

श्री मदनमोहन—नहीं ठाकुर होने के नाते, यह भाग्य में उनके है कि वे एक जबर्दस्ती का कानून लायें। लेकिन जनहित के लिये अगर हो, तो ठीक है। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वे इस दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करें तो बड़ी कृपा होगी। हमें देखना पड़ेगा कि पर्याप्त भूमि नहीं मिल सकती बावजूद इसके कि हम इस कानून को पास कर रहे हैं यदि हम इस परिणाम पर पहुंचे कि हमें कोई विशेष लाभ नहीं होता तो मेरा विचार है कि इस विधेयक में हमें बहुत से परिवर्तन करने पड़ेंगे।

मेरा ऐसा मत है कि साढ़े १२ एकड़ अधिकतम जोत की सीमा निश्चित करनी चाहिये और इस सिद्धान्त को हम दूसरे अवसरों पर स्वीकार कर चुके हैं। अभी हाल में हमने जमींदारी विनाश कानून की धारा १५४ की तरमीम की और उसमें ३० एकड़ से साढ़े १२ एकड़ निश्चित किया। उसमें हमने यह किया कि ट्रांसफर से साढ़े १२ एकड़ से अधिक भूमि कोई प्राप्त नहीं कर सकता और वह भी अगर उसके पास पहले से कोई भूमि है तो अतिरिक्त भूमि जो ट्रांसफर के जरिये से उपलब्ध करेगा दोनों को मिला कर साढ़े १२ एकड़ से अधिक भूमि उसके कब्जे में नहीं होनी चाहिये वस्तुतः हमारे दिमाग के अन्दर यह विचार था कि साढ़े १२ एकड़ एक उपयुक्त सीमा है जो हम आशा करते हैं कि एक साधारण से किसान के पास होनी चाहिये जिससे वह अपने पांच सदस्यों के परिवार का भरण-पोषण अच्छी तरह से कर सकेगा।

तो यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि क्यों इस ऐक्ट में ४० एकड़ निश्चित किया गया। एक बात इसके उत्तर में कही जा सकती है और वह यह कि अगर हम साढ़े १२ एकड़ या उससे कम की अधिकतम जोत निश्चित करते हैं तो जो योग्य आदमी हैं वे उधर आकर्षित नहीं होंगे। मेरा विनम्र निवेदन है, मालूम नहीं इस सदन के सम्मानित सदस्य मुझसे सहमत हैं या नहीं, परन्तु मेरा विश्वास है कि किसानी एक ऐसा पेशा है जिसके प्रति साधारणतया कोई आदमी आकृष्ट नहीं होता। मजबूरी ही उसको मजबूर करती है कि वह किसानी करे। वरना थोड़ी सी भी शिक्षा जिसने प्राप्त कर ली हो उसका प्रयत्न होता है कि किसानी छोड़ कर कोई अन्य कार्य करे। किसानी में कितनी मेहनत है यह जिनका किसानी से सम्बन्ध रहा है वे समझ सकते हैं। इसके साथ-साथ दूसरी बात जो बड़े महत्व की है वह यह है कि किसानी एक प्रीकेरियस, अनसर्टेन, जिसके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसा पेशा है, ओला है, पाला है, वर्षा है (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, कुछ समय और चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—मैं पहले ही २० मिनट दे रहा हूं। १८ मिनट हो गये। बोलिये, दो तीन मिनट और ले लीजिये।

श्री मदनमोहन—तो एक अनसर्टेन प्रोफेशन होने के नाते और इतनी मेहनत का कार्य होने के नाते मैं समझता हूं कि योग्य व्यक्ति उस ओर आकृष्ट नहीं होते। दूसरी बात यह है कि जो सिद्धान्त सदन ने माना है वह यह है कि भूमि उसके पास हो जो भूमि की सेवा कर सके। जो भूमि की सेवा नहीं कर सकता है उसके पास भूमि नहीं होनी चाहिये। साधारणतया साढ़े बारह एकड़ वह सीमा है जिसमें आशा की जाती है और विश्वास किया जाता है कि ५ व्यक्तियों के लिये पूरा काम हो सकता है। अगर इससे अधिक भूमि ५ व्यक्तियों के सुपुर्द हो तो मेरा ऐसा खयाल है कि ५ व्यक्तियों की मेहनत से अधिक काम करना होगा। या तो उसको मजदूर रखने होंगे या कोई और तरीका अख्तियार करना होगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर एग्रीकल्चर प्रिकेरियस हैं तो क्या साढ़े १२ एकड़ भूमि काफी होगी जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा है ?

श्री मदनमोहन—श्रीमन्, अगर साढ़े १२ एकड़ भूमि है तो उसके अन्दर २,४०० रुपये वार्षिक की आय हो सकती है। आपको अधिक अनुभव है। यदि साढ़े १२ एकड़ प्रिकरियस है तो ४० एकड़ भी है और १०० एकड़ भी है। इसमें बात यह है कि अगर दैवी विपत्ति से साढ़े १२ एकड़ की फसल नष्ट हो सकती है तो १०० एकड़ की भी हो सकती है। लेकिन साधारणतया एक व्यक्ति जो साढ़े बारह एकड़ भूमि रखता है उससे आशा की जाती है कि वह कुछ बचा ले और आपत्तिकाल में उसका उपयोग कर सकेगा। मेरा ऐसा विचार है।

अब दूसरा दृष्टिकोण देखिये कि ४० एकड़ रखने से क्या होगा। आपके पास ४ करोड़ १३ लाख एकड़ भूमि है जो खेती के काम में आती है और ४ करोड़ ३५ लाख में से देखेंगे कि १ करोड़ २२ लाख ५,१०७ एकड़ भूमि ऐसे व्यक्ति की है जिनके पास १२ एकड़ से ज्यादा भूमि है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य के पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिये वह जवाब नहीं दे सकते हैं। आप ज्यादा प्रश्न न करें।

श्री मदनमोहन—मैं इस विचार से नहीं कह रहा हूं कि मेरा आक्षेप, जो कर रहा हूं मान लिया जावे। बल्कि जो बात उचित और सही हों उन पर प्रवर समिति में विचार किया जाय। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह मेरा अंतिम मत है। दीपनारायण जी परेशान वह समझते हैं कि पंत समिति और जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट बेकार हैं अगर कुछ है तो मणि जी के पास।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य का समय समाप्त।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक जिस पर तीन दिन से बहस हो रही है, मैंने उसको पढ़ा। मान्यवर, अगर इस विधेयक को न पढ़ा जाय और केवल उद्देश्य और कारणों को ही देखा जाय तो ऐसा मालम होता है कि हमारी सरकार और हमारे मंत्री जी देहात में से गरीबी को दूर करने के लिये, भुखमरी को देश से सदैव के लिये मिटा देने के लिये या भूमिहीनों की भूमि देने के लिये एक सुन्दर विधेयक लाये हैं। यदि इस विधेयक की सभी धाराओं को पढ़ा जाय और उन पर गौर किया जाय तो दो बातें मालूम होती हैं कि या तो मंत्री जी ऐसा विधेयक लाना नहीं चाहते थे लेकिन कुछ इस प्रकार की हवा चली और कुछ इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न हुआ जिसने मंत्री जी तथा सरकार को इस प्रकार का विधेयक लाने के लिये बाध्य किया।

मान्यवर, मैं सीलिंग का पक्षपाती हूं और भारतीय जनसंघ भी चाहता है। अखिल भारतीय जनसंघ ने १९५४ के इंदौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया था कि सीलिंग होनी चाहिये, अविलम्ब सरकार सीलिंग का विधेयक लाये और अच्छी से अच्छी भूमि की हदबन्दी ३० एकड़ होनी चाहिये और कम से कम ५ एकड़ होनी चाहिये। आपके हाथ में बड़ी भारी ताकत है। जिस तरह से चाहें आप हंस लें, खेल लें, किस बात की चिन्ता है। यद्यपि मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का व्हिप इश्यू हो गया होगा लेकिन फिर भी मन की आवाज निकल ही जाती है। कांग्रेसियों ने इस विधेयक के समर्थन में भाषण दिये हैं, लेकिन बहुत से कांग्रेस के सदस्यों ने यह भी कहा कि ४० एकड़ की सीमा बहुत अधिक है, कुछ ने यह भी कहा कि कम है, अधिक होनी चाहिये। कोई एक सी आवाज रही नहीं और इस झगड़े ने माननीय माल मंत्री जी को परेशान कर दिया। इसी कारण वह ऐसा लचर विधेयक इस सदन में ले आये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---आप जानते हैं कि मैं कभी परेशान नहीं होता।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---माननीय मंत्री जी बड़े उदार हैं, साहसी हैं और कभी परेशान नहीं होते न उसका असर होता है यह मैं भली प्रकार जानता हूं। लेकिन मान्यवर, इस विधेयक में उन्होंने साहस का परिचय नहीं दिया। इसमें लिखा है कि ४० एकड़ अच्छी भूमि एक व्यक्ति के पास होगी और एक परिवार में यदि ५ व्यक्ति से अधिक हैं तो ८ एकड़ फी व्यक्ति बढ़ती जायगी ६४ एकड़ तक। अब परिवार की परिभाषा जो है उसमें आश्रित पिता व पुत्र, मृत पुत्र की पुत्रवधु, लेकिन इसमें वह शामिल नहीं किये गये कि जो बटवारा करके अलग हो गये हैं। कानून में समान अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को न्याय पाने का होना चाहिये, लेकिन इस कानून में सही प्रकार से न्याय नहीं मिला। जिन व्यक्तियों को पहले से मालूम था और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की जिनको जानकारी थी कि हदबन्दी जल्दी ही आयेगी तो उन्होंने पहले से अपनी जमीनें रजिस्ट्री कर के टुकड़े-टुकड़े कर के बांट दीं। लेकिन मान्यवर, वे लोग जो देहातों में रहते हैं और जिनको इस प्रकार की कोई सूचना नहीं प्राप्त हो सकी और जिन्हें विश्वास नहीं था कि इस प्रकार का अन्यायपूर्ण विधेयक लाया जा सकता है वे न्याय नहीं पा सकेंगे। १५ अगस्त तक जिन्होंने कोर्ट में अपना बटवारा दाखिल कर दिया है या इसके पूर्व जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रियां करा ली हैं, इस विधेयक के द्वारा माननीय मंत्री जी या सरकार उनकी तरफ आंख नहीं उठा सकती, लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसका पिता जिन्दा है, ४, ६ भाई हैं, और वह पहले बटवारा नहीं कर सका वह आप देखें कि कितने नुकसान में रहा है। तो यह कितना अन्यायपूर्ण विधेयक है उन व्यक्तियों के लिये जिन्होंने इस प्रकार का कार्य नहीं किया। श्रीमन्, सीलिंग लानी चाहिये, सीलिंग देश में सफल होगी और बगैर सीलिंग किये देश ठीक प्रकार से तरक्की नहीं कर सकता, यह मेरा विश्वास है, जनसंघ का विश्वास है, लेकिन इस प्रकार का विधेयक ला कर क्या सीलिंग होगी? मेरा स्पष्ट मत है और मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन को कहूंगा कि ऐसा कर के सरकार कम्युनिस्ट विचारधारा के लिये मार्ग खोल रही है। यह सरकार जनता का ठीक प्रकार से सदन में प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। जिस विचारधारा को देश से दूर रहना चाहिये था, ऐसे कानून उसको देश में स्थान दे रहे हैं। बड़े-बड़े मिल मालिक और करोड़पति जिनकी मिलें चल रही हैं, उनकी तरफ देखने का हमारी

सरकार ने कोई साहस नहीं किया। उधर लगानी चाहिये थी सीलिंग। अगर उधर सरकार सीलिंग करती तो मैं हृदय से स्वागत करता लेकिन उधर ध्यान नहीं दिया। चाहे एक व्यक्ति की चार मिलें चलती हों या करोड़ों की सम्पत्ति हो और मजदूरों का वह मिल मालिक चाहे जितना खून चूसते हों, सरकार उधर ध्यान नहीं देती। तो विचार करना होगा कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती। उसका कारण है कि सदन में आने के लिये, जनता को गुमराह करने के लिये, बड़े-बड़े पोस्टर छापने के लिये, चुनाव में अधिक खर्चा करने के लिये कांग्रेस को रुपये चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जनसंघ नहीं करता खर्च ?

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—खर्च करता है, लेकिन अपने बल पर। मंत्री जी विचार करें कि डेढ़-डेढ़ लाख, दो-दो लाख जन संघ और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को मिल मालिक नहीं देते, कांग्रेस को दिया लोगों ने। मूंधड़ा का केस है।

(व्यवधान)

हरीसिंह जी आप मत बोलिये, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है।

तो उधर कुछ ध्यान नहीं दिया। शहर की जमींदारियों को अभी तक समाप्त नहीं किया। एक व्यक्ति मड़ैया नहीं डाल सकता, उसके पास ४ इंच जमीन नहीं है और दूसरा व्यक्ति अट्टालिकाओं में रहता है, हजारों कोठियां हैं। उधर सरकार ने सीलिंग नहीं की इधर सीलिंग हो रही है गरीब किसान पर। एक बाप है, उसके चार लड़के हैं। १० साल बाद, २० साल बाद वह २० आदमियों का परिवार हो जाता है और उनके लिए २–२ एकड़ भी नहीं रह जायगी। लेकिन वह मिल और कारखानेदार उनका चाहे जितना परिवार बढ़ता चला जाय, उनकी मिलें भी बढ़ती चली जाती हैं। एक मिल पति के नाम, एक पत्नी के नाम, एक लड़के के नाम और एक सम्मिलित। उधर कोई ध्यान नहीं दिया गया। गरीब मजदूर खाने को और पहिनने को नहीं पाता और एक व्यक्ति रुपये को कुचलता चला जाता है। क्या ऐसे विधेयकों से भलाई हो सकती है ? नहीं हो सकती। मैं सरकार को आगाह किये देता हूं कि यदि ऐसे विधेयक आयेंगे तो देश में कम्युनिज्म बढ़ेगा। इस विधेयक में एक धारा आयी है कि अगर कोई व्यक्ति बाग लगाने के लिये आश्वासन देगा तो सरकार उसको उतनी जमीन छोड़ देगी और अगर नियत अवधि के भीतर बाग नहीं लगाता है तो वह जमीन वापस ले लेंगे, लेकिन यह इस विधेयक में स्पष्ट नहीं किया गया कि जो वह अवधि के अंदर बाग न लगाकर झूठ बोला है, धोखा दिया है मंत्री जी को, उसके लिये उस पर कौन सी धारा का मुकदमा चलायेंगे, उसके लिये कोई दंड निश्चित नहीं किया गया। वह कह दे कि शुरू कर रहे हैं, ठीक चल रहा है, तो कोई धारा नहीं। दूसरी बात यह कि मुर्गी पालने के लिये, बगीचा लगाने के लिये उसको छूट है, कोई सीलिंग नहीं है जहां केवड़ा, चमेली, इस प्रकार के फूल लगेंगे ऐसी जमीन पर सीलिंग नहीं होगी ऐसा क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष—जौनपुर पर विशेष ध्यान दिया गया है मेरे खयाल में। (हंसी)

श्री हुकुमसिंह विसेन—कन्नौज।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—श्रीमन्, हर जगह जौनपुर बन जायेंगे, गांव-गांव में कन्नौज और जौनपुर बनेंगे और बहराइच में भी बहुत से बागीचे लग गये होंगे। माननीय मंत्री जी ने तो ऐसा किया कि जैसे कोई आदमी आगे बढ़े और कहे कि मेरा मन लड़ने को चाहता है और पीछे जब देखा तो पतला हग रहे थे तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों तो कहा कि पेट चल रहा है। हमारे साथी माननीय दीपनारायणमणि जी बहुत दुखी हैं, मालूम होता है कि उनके पास कम से कम १००, २०० एकड़ भूमि जरूर है। इस प्रकार से झकझोर चल रहा है, उसमें मंत्री जी अपने मस्तिष्क का संतुलन खो बैठे हैं।

(इस समय ४ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

माननीय अध्यक्ष महोदय, ६४ एकड़, ८० एकड़ या ४० एकड़ को खत्म कर के माननीय मंत्री जी इस विधेयक में संशोधन लावें कि अच्छी पैदा करने वाली जमीन में ३० एकड़ से ज्यादा न हो।

इसी विधेयक की धारा में १५ अगस्त की बात रखी गयी है और कहा गया है कि इसके बाद जो रजिस्ट्री आदि आदि होगी वह नाजायज मानी जायगी। इससे भ्रष्टाचार बढ़ा है। मंत्री जी रजिस्ट्रेशन आफ़िस में जाकर मालूम करें तो पावेंगे कि कितने लोगों ने जो सजग थे, कानून जानते थे या पढ़े-लिखे थे, अपने बटवारे कर दिये हैं। इस विधेयक से परिवार में फूट न पड़ेगी, बेटा कहेगा कि बाप मरने वाला तो था ही, पहले ही क्यों नहीं मर गया जिससे हमारा बटवारा होकर जमीन बच रहती। १५ अगस्त से जिस दिन देश आजाद हुआ, विभाजन की बात स्पष्ट होती है। इस विधेयक में १५ अगस्त की जगह रोक तब से लानी चाहिए थी जब नागपुर में बैठकर कांग्रेस ने हदबन्दी की बात पर विचार किया था। लाना तो जब से चाहिये था जब कि नागपुर का प्रस्ताव पास हुआ। जब से कांग्रेस ने कोआपरेटिव फार्मिंग और सीलिंग की बात रखी है तभी से यह बात रखनी चाहिये थी कि उसके बाद के बटवारे नहीं माने जावेंगे। जितना ढोल पीटा जाता है उतना किसी भूमिहीन को मिलेगा नहीं। भूतपूर्व मंत्री चरणसिंह जी के कानूनों से कुछ जमीन उनको मिल भी जाती। अब तो उन लोगों ने और ज्यादा कर ली जिनके बटवारे हो गये, किसी ने केवड़ा लगा लिया, किसी ने गुलाब लगा लिया या किसी ने मुर्गी पाल ली। माननीय मंत्री जी चेकिंग करेंगे तो १०, १० मुर्गी सब के निकलेंगी। कानून बनाते समय यह बात भी सोचनी चाहिये कि जिसने चालाकी नहीं की है उसे घाटा न रहे। इसलिये जब यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जाय तो मंत्री जी इसमें संशोधन लावें कि नागपुर के प्रस्ताव के समय से इसका हिसाब लगाया जायगा, न कि १५ अगस्त से।

शहरों में हजारों मकान एक-एक व्यक्ति के पास हैं, उधर सरकार का ध्यान नहीं जाता है। मान्यवर, इस विधेयक से ग़रीबी बढ़ेगी, मारकाट बढ़ेगी और कम्यनिज्म बढ़ेगा। इसलिये यदि यह बातें रोकनी हैं सरकार को, तो चाहिये हमारे सुझाव मानें और ठीक प्रकार समझ-बूझ कर इस विधेयक को लावें।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के लिये मैं आप के द्वारा माननीय माल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जहां तक भूमि की सीमा निर्धारित करने का प्रश्न है, इस प्रान्त के सभी निवासियों की जो कि जमीन से संबंधित हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, उनकी मांग थी, पुकार थी कि जमीन की हदबन्दी होनी चाहिये। इसलिये हमारी सरकार ने सदन के समक्ष यह विधेयक रखा है और इसमें जमीन की सीमा ४० एकड़ निर्धारित की। परन्तु खेतिहर मजदूर के लिये वास्तव में, जैसा दोनों ओर के माननीय सदस्य कहते हैं, इंच भर भी जमीन नहीं निकलेगी। अधिक संख्या में जब दोनों ओर के सदस्य बातें करते हैं तो उनका मत एक है और महज अपना लाभ उठाने के लिये मजदूर वर्ग के हितों की बातें करते हैं। वैसे सभी चाहते हैं कि ४० एकड़ के बजाय ५० एकड़ हो। बजाय इसके कि वह हमारे माल मंत्री की प्रशंसा करें कि उन्होंने ४० एकड़ रखी, उनकी हार्दिक इच्छा है कि ५०, ६० एकड़ से कम न हो। अगर उनकी चले तो वह १०० एकड़ तक रखवाने के लिये तैयार हैं। परन्तु हम खेतिहर मजदूर चाहते हैं कि साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा सीमा न निर्धारित की जाय जिससे हमें भी खेती मिल सके। जिन लोगों ने इस देश के या प्रान्त के ग़रीब लोगों की जिम्मेदारी ली थी कि उनको जमीन दी जायगी, वे आज व्याकुल हो उठते हैं और ४० एकड़ की व ५० एकड़ की बातें करते हैं। परन्तु हम देखते हैं कि जमींदारी उन्मूलन बिल इसी हाउस से पास हुआ तो आज तक भूमिहीनों को एक इंच भी जमीन नहीं मिल पायी। हम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखते हैं कि जिनके पास एक-एक कोठरी रहने को थी वही उनकी हो कर रह गयी है लेकिन जिनके पास एक-एक हजार एकड़ जमीन है उनको उसमें भी संतोष नहीं है, जब कि हमारे पास रहने के लिये एक बिस्वा भी जमीन नहीं है। माननीय वैद्य जी ने जैसा अभी फरमाया उनके पास तो जमीन है नहीं लेकिन उनसे अभी कहा जाय कि जिस फर्म में लाखों रुपया आप का लगा हुआ है उसमें मजदूरों को हिस्सा दे दिया जाय तो वे भी पीछे हटने लगेंगे जैसी कि घबराहट आज बड़े-बड़े खेत वालों में मची हुई है। जब कि जनता में ऐसी बेकारी है तो जमीन का बटवारा होना ही चाहिये और उनको उतनी जमीन मिलनी चाहिये जो एक कुटुम्ब के लिये पालन-पोषण को काफी हो। साढ़े १२ न हो तो २०–२५ एकड़ जरूर हो। यह नहीं कि आपने ४० एकड़ रख दिया और फिर ६४ एकड़ तक कर दिया। आखिर डेढ़ करोड़ आदमियों का कब्जा सारे प्रान्त और बड़े-बड़े फार्मों पर है। अब जो शेष रह गये हैं उनको भी कोई धंधा चाहिये। मैं इस फेवर में नहीं हूं लेकिन क्या आपने छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को खोला? आप कोआप-परेटिव बेसिस में उनको रोजगार से लगाने को तैयार नहीं हैं। लेकिन जब कभी सरकार कोई जनहित का कार्य करने लगती है तो आप उस पर कटाक्ष करने लगते हैं।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य मुझे ऐड्रेस करें तो अच्छा है।

श्री हरीसिंह---अगर माननीय सदस्य उद्योग-धंधे खोलते तो खेतिहर मजदूर उनमें लग जाते और आज बजाय बंटवारे के और बड़े-बड़े फार्म हो जाते और वे भी मैनेजर की हैसियत से काम करते। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर आप साढ़े १२ एकड़ भी कर दें तो भी गरीबों का भला होने वाला नहीं है, जब तक कि मिलों और फर्मों में आप गरीबों और मजदूरों को हिस्सा न देंगे।

श्री भजनलाल---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं या पक्ष में बोल रहे हैं। अगर विरोध कर रहे हैं तो इस तरफ आ जायं तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---वे दोनों तरफ की आलोचना कर रहे हैं।

श्री हरीसिंह---श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जिस पार्टी में माननीय सदस्य काम करते हैं उनकी पार्टी के बारे में भी मैं बहुत कुछ जानता हूं। उनकी पार्टी वालों ने भी १००–१००, २००–२०० बीघा जमीनों को अपने भाई भतीजों के नाम कर दिया है। मुझे दुःख है कि जो लोग इस किस्म की बातें यहां बैठकर करते हैं वे ऐसा करते हैं। हम जानते हैं कि बटवारे से क्या लाभ होने जा रहा है और जमींदारी के खत्म होने से क्या लाभ हुआ है। इसलिये जो कारखाने हैं उनको बांट दीजिये। श्रीमन्, जितने बड़े-बड़े फर्म्स हैं, जितने बड़े-बड़े व्यापार हैं, हमने आप के द्वारा कई बार इस सदन में कहा है कि हमको जमीन नहीं चाहिये क्योंकि खेतिहर मजदूरों का आज से नहीं बल्कि हजारों वर्ष से इस खेती पर दलन होता आया है और वे दूसरों के लिये कमाते रहे हैं और आज भी वे हमारा शोषण करना चाहते हैं। इसलिये हम तो बिजनेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास कारखाने हों, हम तो चाहते हैं कि हमें बड़ी-बड़ी नौकरियां मिलें ताकि हमारी शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध हो सके और हम भी इन्सान कहलाने के अधिकारी हों। यदि जमीन का प्रश्न है तो हम जमीन सरकार से लेंगे। लेकिन जहां तक ४० एकड़ की सीमा निर्धारण का प्रश्न है, मैं इसका विरोध करता हूं। मेरी राय में २५ एकड़ से अधिक भूमि एक परिवार के पास नहीं होनी चाहिये। २५ एकड़ जमीन में एक कुटुम्ब का अच्छी तरह से पालन हो सकता है और जितना यह तोड़-मरोड़ कर कहीं मुर्गी पालन के लिये, कहीं सुअर पालन के लिये, कहीं बाग बगीचे के लिये यह अपवाद रखा गया है, इस तरह से तो ये जमीनें इधर-उधर पहुंच जायेंगी। कुछ जमीन कारखाने में जाती रहेगी, कुछ कहीं जाती रहेगी, तो श्रीमन्, जमीन का यह बंटवारा किसी तरह से ठीक नहीं होगा।

[श्री हरीसिंह]

प्राचीन काल से, सदैव इस जमीन के लिये संघर्ष होता रहा है। अब जब देश स्वतंत्र हुआ है और सारी जनता की हुकूमत हुयी है लिहाजा इस जमीन पर संघर्ष हो सकता है। हमने इतिहास में पढ़ा है कि भगवान ने तीन पग में ही सारी पृथ्वी नाप ली और किसी के लिये कोई जमीन ही नहीं बची। तो श्रीमन्, आप के द्वारा मैं माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस जमीन की या तो सीमा निर्धारित की जाय या इसका बटवारा न किया जाय। किसी के पास २५ एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिये और साढ़े १२ एकड़ की जो हमारी मांग है और चूंकि आपने एक विधेयक बनाया है कि साढ़े १२ एकड़ से अधिक कोई जमीन नहीं खरीदेगा लेकिन यदि ३० एकड़ जमीन किसी के पास होगी तो उस पर कर लगेगा और आपने कर लगाया था। उसकी तक्सीम में भी दिक्कत आ सकती है इसलिये आप ज्यादा से ज्यादा यह करें कि २५ एकड़ से अधिक जमीन की सीमा निर्धारित न करें जिससे खेतिहर मजदूर उस पर खेती के काम कर सकें। जहां तक सीमा निर्धारण करने की बात है, गवर्नमेंट के पास जो भूमि है पहले वह अपनी भूमि उन खेतिहर मजदूरों को दें क्योंकि पंचायतों द्वारा जो भूमि का वितरण हुआ है उसमें से एक इंच भूमि भी उनको नहीं मिली है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---हजारों को मिली है।

श्री हरीसिंह---अगर सौ में ४, ६ को मिल गयी हो तो भले ही मिल गयी हो लेकिन मेरे जिले में तो किसी को नहीं मिली है। अगर किसी को मिली है तो आप उसके फीगर्स देकर बतलायें कि पंचायतों द्वारा जो भूमि का वितरण हुआ है उसमें से कितनी भूमि खेतिहर मजदूरों को मिली है। अगर ३५ लाख आदमी जो भूमि पर निर्भर करते हैं उन सबको जमीन नहीं मिले तो कम से कम ३५ हजार को भी तो मिले, कुछ को तो दी जाय ताकि उनको कुछ न कुछ तो लाभ होने लगे। फिर मैं आपके द्वारा माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि सबसे पहले जो सरकारी भूमि है वह उन खेतिहर मजदूरों में वितरित की जाय। पूज्य संत विनोबा को जितनी भूमि मिली चाहे वह बंजर हो या अच्छी हो, वह जिन खेतिहर मजदूरों को वितरित की गयी उसमें उन्होंने काफी अन्न का उत्पादन किया है और जो इस किस्म की बात राजा, महाराजाओं की करते हैं, उनको तो शौक है कुछ भाषण करने का और वे बराबर मजदूरों की मुखालिफत ही करते हैं। मजदूरों में किसी हरिजन का या दूसरे का सवाल नहीं है। बल्कि जो कोई भी खेती करे उनको जमीन देनी होगी। इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि जो सरकार के पास भूमि है उसका वितरण वह अवश्य कर दे।

*श्री बुद्धी सिंह (जिला मुरादाबाद)---अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में अधिकतम जोत के कानून पर बोलने का मुझे अवसर मिला है। देश की आजादी के बाद वह ३ बातें जो सन् १९३० से कहा करते थे कि जमींदारी खत्म होगी, सरमायेदारी खत्म होगी और उससे भी आगे चलकर जोत की सीमायें भी निर्धारित होंगी, इस तरह की चीजें हमने पढ़ी हैं और इस तरफ जाने का जो दिशा ज्ञान है वह मैं समझता हूं आज भारतवर्ष में साफ हो गया है। अब तो इस सम्बन्ध में दर्शन शास्त्र सन्त विनोबा दे रहे हैं कि किस तरह से व्यक्तिगत मिल्कियत खत्म हो, जमीन की व्यक्तिगत मिल्कियत खत्म हो और किस तरह से समानता के आधार पर सब को मिला-जुलाकर देश के किसान की हालत को सुधारा जाय और देश में किसी तरह का भेदभाव न रख कर जो खेती करते हैं उन की भी खपत हो, जो दूसरों की खेती पर और अपनी खेती पर काम करते हैं और मजदूरी करते हैं और खेतिहर मजदूर हैं उनका कल्याण हो। जब दिशा ज्ञान साफ है और उस दिशा ज्ञान को लेकर हमें पिछले अनुभव से भी सबक लेना है।

जमींदारी खात्मे का नारा यहां सन् १९३७-३८ में लगा था फिर वह सन् १९४६ में कुछ दिन के लिये आया और उस समय फिर यही उसूल माना गया था कि जमींदारी खत्म हो और सरमायेदारी भी खत्म हो। जमींदारी खात्मे का काम तो सन् १९५२ में कार्यरूप में परिणत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ लेकिन जब से वह नारा लगा तब से सन् ५२ तक सन् ३७ से, बड़े-बड़े जमींदारों ने जिनके पास ज्यादा से ज्यादा रकबा था उन्होंने किस तरह से अपनी जमीन को दबाया और किस तरह से दूसरों की हकतलफी की और इससे भी आगे किस तरह से लोगों ने यहां फार्म कायम किये उस का एक इतिहास है। मैं आप से निवेदन कर रहा हूं कि जब यह नारा लगा और कानून बना इस बीच में और क्या हुआ जमींदारी खात्मे के नारे पर यह सब को मालूम है, मैं ज्यादा विवरण में नहीं जाऊंगा।

उसके बाद अब यह सीमा की बात आई है, मैं निवेदन करूंगा कि अभी मंत्री जी ने कोई सर्वे तो कराया नहीं कि किस-किस श्रेणी के कितने किसान हैं और कितनी-कितनी जमीन उनके पास है। मैं आपकी सेवा में कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। आज हमारे यहां ५ प्रतिशत वह किसान हैं कि जो ३० एकड़ से अधिक रकबा रखते हैं और कुल जोत का ३३ प्रतिशत क्षेत्र उनके कब्जे में है। सूबे में ७८ लाख परिवार खेती करते हैं और ८५ प्रतिशत किसान दस एकड़ से कम अलाभकर खेती करते हैं और इनमें से ८६ प्रतिशत किसानों पर ३ एकड़ से भी कम जमीन है, यह मैंने पढ़ा है। अब ४६ प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं।

जब से आपका यह नारा लगा है तब से किस कदर बागात लगाये गये हैं, जो पुराने फार्म ओनर्स हैं उन्होंने किस तरह से रकबा बढ़ाया है, मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूं और जानता हूं कि सरकारी बचज में बरसों तक आप के साथ रहे। मैं ही नहीं सन्त बाबा राघव दास जैसे लोगों ने वहां एसे लोगों को दखा। जिनकी आंखें फुड़वा कर जमीनें ली गई थीं और फार्म लगवाये गये थे, स्वयं सन्त राघवदास ने उस आदमी को दखा जिसकी आख फुड़वाई गई, मुरादाबाद ऐसा कमबख्त जिला है कि जहां के फार्म ओनर्स ने इस तरह से अत्याचार कर क फाम लगाये हैं। तो मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस नारे के साथ ही साथ आंकड़ों का आप सर्वे करा लेते तो जो उद्देश्य है कि अधिक आदमियों का फायदा हो, खेतिहर मजदूर और किसान का फायदा हो, उसको भी ऊपर उठने का मौका मिले और जो आप समाजवाद का नारा लगाते हैं, उसकी दृष्टि से भी यह ठीक होता। अभी जो तकरीर हुई है उससे मेरा काम हल्का हो गया है। पी० एस० पी० और सन्त विनोबा के नारे को धुंधला करने के लिये आपने यह विधेयक पेश किया है। इस विधेयक से मेरे गांव में कोई जमीन आप को मिलने वाली नहीं क्योंकि वहां ४० एकड़ से ज्यादा किसी के पास नहीं है। लेकिन वहां बाबा राघवदास का गश्त हुआ तो एक-एक बीघा लेकर काफी जमीन वहां मिली। यहां तक ही नहीं, मैं एक महीना उनके साथ रहा। काफी जमीन उनको मिली सन्त विनोबा के प्रभाव स। म समझता हूं कि अगर आप विरोधी दल की बात को न मानें तो आपके सामने एक बड़ा दर्शन-शास्त्री संत विनोबा है उससे प्रेरणा लेकर, सर्वे करा के सच्चे माने में विधेयक लाइये।

श्रीमन्, काफी गांव ऐसे हैं जहां एक भी बीघा जमीन मिलने वाली नहीं है। तीन एकड़ जमीन है ४५ फीसदी किसानों पर। अलाभकर जो--१० एकड़ से कम वाली--८५ परसेंट हैं। ५ फीसदी पर ३० एकड़ से अधिक हैं जो कुल जोत का ३३ प्रतिशत दबाए बैठे हैं। आपने सब से बड़ी गलती यह की है कि करोड़ों रुपया अधिक अन्न उपजाओ स्कीम में लगा दिया। मैं तो यह कहता हूं कि राज्य खानदान जो उधर बैठा है उनके परिवारों को दे दिया गया है।

बहुत से हारे हुए और जीते हुए मंत्री और एम० एल० एज ने उधर तराई भावर की तरफ देखिए अपने रिश्तेदारों को हजारों बीघे फार्म दे दिया है और सरकारी ट्रैक्टर से तुड़वाकर दिया है। आज उनको आपने छोड़ दिया है। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन अगर आप सर्वे कराएं तो मालूम होगा कि करोड़ों रुपया तकावी के नाम से कांग्रेस बेंच के लोगों ने लिया है जो हारे हुए भी हैं और जीते हुए भी हैं और वह सरकारी पैसे को कुर्की और नीलाम से भी नहीं देते। बल्कि कुर्की और नीलाम भी होते हैं तब भी वह उनसे बरी हो जाते हैं कहीं-कहीं पर सिफारिशें करा के। करोड़ों रुपया इस तरह से चला गया है। नाम लेना मैं ठीक नहीं समझता। लेकिन मैं कहता हूं कि इस तरफ भी यदि कोई ऐसा हो तो आप भी वह बात कहें कि ऐसा दोष है कि करोड़ों रुपया लेकर फार्म बनवाया है।

[श्री बुद्धी सिंह]

दूसरी बात कि अभी इसी सदन के हारे हुए एम० एल० ए० मुझे नैनीताल में मिले जब मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थायी समिति के लिये वहां गया था। उन्होंने कहा कहिये यह तो नारा बड़ा गलत है, सहकारी खेती और सीलिंग का। उन्होंने कहा कि नेहरू जी का दिमाग़ खराब हो गया है। मैंने कहा कि १२ वर्ष से टिकट लेने के लिये मारे-मारे फिरते थे लेकिन आज गाली देने लगे हो। हम तो नेहरू जी को अच्छा समझते हैं कि उन्होंने सहकारी और सीलिंग की बात कही। विरोधी होते हुये भी हमारी पार्टी की मांग है कि २० और ३० एकड़ के बीच में सीमा निर्धारित होनी चाहिये। मैंने उनसे कहा कि आपने तो हजारों एकड़ पर कब्जा कर रखा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की जरूर जांच करायी जाय कि कितना रुपया लगाकर किन-किन को जमीन तुड़वाकर सरकार की ओर से दी गई है। इसका सर्वे कराने के बाद सारी समस्याओं को इस बिल में रख दिया जाय और सहकारी समिति के द्वारा उसका भी इंतजाम होना चाहिये। यह मेरा निवेदन है।

१ मई तक जिन्होंने बाग लगा लिये हैं इसमें बड़ी हकतलफ़ी हुई है। मैं जुर्रत के साथ कह सकता हूं कि यहां के हारे हुए एम० एल० ए० ने मुरादाबाद में दो महीने के अन्दर सैकड़ों एकड़ में बाग लगा दिये और मैं सबूत दे सकता हूं और चाहूंगा कि सरकार जांच करे और इधर के भी जो लोग हैं उनकी भी तफ़तीश करे। जो बाग पहले से थे उनको आप रख लें मुझे कोई एतराज नहीं है और १ मई को बाग लगाने वाला जो कानून आपने रखा है इसको हटा दिया जाय। यू० पी० में १५ लाख एकड़ जमीन पर बाग हैं। यदि इसी को आप छोड़ें तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन इस बीच में तो यह तमाम गड़बड़ घोटाला हुआ है इसकी जांच होनी चाहिये। १५ अगस्त के बाद यह कानून लागू होगा उसके पहले नहीं होगा इस बीच में जो गड़बड़ियां हुई हैं मुरादाबाद में वे वही लोग हैं जो सरकार के साथी हैं।

तीन ही प्रकार के झगड़े होते हैं राज्य में। जर, जन और जमीन। जन के झगड़े तो विदेशों से पहले ही दूर हो गये। अगर अधिकार ज्यादा नहीं हैं स्त्री वर्ग को तो धीरे-धीरे मिलने शुरू हो गये हैं और स्त्री समाज को अधिकार मिल रहे हैं। अब यह दो झगड़े जो हैं यह आज के नहीं हैं, यह कानून तो आप सदा के लिये बना रहे हैं, ये झगड़े रोज आयेंगे और जिधर आप जा रहे हैं, मुझे आपकी नीयत पर शक नहीं है, आपके ही परिवार से निकल कर लोग आपके नारे की मुखालिफत करने लगे हैं। सन् १९३० से आपके साथ हैं, इस सदन में उस वक्त भी आये जब जमींदारी खात्मे का उसूल माना गया। तो एक-एक रोजगार ही नहीं, कई रोजगार लगाये बैठे हैं। कहीं रामपुर में मिल है, कहीं गन्ने की मिल है उनकी कोई सीलिंग आपने नहीं की बल्कि उन पर जो फार्म थे उन्हें छोड़ दिया है और छोड़ इसलिये दिया है कि आपको उन पर अब भी भरोसा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि वह कानून उस दिशा ज्ञान में बनावे। समाजवाद आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। समाजवाद को लाने के लिये जो तरीके हैं उनको आप दो तरह से देख सकते हैं। विनोबा जी के दर्शनशास्त्र से अपने बीच में कानून बनाये नहीं तो जिस तरह से चल रहे हैं उस तरह से मुल्क में बगावत फैल जायगी। चौथा और कोई तरीका ही नहीं है। सबसे बेहतरीन तरीका व्यक्तिगत मिल्कियत को मिटाने का यह है कि जो बड़े-बड़े रोजगार चल रहे हैं उन पर भी सीलिंग की जिये। ऐसा कानून बने तो मैं खुश हूंगा कि सीलिंग २० और ३० के बीच में इसमें कर दी जाय। मैं साढ़े १२ और १० एकड़ के फेवर में नहीं हूं हालांकि मैं इस मत का हूं कि साढ़े १२ एकड़ भी कर दी जाय तो ज्यादा से ज्यादा अन्न किसान उसमें पैदा कर सकता है लेकिन इससे ज्यादा बगावत फैल जायगी आपके प्रति और कुछ दिन आपको रहना भी है तो कृपा कर नारे को धुंधला न बनाइये। लिहाजा आप सरकारी फार्म्स खत्म कीजिये इससे आप ढाई लाख आदमियों को काम दे सकेंगे। सीलिंग २० और ३० एकड़ के बीच में कर दी जाय। बागात जो लगा लिये गये हैं वे वही बने रहें जो पुराने हैं, जो लूट-खसोट कर लिये हैं उन्हें गैर कानूनी करार दीजिये।

एक बात और कही गयी है कि इस स्कीम पर १४ लाख ५० हजार रुपये दफ्तरों में खर्च किये जायेंगे। सहकारी खेती पर एक बड़ी रकम खर्च की जायगी मुल्क में यह बात नियोजन मंत्री ने कही थी।

श्री अध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

श्री पहलवानसिंह चौधरी (जिला बांदा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने की आज्ञा दी। पहली बात यह है कि हम अपने भाइयों के ताने सुनते-सुनते अघा गये। हमको जमीन की जरूरत नहीं है। यह जमीन ले लीजिये "यह प्रतिपालों सब परिवारू नाथ न जानो और कबारू"। खेती ही हमारा मुख्य व्यवसाय था। हमारे बाप दादों ने जमीन को इस काबिल बनाया, हमने बंधने चढ़ाई, मिट्टी खोदी और बगीचे लगाये तो फिर उससे पूंजी निकालने का हमको अधिकार है। वह अधिकार हमको दे दो और हमारी खेती सब उनको दे दो। हमने इस खेती के लिये हड्डी दान में दी है। हमारे मंत्रियों को बिना वजह आप दोष लगाते हैं। देश के अन्दर तलवार चलेगी तो कोई माई का लाल नहीं आयेगा। हमारे बाप दादों ने जो पूंजी लगाई है वह पूंजी हमको निकालने का मौका दीजिये इससे देश की मान भलाई होगी। बिना वजह के ताने आप न मारें। हमारे बाप दादों ने बगीचे लगाये ताकि उनसे फल मिल सकें लेकिन आप तो चरागाह भी नहीं छोड़ते। यह कहां का न्याय है। मिनिस्टरों को ताने देने की जरूरत नहीं है। वे निहायत ही ईमानदार हैं। आप बुन्देलखंड के लीडर हैं, आप कह दीजिये कि हमारी सब जमीनें ले लें और हरिजन भाइयों को दे दें, हमें कोई एतराज नहीं है। जो कुछ कहता हूं वह सही कहता हूं।

श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, माल मंत्री द्वारा इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करता हूं। सैद्धांतिक दृष्टि से इस देश में इसकी आबादी को देखते हुये, खाद्यान्नों की कमी को देखते हुये, इस देश की गरीबी को देखते हुये आमदनी पर, चाहे वह खेती से हो या किसी दूसरे जरिये से हो, एक सीमा मुकर्रर किया जाना नितान्त आवश्यक है। हमारे दिमाग में जब तक इस तरह की बात नहीं आती कि समाज का गठन हमें किस तरह से करना है, समाज को किस तरह से बनाना है जिसमें आर्थिक विषमता दूर हो तब तक कोई ढांचा इस देश का बन नहीं सकता। बदकिस्मती से जो ढांचा बनाने की हम कोशिश करते हैं वह एक तरह से झाड़ी का पीटना हो जाता है। हम यह कैसे कहें कि कोई ढांचा हमारी अकल में ही नहीं आता लेकिन इतना तो साफ है कि ढांचे की कोई ऐसी शक्ल हमारे सामने नहीं आ पाती है जिससे हम यह मानें कि वह ऐसा है कि इस देश के आदमी एक ऐसे ढांचे में अपने आपको ढालेंगे जिसमें आर्थिक विषमता नहीं होगी। इस दृष्टिकोण से जब मैं इस विधेयक को देखता हूं तो मुझे इसमें बड़ी खामियां नजर आती हैं। अव्वल तो इस विधेयक से जितनी जमीन हमको मिलनी है वह नगण्य सी मालूम होती है, उससे हम कोई समस्या हल नहीं कर पायेंगे।

खेती एक रोजगार है। जैसे दुनियां के और रोजगार हैं वैसे खेती भी एक रोजगार है। मेरे मित्र मदनमोहन जी ने कहा कि खेती एक ऐसा धंधा है जिसकी ओर सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड आदमी ही जाते हैं, उसकी ओर कोई बुद्धि का आदमी जाने की इच्छा ही नहीं करता या जाता ही नहीं। मैं बड़े अदब से उनकी इस राय से असहमति प्रकट करता हूं। मेरी दृष्टि में पढ़े-लिखे लोगों में भी बहुत से ऐसे हैं जो यह समझते हैं कि खेती एक धंधा है, जनहित की भावना से, अपने परिवार की सेवा भावना से, एक स्वतंत्र व्यवसाय की दृष्टि से उसे करना वे अच्छा समझते हैं। मेरे अपने जिले में ऐसे लोग हैं जो बड़ी ऊंची शिक्षायें प्राप्त करने के बाद भी खेती को सब से अच्छा रोजगार मानते हैं। हमारे यहां कहावत भी है कि 'उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान' यह बहुत पुरानी कहावत देहातों में प्रचलित है। फिर मुझे कोई वजह मालूम नहीं होती है कि मैं अपने को मदनमोहन जी की राय से सहमत बना सकूं। दूसरे साढ़े १२ एकड़ की सीमा रखकर वह यह चाहते हैं कि ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग जिनको खेती से दिलचस्पी नहीं है उनके जरिये हम देश के लोगों के लिये पर्याप्त मात्रा में खाना दिला सकें

[श्री उदयशंकर]

और उनके बल पर देश के लोगों को खिला सकें। यह बात मुझे जंचती नहीं है कि वह ऐसी बात करने में अपने को समर्थ पा सकेंगे। अब रही यह बात कि जब हम देखते हैं कि दूसरे रोजगारों के जरिये आदमी लाखों रुपया पैदा कर सकते हैं, सरकारी नौकरियों में हजारों रुपया माहवार पैदा कर सकते हैं तो खेती करने वाले के लिये भी हमें इस प्रकार से सोच समझकर रखना चाहिये कि वह खेती से इतनी आमदनी प्राप्त कर सके जिससे वह सम्मानपूर्वक अपना जीवन बिता सके। अपने बाल-बच्चों को शिक्षा दे सके और अपने देश में एक आजादाना जिन्दगी बसर कर सके।

खेती एक ऐसी चीज है जिसकी उपज की, सीमा की एक हद होती है उसके बाद वह इंकार कर देती है कि वह इससे अधिक नहीं दे सकेगी। इसलिये इन चीजों को सामने रखकर जिनको हम खेती की ओर ले जाना चाहते हैं उनके लिये एक ऐसी सीमा रखनी चाहिये जिसके अन्दर उनको सम्मानपूर्वक जीवन बिताने का अवसर मिल सके। हमारे जो कानून बने हैं उनके अन्दर फ्यूचर एक्वीजीशन साढ़े १२ एकड़ पर सीमित कर दिया है कि किसी भी आदमी को हिबा के जरिये या खरीदारी के जरिये जो उसके पास जमीन है उसको मिला कर साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकेगा। अब उसके बाद बहुत थोड़े लोग ऐसे बचते हैं जिनके पास अधिक जमीन है और उनसे आपको जमीन निकालनी है। दुर्भाग्यवश जब हम ऐसा कुछ सोचते हैं तो उसमें कुछ परेशानी पैदा हो जाती है। जब हमने एग्रीकल्चर इंकम टैक्स लगाया तो एक दौर आया जिसमें लोगों ने अपनी जमीन छिपाने की कोशिश की और लड़के बच्चों के नाम से बटवारा कर दिया। उसके बाद नागपुर कांग्रेस का प्रस्ताव आया और सीलिंग का जब हल्ला हुआ और सरकार की ओर से चर्चा हुई उसके कारण जितनी लिखा-पढ़ी और बंटवारे हुये उससे जमीन का बहुत काफी हिस्सा बंट गया और इस तरह हम देखते हैं कि हम इससे कोई समस्या विशेष हल नहीं कर सकते। तो मेरा सुझाव है कि सीलिंग की सीमा ४० एकड़ के बजाय ५० एकड़ कर दी जाय और उस के बाद हमें यह देखना चाहिये कि इस ऐक्ट को सैबोटेज करने की जो कोशिश हुई है वह न हो सके। इस सिलसिले में जो धारा ५ का दूसरा हिस्सा है उसमें हम इस तरह की तब्दीली लायें कि जितने इसे सैबोटेज करने के तरीके इस्तेमाल हुये हैं, जितने फर्जी ट्रांसफर और बंटवारे हुये हैं और जिनके द्वारा हमने लोगों को झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया है और वह कसम खाने को तैयार हैं कि हम अलग-अलग हैं, वह न हो सके। उस धारा में इस तरह की तरमीम की जाय कि जो हमारे उद्देश्य में छेद करने की कोशिश की गयी है उस छेद को हम बंद कर दें।

दूसरे जो ईमानदारी से काम करना चाहते थे और इस ऐक्ट को सैबोटेज करना नहीं चाहते थे उनको भी आप मौका दीजिये और ऐसी तरमीम कीजिये कि उनको भी फायदा पहुंच सके।

तीसरी चीज यह देखना आवश्यक है कि जो बड़े-बड़े फार्म हैं वे अछूते न रह जायं। उनको हम ले सकें। मेकेनाइज्ड फार्म को लेने की जो बात की जा रही है कि उनको ही मैनेजर बनाकर रखा जा रहा है यह चीज भी उनके पास से निकाली जाय और उन फार्मों की जमीन भी आपको मिल सके ऐसा प्राविजन इसमें होना चाहिये।

चौथे दफा १३ के एक्जेम्प्शन्स में एक चीज यह दी हुई है कि आइन्दा से जो जमीन आप रिक्लेम करें या रिक्लेम करने के लिये दें तो उस पर आपकी यह सीलिंग नहीं लागू होगी, जिससे बड़ा भारी शुबहा यह पैदा होता है कि गवर्नमेन्ट जिसके साथ फेवर करना चाहे उसको इस ऐक्ट की पाबन्दी से मुक्त करके ४० या ५० एकड़, जो भी सीलिंग हो, उससे ज्यादा जमीन उन्हें दे सकती है। मेरी राय में आप उस हिस्से को भी निकालें।

एक चीज और कहना चाहता हूं कि भूमि सुधार का जो भी आपका ऐक्ट बन रहा हो उसमें आप यह देख लें कि भूमि सुधार के सिलसिले में जरा ठीक से सुधार हो जाय। एक बड़ी भारी

शिकायत गांव के भीतर लोगों में है कि गांव में जो जमीन का लैन्ड रिफार्म है वह एक निगाह से सबको नहीं देखता है। मैं जब गांव में जाता हूं तो मैंने १५–२० गांवों के खाते, खतौनियों को लेकर देखा अपने क्षेत्र के भीतर और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वहां जो पुराने जमींदार थे, उसका लगान अगर एक रुपया बीघा है तो उसी जगह जिस आदमी ने १० गुना लगान का देकर भूमिधरी का हक प्राप्त किया उसको २ रुपया लगान पड़ता है। वहीं जो काश्तकार हैं, जिसने १० गुना नहीं दिया है उसको ४ रुपया पड़ता है और जो अधिवासी हुआ उसको ८ रुपया पड़ता है। मेहनत की दृष्टि से आप देखें कि जो ज्यादा मेहनत करता है वही ज्यादा लगान देने वाला है। वह किसान अपने हाथों जोतता है, मेहनत करके ज्यादा पैदा करता है, कम जमीन वह रखे हुये हैं और ज्यादा कम अधिकार खेती के उसे प्राप्त हैं, उसी आदमी के ऊपर ज्यादा बोझ आपकी लगान की पालिसी का भी पड़ता है। मेरी राय में आप इस चीज को भी इस कानून के साथ दुरुस्त कर दें कि एक किस्म की जमीन और एक फायदे की जमीन एक ढंग से और एक तरह से लोगों को मिल सके, एक लगान पर मिल सके।

एक बात इस सिलसिले में मुझे और कहनी है। जो ऊंचे किस्म की अच्छी जमीनें हैं उनकी आमदनी के लिहाज से साधारण किस्म की जमीनों में और उनमें फर्क होना चाहिये। मेरी राय में शहरों की या उम्दा किस्म की जमीनों की सीलिंग कम कीजिये, क्योंकि उससे आमदनी ज्यादा होती है और बाकी हिस्सों में कम होती है, दोनों की सीलिंग में अन्तर रखिये और खाली रूल्स के ऊपर या किसी ऐक्ट के ऊपर आप उसे कर दें . . .

श्री अध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हुआ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१ सितम्बर, १९५९।

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११४ पर।)

बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के सहायतार्थ उपलब्ध साधनों की सूची--

(अ) ७२ बाढ़ सहायक केन्द्र में आवश्यक कर्मचारी तथा आकस्मिक घटनाओं (emergency) के समय सहायता के लिये आवश्यक सामग्री (commodities) के साथ।

(ब) जिलाधीश, गोरखपुर के पास दो मोटर बोट, तीन जौली बोट (Jolly Boats) तथा ५५ देशी नावें (Country Boats) हैं।

(स) ३२ देशी नावें बाढ़ क्षेत्र में स्थित ग्राम समाजों को दे दी गई हैं। आवश्यकता के समय और नावों को भी किराये पर लिये जाने का प्रबन्ध है। एक मोटर बोट सिंचाई विभाग के पास भी है।

(क) ११ कम्यूनिटी शेड्स (Community Sheds) तथा दो मल्टी परपज शेल्टर्स भी बनाये गये हैं तथा बाढ़ के समय पशुओं के चरने के लिये १३ टुकड़े (Forest Blocks) निःशुल्क उपलब्ध हैं।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१४९ एल० ए०—१९५९—८४५।